Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६०, का २१वां दिवस [संख्या १३

मंगलवार, दिनांक १५ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, उद्योग, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, खनिज तथा सार्वजनिक निर्माण-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ३६६

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा ।

काली सिन्ध व चम्बल नदियों व अन्य छोटे नालों के किनारे की जमीन का मामला

३६७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा मु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार को विदित है कि कोटा एवं बूंदी जिले का जो भू-भाग चम्बल नहर के अन्तर्गत आ चुका है उसमें भी काली सिन्ध, चम्बल नदियों व अन्य छोटे नालों के किनारे हजारों बीघे ऐसी जमीन है जिसमें नहर का पानी नहीं दिया जा सकेगा ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन में से काफी भूमि को सन् १९५३ से पूर्व व पश्चात् भूमिहीन व विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों ने नौ तोड़ कर लिया है ?

(ग) यदि हां, तो ऐसी कितनी जमीन है ? क्या सरकार इन भूमि-हीनों को बेदखल कर उक्त जमीन को बेचना चाहती है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब नहीं आ सका इसलिए इसको अगली टर्न पर रख दिया जाय ।

Page No.2

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह।

प्रश्न संख्या ३६८

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६९

श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने पहले पूछ लिया था।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या २४३ (५३। आर० एम०) में इसी सदन में दिया जा चुका है।

प्रश्न संख्या ३७०

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३७१

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

जयपुर के दैनिक पत्र 'नवयुग' अथवा 'नवयुग प्रिन्टर्स' को दिये गये इन्डस्ट्रियल लोन की अदायगी

३७२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार की ओर से जयपुर के दैनिक पत्र 'नवयुग' को अथवा 'नवयुग प्रिन्टर्स' को कितना कितना इण्डस्ट्रियल लोन, किस-किस वर्ष में दिया हुआ है ?

(ख) यह लोन किस कार्य हेतु दिया गया था ?

(ग) क्या इस लोन का उस ही कार्य में उपयोग किया गया है ?

(घ) इस लोन की अदायगी के सम्बन्ध में किस किस प्रकार की और कितनी कितनी जमानत हुई है ? यदि मशीनों वगैरह की जमानत हुई है, तो कृपया इसका जमानतनामा विवरण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ङ) इस लोन को अदायगी के कितने इन्स्टालमेन्ट्स तय किये गये थे ? किस किस तारीख को जमा करवाने थे और वास्तव में कब कब जमा कराये गये ? समय पर जमा न होने पर क्या कार्यवाही हुई ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) नवयुग प्रेस को १५०००) रु० बतौर कर्ज सन् १९५९-६० में दिया गया है।

(ख) यह लोन प्रेस के विकास हेतु दिया गया है।

(ग) इसकी सूचना इस कार्यालय में अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) लोन की अदायगी के लिये मशीनों की जमानत दी गई है। इन मशीनों की विगत की तालिका संलग्न है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(ड) लोन की अदायगी सात सालाना किश्तों में होगी पहली किश्त ड्यू जमा कराने की तिथि अभी ड्यू नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि अभी इस बात की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि लोन प्रोपरली यूटिलाइज़ किया गया या नहीं, यह सूचना कब और किस प्रकार मिलती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब लोन काम में ले लें तो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि लोन यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, यही समझ लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : तो जब तक यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट न आवे उस वक्त तक क्या यह माना जा सकता है कि लोन को प्रोपरली यूटिलाइज़ नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं माना जाना चाहिये। जिस काम के लिए लोन लिया है, जैसे मशीन के लिए लोन लेते हैं तो ऑर्डर करने में और मशीन आने व पेमेन्ट होने में काफी समय का अन्तर रहता है।

श्री भैरोंसिंह : जो उन्होंने लोन के लिये दर्ख्वास्त पेश की थी उसमें यह उल्लेख था कि लोन को तीन महिने के अन्दर अन्दर युटिलाइज कर लिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दर्ख्वास्त में क्या क्या डिटेल्स लिखे थे, मुझे पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जो एप्लीकेशन में टाइम प्रेस्क्राइब्ड था, क्या उस टाइम के अन्दर उसको यूटिलाइज कर लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कह नहीं सकता उसमें क्या लिखा हुआ था। यह बात जरूर है कि उन्होंने अपने प्रेस को एक्सटेन्शन करने के लिये यह लोन लिया।

श्री भैरोंसिंह : विभाग की ओर से प्रेसकाइब्ड टाइम के अन्दर लोन यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है तो सुओ मोटो जानकारी जब विभाग को मिलती है तो क्या कार्यवाही करता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विभाग मांग रहा है पर्टीकुलर टाइम लिमिट के बाद में उन्होंने उस लोन को खर्च किया या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि खास तौर से इस मामले में पर्टीकुलर टाइम के अन्दर उसका उपयोग हुआ या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह टाइम कितना था वह खत्म हो गया या नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल था, जो लोन दिया गया उसका उपयोग हुआ या नहीं, क्या यह विभाग को जानकारी दी गई ?

Page No.4

श्री नाथूराम मिर्धा : विभाग के पास यह जानकारी आई या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता किन्तु यह जरूर है कि विभाग उनसे इसकी मांग कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें जानकारी आने का क्या सवाल है, डिपार्टमेन्ट इस बात की जानकारी करता है या नहीं, वह लोन युटिलाइज़ हुआ या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बरे में जानकारी करने के लिये पार्टी खुद कह देती है। उस पर भी हमें यदि शंका हो तो डिपार्टमेन्ट इस संबंध में जानकारी करता है।

श्री भैरोंसिंह : पार्टी यदि इस संबन्ध में जानकारी नहीं देती है तो वैसी हालत में सरकार का क्या कर्त्तव्य है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पार्टी जानकारी नहीं देती है, प्रेसक्राइब्ड टाइम और डेट के बाद में तो नियम के अनुसार जैसी कार्यवाही करना उचित होता है वह की जाती है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर, पश्चिम) : इस तरह का कर्जा और किस किस को दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग सवाल है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): क्या इस लोन के युटिलाइज़ करने के बारे में नवयुग प्रेस को नोटिस दिया गया था या नहीं ? उस नोटिस के अन्दर विदिन लिमिटेड टाइम में लोन युटिलाइज़ किया या नहीं, इस बात की जानकारी आपने मांगी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी वह नोटिस देने का टाइम नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : जब कि १९५९-६० में लोन दिया गया तो क्या अभी नोटिस देना जरूरी नहीं समझा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लोन देने के बाद में उसके युटिलाइजेशन के लिये जितना समय मिलना चाहिये वह अभी पीरियड नहीं हुआ, ऐसी हालत में नोटिस देने की जरूरत नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपने जिन मशीनों को जमानत के रूप में रखा है क्या आपने उनकी कीमतों के बारे में किसी टेक्निकल आदमी से उसका वेल्यूएशन करवाया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वैल्यूएशन को तहसीलदार ने वेरीफाइ करके भेजा है उसके साथ पार्टी द्वारा हलफनामा भी दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : तहसीलदार ने मशीनों की जो कीमत बताई क्या उसके बारे में किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की राय ली थी आपने ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आम तौर पर तहसीलदार सर्टिफिकेट देता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि उन्होंने सारे डेप्रीसियेशन्स आदि निकाल कर उनकी कीमतें लगायी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ६७ हजार रुपये की मशीनें हैं उसमें कितना ही एन्कम्बरेन्सेज़ हो, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, हमारा लोन सुरक्षित है। आम तौर पर ऐसी बातों का वेरीफिकेशन तहसीलदार ही करता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात की जांच करने के लिये तैयार है कि जो मशीनें जमानत के रूप में हैं वे ६७ हजार रुपये की नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने जो १५ हजार रुपया लोन दिया उसमें कोई दूसरे एनकम्बरेन्सेज नहीं, हमारा लोन बिल्कुल सेफ है।

श्री श्रीभानसिंह: मशीनों की वेल्युएशन के बारे में किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी एक्सपर्ट की राय लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के लोन जो इन्डस्ट्रीज़ को देते हैं उनका वेरीफिकेशन तहसीलदार करता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन मशीनों के अन्दर तीन मशीनें ऐसी हैं जिनकी कीमत एक पैसा भी नहीं आ सकता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपकी राय हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरह से लोन दिया गया जिसमें वेल्युएशन ठीक प्रकार से नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : आखिर ६७ हजार रुपये की मशीनों पर केवल १५ हजार का लोन दिया गया है, काफी मार्जिन है

श्री भैरोंसिंह : जितनी कीमत की जमानत, रूल्स के अनुसार होनी चाहिये उतनी कीमत की मशीने हैं नहीं ? इसमें ऐसा है कि झूठ बोला जाय और सेन्ट पर्सेन्ट झूठ बोला जाय, तो उसमें से पचास प्रतिशत सही हो ऐसी बात नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय इस बात की जांच क्यों नहीं करवा लेते कि जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिये उतनी कीमत की मशीनें हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह नवयुग है, इसलिये जांच कैसे होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो है ही।

प्रश्न संख्या ३७३

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३७४

श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

महारानी जया कॉलेज, भरतपुर, में संस्कृत शिक्षण के लिये प्राध्यापकों की कमी

३७५. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.6

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(१) महारानी जया कॉलेज, भरतपुर, की विभिन्न कक्षाओं में इस समय संस्कृत के कितने कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ?

(२) उक्त छात्रों को पढ़ाने के लिये प्राध्यापकों की संख्या क्या है ?

(३) क्या राजस्थान के अन्य कॉलेजों में भी इतने छात्रों के लिये इसी संख्या में प्राध्यापक रक्खे गये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(४) यदि भरतपुर में संस्कृत के छात्रों की संख्या की दृष्टि से प्राध्यापकों की संख्या कम है, तो क्या उसको बढ़ाने की व्यवस्था की जायगी ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) महारानी जया कॉलेज भरतपुर की विभिन्न कक्षाओं में संस्कृत के छात्रों की संख्या निम्न लिखित है

बी०ए० फाइनल	१७
बी०ए० प्रीवियस	१७
इन्टर	३३
प्री युनिवर्सिटी कोर्स	४०
थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स प्रथम वर्ष	७
थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स द्वितीय वर्ष	२
योग	११६

(२) एक संस्कृत का प्राध्यापक है इसके अतिरिक्त एक हिन्दी तथा संस्कृत का प्राध्यापक है जो संस्कृत कक्षाओं को पढ़ाता है ।

(३) अध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या पर निर्भर नहीं है, वह कक्षाओं में पढ़ाने के घंटों पर निर्भर होती है ।

(४) प्राध्यापकों की संख्या कम नहीं है संख्या बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ये प्राध्यापक कितने घंटे पढ़ाते हैं, दो प्राध्यापकों को कितने घंटे पढ़ाना चाहिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यूनिवर्सिटी का कायदा है २० से २४ घंटा प्रति सप्ताह ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : संस्कृत के प्राध्यापक ज्यादा समय दे रहे हैं, ऐसी मेरे पास रिपोर्ट है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रिन्सिपल की रिपोर्ट यह है कि ज्यादा नहीं दे रहे हैं, दो टीचर्स ही काफी हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: दूसरे टीचर जो संस्कृत पढ़ाते हैं क्या वे संस्कृत के एम० ए० हैं या हिन्दी के ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एम० ए० किस विषय के हैं, यह मैं नहीं कह सकता, किन्तु जब संस्कृत पढ़ाते हैं तो उसकी जानकारी होनी चाहिये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या बी० ए० के छात्रों को पढ़ाने के लिये केवल संस्कृत की जानकारी काफी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बी० ए० को क्लास को संस्कृत पढ़ाते हैं, उसके लिये अलग

Page No.7

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, तो कम से कम ग्रेजुएट तो अवश्य है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : छात्रों को जितने पीरियड पढ़ाना चाहिये उसके मुकाबले जो संस्कृत के प्राध्यापक हैं वे कम हैं, इसलिये माननीय मंत्री जांच करके कोई आश्वासन देंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जानकारी करके ही उत्तर दे रहा हूं । वहां के प्रिन्सिपल का कहना है कि एग्ज़िस्टिंग स्टाफ संस्कृत पढ़ाने के लिये पर्याप्त है ।

प्रश्न संख्या ३७६

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३७७

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३७८

श्री बी० एन० जोशी ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३७९

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८०

श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

उद्योग विभाग द्वारा दिये गये इम्पोर्ट लाइसेन्स का ब्योरा

३८१. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि संचालक, उद्योग विभाग के कार्यालय में जिन जिन व्यक्तियों अथवा फर्म्स को इम्पोर्ट लाइसेन्स मिलता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है ?

(ख) यदि हां, तो सन् १९५८–५९ व ५९–६० में किस किस व्यक्ति अथवा पार्टी को, किस किस व कितने कितने सामान के लिये कब कब इम्पोर्ट लाइसेन्स मिला है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज़ पर रखें ?

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा रिकार्ड क्यों नहीं रखा जाता है ?

(घ) इम्पोर्ट लाइसेन्स के अनुसार माल राजस्थान में आ गया है अथवा उसका जिस कार्य के लिये लाइसेन्स मिला है उसमें उपयोग कर लिया गया है, इसकी जांच कौन और किस प्रकार से करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) उपरोक्त जांच के अनुसार यदि कोई दोषी पाये गये हों तो उनके नाम क्या हैं तथा उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां ।

Page No.8

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(ख) तालिका जिसमें यह सूचना दी गई है सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सहायक संचालक व जिला उद्योग अधिकारी माल आने व उपयोग करने की जांच पार्टियों के हिसाबात देख कर करते हैं।

(ङ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको इम्पोर्ट माल को भारत सरकार द्वारा लाने का पर्मिट मिलता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये सब तो ऐसी पार्टियां हैं जिनको इम्पोर्ट लाइसेन्स मिला हुआ है, जिसके लिये मांग की थी यहां के डाइरेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को सिफारिश करते हैं उसके आधार पर लाइसेन्स मिलता है, ये सब पार्टियां ऐसी ही हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या ये डाइरेक्टली माल इम्पोर्ट करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्टली इम्पोर्ट माल के पर्मिट का रेकॉर्ड मेन्टेन किया जाता है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हिन्दुस्तान से जो खरीद कर लाते हैं उनका रेकॉर्ड मेन्टेन नहीं किया जाता।

श्री भैरोंसिंह : इम्पोर्ट माल का जो कोटा निर्धारित होता है उस कोटे का पर्मिट दिया जाता है, राजस्थान में उसका रेकॉर्ड रखा जाता है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रेकॉर्ड उनका रखा जाता है, जो पार्टीज़ ज्यादा मेन्युफैक्चरिंग का धन्धा करती हैं जिनको बाहर से मंगाना पड़ता है। इसके लिये भी राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग रिकमन्ड करता है। एक्चुअल ये इन चीजों के जो यूज़र्स हैं इनको इम्पोर्ट लाइसेन्स मिलना चाहिये। हम जो रिकमन्ड करते हैं उन सब को भारत सरकार मन्जूर कर लेती हो, यह बात नहीं जितनी गुंजाइश होती है उनको पर्मिट दे देते हैं और इस तरह से वे सीधा माल इम्पोर्ट करके काम में लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान में कई समाचार पत्रों को न्यूज़प्रिन्ट को इम्पोर्ट करने का पर्मिट मिलता है और उसका कोटा भी निर्धारित किया जाता है। ये दोनों चीजें कौन सी कैटेगरी में आवेंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिये अलग से सवाल पूछें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लिस्ट के अनुसार यह समझा जावे कि राजस्थान में किसी भी समाचारपत्र को न्यूज़प्रिन्ट इम्पोर्ट करने का लाइसेन्स या पर्मिट प्राप्त नहीं हुआ था ?

Page No.9

श्री नाथूराम मिर्धा : इस लिस्ट को देख लीजिये। दर्ज है तो हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ।

जिला भरतपुर में कामां जुरहरा सड़क बनाने में अवाप्त भूमि का मुआवज़ा

३८२. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी**-(डीग) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला भरतपुर के अन्तर्गत कामां जुरहरा की सड़क बनाने के लिये कुछ किसानों की भूमि अवाप्त की गई थी ?

(२) यदि हां, तो क्या उनको उक्त भूमि का मुआवज़ा देने तथा उस पर कोई लगान न लेने का भी निर्णय हुआ था ?

(३) क्या उक्त निर्णय पर अमल हो चुका है ? यदि हां, तो कब से। और यदि नहीं हुआ, तो क्या इस कार्य में विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कदम उठावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):
(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) निर्णय पर अमल हो रहा है। दिनांक १२-२-६० को रकम अदायगी का आदेश दे दिया गया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इससे पहले भी यह सवाल पूछा गया था और उस दिन कहा गया कि जिस दिन सवाल पूछा गय उस दिन पेमेन्ट के ऑर्डर दिये हैं। पर आज तक एक पैसा उनको नहीं मिला। आज उत्तर दूसरा दिया जा रहा है। मैं स्पष्ट उत्तर चाहूंगा कि क्या सरकार उन को मुआवज़ा देना चाहती है या नहीं और देना चाहती है तो कब तक दे देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस दिन जो जवाब दिया गया वह भी ठीक था और आज का भी ठीक है। सरकार पैसा देना चाहती है और इसके आदेश भी दे दिये गये कि वह पैसा दे दिया जावे। अब इसमें एक बात और है जो मैं आपको बता दूं। इस लैंड एक्वीज़ीशन में अवार्ड देने का काम गवर्नमेंट का नहीं है, लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर का है। हमने उनको कहा, जल्दी से जल्दी अवार्ड दे दें। अब उन्होंने अवार्ड दे दिया, तो हमने आदेश दे दिया कि पेमेन्ट कर दिया जावे। अब पेमेन्ट की कार्यवाही हो रही है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सामान्यतया भूमि अवाप्त करने में और मुआवज़ा देने में कितना समय लगता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आम तौर से किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं हो, कायदे से काम किया गया हो तो साल भर का समय इसमें लग जाता है क्योंकि सैक्शन चार, पांच, छः की तहत कुछ समय देना पड़ता है और विज्ञप्तियां निकालनी पड़ती हैं, एतराजात मांगने पड़ते हैं, इसलिए करीब इतना अर्सा तो लग जाता है।

Page No.10

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस केस में पांच साल हो चुके हैं। कोई एतराजात नहीं हुए। कार्यवाही ही अभी की है महीने भर पहले।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ख्याल आपका ठीक नहीं है। २६।६।५३ को काश्तकारों की रजामन्दी से भूमि अवाप्त की गई। कम्पेन्सेशन असेस करने के लिये २०।११।५८ को कागजात भेजे गये। दफा ६ के अन्तर्गत राजपत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। इसके बाद दूसरी विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। अब १६५.१६ नये पैसे तजवीज कर दिये गये हैं। अब फाइनल हो चुका है। इसके मुताबिक पी. डब्ल्यू. डी. को लिख दिया गया है कि पेमेन्ट कर दिया जावे।

गवर्नमेंट हाई स्कूल, बांदीकुई, में शिक्षकों की कमी

३८३. **श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई): Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) What is the total sanctioned strength of the teaching staff at the Government High School, Bandikui?

(d) Does the present sanctioned strength fall short for the number of students admitted for the current session and the number of sections opened?

(c) What is the number the member of the teaching staff actually working at this school at present?

(c) What are the reasons for this shortage and when it is proposed to be made good?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त अध्यापकों की स्वीकृत संख्या १७ है।

(२) स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त २ अध्यापक और लगा दिये गये हैं। अब अध्यापकों की कमी नहीं है।

(३) प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त १६ अध्यापक कार्य कर रहे हैं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ३८४

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८५

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८६

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

म्युनिसिपल बोर्ड, बांदीकुई, की सीमाओं में भूमि का अवैध अधिग्रहण तथा कब्जा

३८७. **श्री बी. एन. जोशी (बांदीकुई)** Will the Revenue Minister be pleased to state:—

(श्री बी० एन० जोशी)

(a) What is the total area of Government land illegally seized or occupied within the Precincts of Municipal Board, Bandikui, by trespassers for the construction of shops and houses ?

(b) What are the total number of pucca shops constructed on the North Eastern side of the road from Agra Gate to Delhi Gate ?

(c) Do the owners possess any authority of construction from either the Municipal Board or the Government or any other competent authority for the construction of these shops ?

(d) Who was the former owner of this land and did he posses any authority to alienate this land for the construction of shops or even residential houses ?

(e) Was this land ever entered as abadi land in the Government records?

(f) Whom does the Government consider to be responsible for this illegal encroachment upon the land and what action does it now propose to take against the wrong doers.

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिये इसको नेक्स्ट टर्न पर ले लिया जावे ।

प्रश्न संख्या ३८८

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८९

श्री हीराभाई ।

(अनुपस्थित)

बांदीकुई में रेस्ट हाउस का निर्माण

३९०. श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : Will the Minister for public works be pleased to state:—

(a) What is the total number of Government Rest Houses or dak bungalows in Baswa Tehsil ?

(b) At which place within this Tehsil the majority of courts and other Government offices and establishments are situated ?

(c) Is it a fact that in the absence of any state owned rest house or dak bungalow at Bandikui, Government officers and other distinguished guests who visit Bandikui are put to a great deal of inconvenience ?

(d) If So, will the Government take necessary steps for the early construction of a suitable rest house at Bandikui ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (a) There is neither any

Page No.12

(श्री हरिश्चन्द्र)

dak bungalow nor Rest House of P. W. D. in Baswa Tehsil.

(b) It is not known to the Public Works Department.

(c) Realising the inconvenience, the Government asked all the Commissioners to supply a list of places where they want dak bungalow to be constructed. The Commissioner, Ajmer, has supplied a list and that includes the name of Bandikui.

(d) The proposal is under consideration.

माइनिंग इन्जीनियर भीलवाड़ा के कार्यालय से फाइलों के गायब होने के सम्बन्ध में

३६१. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या मन्त्री, खनिज विभाग-निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही हैं कि माइनिंग इन्जीनियर, भीलवाड़ा के कार्यालय से प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स की कई फाइल्स तथा कई माइनिंग लीज़ फाइल्स तथा अन्य प्रकार की कई फाइल्स गायब हो गई हैं ?

(ख) यदि हां तो कितनी तथा किन किन नामों की तथा किस किस वर्ष की ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रक्खें।

(ग) ये फाइल्स किस प्रकार की थीं और इनके गायब होने का कब कब पता लगा ?

(घ) इस सम्बन्ध में क्या जांच की गई और क्या कार्यवाही हुई तथा इसके लिये कौन दोषी पाया गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): इसकी जांच हो रही है, अध्यक्ष महोदय, और जांच के बाद ही इसका जवाब देना मुमकिन होगा। इसलिए इसको नेक्स्ट टर्न पर ले लें।

श्री भैरोंसिंह : क्या फाइलें गायब हो गई, इसकी जांच हो रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका जवाब पूरा आया नहीं है। मैं जवाब देने से इन्कार नहीं कर रहा हूं। The matter is under enquiry and it would be possible to send a final reply only after the enquiry is completed. It is, therefore, requested that the matter may be postponed for a tleast a fortnight.

श्री भैरोंसिंह : एन्क्वायरी किस विषय की हो रही है ? क्वेश्चन की हो रही है या फाइलें गुम हो गई उसकी हो रही है तो क्या यह सही है कि माइनिंग लीज़ की प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स की और अन्य फाइलें गायब हो गई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास: कौन कौन कितनी कितनी तथा किन किन नामों की फाइलें किस वर्ष की गायब हो गई हैं, यह आपका सवाल है। इसकी डिटेल्ड एन्क्वायरी अभी कम्पलीट नहीं हुई है, इसलिए मैंने निवेदन किया है कि इसको नेक्स्ट टर्न पर ले लिया जाय।

प्रश्न संख्या ३६२,

श्री अध्यक्ष : श्री वेनाराम गहलोत।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

धौलपुर की बिल्डिंग स्टोन की खानों के ठेके में अनियमितता

३६३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या खनिज विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि धौलपुर की बिल्डिंग स्टोन की खानों का ठेका मुकन्दा हुँडापाल को दिया गया था, जिसकी मियाद इस वर्ष समाप्त होती थी ?

(ख) क्या यह सही है कि नियमानुसार ठेका इस वर्ष नीलाम किया जाना चाहिये था, परन्तु नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि इन खानों का ठेका मुकन्दा हुँडापाल के ठेके की मियाद में ५ वर्ष की वृद्धि की जाकर इसही को दे दिया गया है ?

(घ) क्या यह सही है कि एम. ई. ने ठेके की मियाद समाप्त होने पर ऑक्शन के लिये तारीख निश्चित कर दी थी ?

(ङ) क्या यह सही है कि कई सहकारी समितियां नीलाम में भाग लेने के लिए तैयार थीं ?

(च) यदि हां, तो सार्वजनिक नीलाम न किया जाकर ठेके की अवधि में वृद्धि क्यों की गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) राज्य सरकार द्वारा श्री मुकन्दा हुंडापाल के नाम धौलपुर क्षेत्र में कोई ठेका स्वीकृत नहीं किया गया।

(ख) (ग) (घ) (ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ३६४

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह राणावत।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६५

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६६

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

महाराजाज़ कॉलेज, जयपुर, के कर्मचारियों द्वारा छात्र रूप में नियमित रूप से क्लासेज में उपस्थित होना

३६७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) महाराजाज़ कॉलेज, जयपुर, के किन किन कर्मचारियों ने सन् १६५८ व सन् १६५६ में किस किस श्रेणी की परीक्षा कॉलेज तथा यूनावर्सिटी के छात्र के रूप में दी हैं ? कृपया इसकी सूची मय इन कर्मचा-

(श्री भैरोंसिंह)

रियों के काम तथा श्रेणी सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) इनमें किस किस वर्ष में किन किन कर्मचारियों ने आज्ञा प्राप्त करके परीक्षा दी है ?

(ग) इन वर्षों में परीक्षा देने वाले कर्मचारियों के ऑफिस अवर्स तथा उन कक्षाओं के चलने के क्या क्या समय निर्धारित हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि कई कर्मचारियों के कक्षा तथा ऑफिस ऑवर्स एक ही हैं तथा दोनों जगह उनकी हाजरी है ? यदि हां, तो यह किस प्रकार से ?

(ङ) क्या यह सही है कि कई कर्मचारियों को इसके लिए दंड भी दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में, किन किन को तथा क्या क्या ? जिनको दंड नहीं दिया गया, उसके क्या कारण हैं ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) यह सूचना भी भाग 'क' के उत्तर में सदन की मेज पर दी गई है ।

(ग) यह सूचना भी सूची में अंकित कर दी गई है ।

(घ) जी नहीं । केवल एक कर्मचारी अकाउन्टेन्ट ने चालीस मिनिट का एक पीरियड ऑफिस अवर्स के समय अटेन्ड किया । बाकी सब कर्मचारी एक्स स्टूडेन्ट तथा प्राइवेट केन्डीडेट की हैसियत से परीक्षा में बैठे ।

(ङ) जी नहीं । क्योंकि प्रिन्सिपल महोदय को सूचित किये बिना ही परीक्षा में बैठ गये । इसलिये प्रिन्सिपल को इसकी जानकारी नहीं थी ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जावे कि प्रिन्सिपल महोदय की बिना जानकारी के ही वे परीक्षा में बैठ गये इसलिये उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जावेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जानकारी आपने दी है । पहले जानकारी थी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उनमें से कई कर्मचारी वहां पर इम्तिहान में बैठे थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कौन कहां पर बैठा, मैं निश्चित नहीं निवेदन कर सकता ।

श्री भैरोंसिंह : आपने ही वह तो अपनी लिस्ट दी है उसमें बताया है कि जो जो एपीयर हुआ वे उस स्थान पर एपीयर हुए थे ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनका सेन्टर कहां कहां था, मैं नहीं कह सकता । कहां से फॉर्म फॉर्वड कराये, कौन से कॉलेज में लगाया, इस तरह के बहुत से प्रश्न उठते हैं ।

Page No.15

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसी सेन्टर पर जिसके अन्दर ये कर्मचारी थे ये लोग इम्तिहान में बैठे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह आपका सोचना हो सकता है। मैंने इसके बारे में निवेदन किया कि निश्चित तौर पर नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनके विरूद्ध अब प्रिन्सिपल महोदय एक्शन लेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

लालसोट तहसील में खुर्रा की माताजी से बिनोरी के हनुमानजी तक एवं कल्लावास व दौलतपुरा ग्राम तक सड़क निर्माण

३६८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार लालसोट तहसील में स्थित खुर्रा की माताजी और बिनोरी के हनुमानजी के यात्रियों की सुविधा के लिये इन दोनों स्थानों तक के एक एक मील लम्बे टुकड़े में सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ?

(२) क्या लालसोट तहसील में स्थित कल्लावास और दौलतपुरा ग्राम तक एक एक मील लम्बी सड़क बना कर इन दोनों बड़े बड़े ग्रामों को सड़क से मिलाकर इन्हें भी विकसित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) कोई प्रस्ताव नहीं है।

(२) कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, इसके विषय में दो साल से कार्यवाही चल रही है। नीचे के ऑफिसरों ने प्लान बनाकर ऊपर के चीफ इन्जीनियर को भेज दिया है तब भी वह दबाकर बैठा है, कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह प्रस्ताव ही नहीं है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह बहुत जरूरी है, इसको जल्दी करने के लिये आश्वासन देना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने निवेदन किया कोई प्रस्ताव ही नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): कोई प्रस्ताव नहीं है तो क्या सरकार का इरादा है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं है।

बूसी – सोमेश्वर सड़क के निर्माण कार्य में देरी

३६६. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची सु:) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बूसी–सोमेश्वर सड़क दो वर्षों से ज्यों की त्यों पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री मनरूपराम परिहार)

(२) क्या यह सही है कि ठेकेदार के १४ हजार रुपये बढ़ाये गये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने हजार रुपये इस सड़क पर खर्च होंगे व अब कब तक सम्पूर्ण कर दी जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री-हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं। सड़क पर कार्य अभी चालू है । माल अब पड़ गया है और कन्सोलिडेशन अब चालू होने वाला है !

(२) एस्टीमेट में ली हुई खानों पर पूरा व अच्छा माल न मिलने के कारण माल कुछ दूर से लाना पड़ा जिसके कारण १४,०००) रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ। कन्सोलिडेशन के अतिरिक्त बाकी काम करीब करीब खत्म हो गया है और कन्सो-लिडेशन चालू होकर शीघ्र ही सड़क पूरी हो जावेगी और लगभग ७,८०,०००) रु० की धनिराशि इस काम पर व्यय होगी ।

श्री बी. एन. जोशी (बांदीकुई) : क्वेश्चन नं० ३७८.

श्री अध्यक्ष : इससे पहले के प्रश्नों को पहले ले लिया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लछूराम ।

(अनुपस्थित)

उप जागीरों की मान्यता से सरकार को होने वाला नुकसान

३७१. **श्री शंकरलाल** [(रायपुर) श्री मनरूपराम परिहार (खारची सु.) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या जागीरदारों में सबसे बड़े लड़के को अलग जागीर देने का रिवाज़ व कानूनी नहीं था, क्योंकि बड़ा लड़का जागीर का हकदार होता था और दूसरे लड़के को जीवनोपार्जन के लिये उप जागीर दी जाती थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या जिन जागीरदारों ने अपने बड़े लड़के को जो अलग जागीरें दीं वे मुआवजे की दृष्टि से अवैधानिक व अमान्य हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि जागीर विभाग द्वारा ऐसी दी गई जागीरों को मान्य ठहराया गया है जिससे राजस्व खजाने में मुआवजा देते समय पुनर्स्थापना की रकम सरकार (Rehabilitation Grant) को नुकसान हुआ है ?

(घ) राजस्थान में ऐसी कितनी जागीरें हैं जिनमें इस प्रकार मान्यता दी गई ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ङ) यदि ऐसी उप जागीरों के देने की मान्यता नहीं दी जाती तो पुनर्स्थापन की

(श्री शंकरलाल)

रकम (Rehabilitation Grant) की सरकारी खजाने में कितनी बचत होती ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) कई जागीरों में था, कइयों में नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। जब कि रिवाज़ के अनुसार मान्य ठहराया गया तो नुकसान का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ङ) जब रिवाज़ ही था और कानून में कोई रोक नहीं है तो मान्यता नहीं देने का प्रश्न ही नहीं है और उस सूरत में बचत का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री हरिश्चन्द्र (निर्माण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नं० ३६६ के उत्तर में मैंने ७ लाख ८० हजार कहा था, उसके बदले ७८ हजार पढ़ा जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

बसवा तहसील में खनिज कार्य

३७८. श्री बी. एन. जोशी (बांदीकुई): Will the Minister for Mines be pleased to state:—

(a) How many leases have been granted by the mines Department in Baswa Tehsil for the current fiscal year for stone quarries and pamfer-beds and what are the names of the lessees?

(b) Is it a fact that a co-operative society had also applied for the grant of the lease but it was given to a private party viz. Jappad & Co.?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) (a) Only one. Shri B. S. Jhaker.

(b) Yes.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

Page No.18

(श्री अध्यक्ष)

श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री हीराभाई ।

(अनुपस्थित)

पाली जिले में काश्तकारों से दुबारा बिघोड़ी की वसूली

३९२. **श्री बेनाराम गहलोत** [(खारची) श्री मनरूपराम परिहार (खारची सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले में ऐसे कितने जागीरदार हैं जिन्होंने जागीर पुनर्ग्रहण होते वक्त सं० २०११ में बिघोड़ी वसूल की है ? क्या जागीरदारों द्वारा वसूल की गई बिघोड़ी मतालबे में काश्तकारों में बकाया निकाली जा रही है तथा अब पटवारी लोग वसूल कर रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि सम्वत् २०११ में जागीरदारों द्वारा वसूल की गई बिघोड़ी उनके मुआवजे की अन्तरिम किश्तों में बाद में नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार, जिन २ गांवों में सम्वत् २०११ को बिघोड़ी जागीरदारों ने वसूल की है, उन गांवों के काश्तकारों से वसूल नहीं करने का आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यह आदेश जारी किया जावेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इसका मुकम्मिल जवाब इस समय नहीं आ सका है क्योंकि काफी लम्बी चौड़ी लिस्ट है, इसलिये तैयार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह ले लें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगले सप्ताह से भी अगले सप्ताह में ले लिया जाय ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : तब तक शायद विधान सभा की कार्यवाही नहीं चलेगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : विधान सभा काफी दिनों तक चलेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह राणावत ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ।

(अनुपस्थित)

बीकानेर–सरदारशहर सड़क

३९६. **श्री भीमसेन** [(लूणकरणसर) –श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री

(श्री भीमसेन)

निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :— क्या बीकानेर–सरदारशहर सड़क निर्माण का अलाइनमेंट (Alignment) कर दिया गया है? अगर हां, तो उक्त अलाइनमेंट में स्थानीय जनता की राय ली गई या नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र): जी नहीं। सामान्य अवस्था में जनता की राय लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

११.४७ म. प.

आयव्ययक १९६०-६१ पर अग्रेतर सामान्य वाद–विवाद

बजट पर सामान्य वा–विवाद।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, बजट पर निवेदन करने से पूर्व मैं इस बात की जानकारी चाहूंगा कि हमारे माननीय वित्त मन्त्रीजी आज कहां हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : जयपुर में ही हैं।

श्री भैरोंसिंह : यदि वे जयपुर में ही हैं तो इस स्थिति में यह अच्छा होता कि वे सदन की प्रतिष्ठा का ध्यान रख कर इस सदन में उपस्थित होते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तक क्वेश्चन अवर का समय बाकी है, १२ नहीं बजे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन अवर भी कोई घर का काम है क्या ? डिप्टी फाइनेन्स मिनिस्टर भी नहीं है और फाइनेन्स मिनिस्टर भी नहीं हैं.......

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : एक एक्स वहां पहुँच गये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : आप फरमाइये।

श्री भैरोंसिंह : मैं उनके सामने ही कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : तो फिर आप बाद में बोल लीजिये।

बजट पर अग्रेतर सामान्यवाद–विवाद।

(विराप)

श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, मेरे ख्याल से मैं एफ. एम. के बिना ही बोल लूंगा क्योंकि डेमोक्रेसी में मंत्रियों की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप को नया नया अनुभव है।

श्री मोतीलाल : डेमोक्रेसी में एफ. एम. प्रेजेन्ट रहें या नहीं रहें, दूसरे मंत्री बैठे हों तो उनकी पूरी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी होती है इसलिये वे जावाब दे देंगे।

(श्री मोतीलाल)

माननीय अध्यक्ष, मैं वर्तमान में जो बजट पर बहस चल रही है उस पर कुछ राय देने के पहले अपने अनुभव की बात कहूंगा। इस बजट को क्या नाम दूँ और किस तरह कहूँ इसके लिये मेरे पास सही शब्द नहीं हैं। लेकिन मैं कोई नाम नहीं दूंगा। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि यह समाजवादी बजट नहीं है। हमने विकेन्द्रीकरण किया। राजस्थान में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण होने के बाद और इस वर्ष के राज्यपाल महोदय के भाषण को सुनने के बाद कम से कम मैं यह आशा करता था कि जिस तरह से विकेन्द्रीकरण करके समाजवाद की रचना का जो कदम उठाया है और उससे जो एन्करेजमेन्ट केवल हमारे प्रदेश को ही नहीं बल्कि सारे देश को मिला है उसके बाद जो बजट आया उसमें संकेत मिलना चाहिये था, समाजवाद आर्थिक स्थिति में लाने के लिये। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण से ही समाजवाद पूरा नहीं हो जाता, वह तो समाजवाद का एक अंग है। उस पर निर्भर रह कर या स्लोगन देकर ही हम आर्थिक विकास देश का नहीं कर सकते। कुछ चर्चा फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इसमें करते, जिस तरह से प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की ओर कदम उठाया, उसी तरह से आर्थिक विकेन्द्रीकरण का यह बजट होगा, ऐसी मुझे आशा थी लेकिन उसमें मुझे समाजवादी ढंग नहीं मिला। सही रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से समाजवादी स्थिति लाने की इसमें रूप-रेखा नहीं मिली। एक-दो उदाहरणों से जाहिर होगा। हम कुछ करना चाह रहे थे सात साल पहले और सात साल बाद हम कहां तक पहुंच गये यह देखने की बात है। एक उदाहरण मैं हाउस के सामने रखूं किसानों का। पहली असेम्बली में हमने एक कानून पास किया था किसानों से छठा बांटा या वन सिक्स्थ ऑफ दि प्रोड्यूस लेने का। हम यह चाहते थे कि इसको वन टेन्थ कर देंगे। कुछ रेवेन्यू के एक्सपर्ट्स और प्रगतिवादी हैं उनका कहना है कि रेवेन्यू लेना ही गलत है और उनका भी विचार है कि लैण्ड रेवेन्यू का देश के अन्दर गलत तरीका है लेकिन हम इस बार ऐसा सोचते थे कि लैण्ड रेवेन्यू में कुछ रिडक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि हम सोचते थे कि गरीबों के ऊपर किसी तरह का बोझा नहीं पड़ेगा लेकिन हुआ इसका बिलकुल उल्टा। हमने देखा कि छठे बांटे के बजाय दसवां या सोलहवां बांटा आयेगा पर ऐसा नहीं हुआ। हम इसके लिए भी तैयार थे कि चाहे डेवलपमेन्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया जावे लेकिन प्रोफेशनल टैक्स किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में कोई भी दुकान लगा सकता है और उसके ऊपर कोई टैक्स प्रोफेशनल नहीं लगाया जाता है लेकिन काश्तकार जमीन के ऊपर मेहनत करता है उसको प्रौफिट होता है या नहीं, लेकिन फिर भी उसको लैण्ड रेवेन्यू देना पड़ता है। उसको अपनी एग्जिस्टेन्स के लिए भी टैक्स देना पड़े, यह होना नहीं चाहिए था। उस रेवेन्यू की मैंने रेट्स भी सुनी है, एक बीघा के ऊपर ५० रुपया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब जागीरदारों के टाइम में सेटलमेन्ट हुआ था तो जैतारण और मेड़ता में चाही लैण्ड पर रेवेन्यू करीब १४-१५ रुपया था और जयपुर के पास में जो कुएं जमीन पर खुद बनाते हैं तो वह भी चाही में शामिल हो जाती है और उस पर भी इतना ही लैण्ड रेवेन्यू देना पड़ता है। वह उस समय गलत तरीका था लेकिन

(श्री मोतीलाल)

उसके बाद में भी एक काश्तकार के पास अगर ३ बीघा जमीन होगी और उसको इतना लैण्ड रेवेन्यू देना पड़े तो बस हो गया उसका तो काम। इन्कम टैक्स देने वाले काश्तकार आज हमारे राजस्थान में नहीं हैं और ऐसा खुद फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने माना है। वे तो अपनी एग्ज़िस्टेन्स के लिए टिके हुए हैं, लेकिन इन्कम टैक्स देने वाले किसान कोई आदमी नहीं है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, किसको टैक्स करें, समझ में नहीं आया कि उसके ऊपर हम टैक्स क्यों लगायें कि जो टैक्स देने की स्थिति में नहीं है ? हम पूंजीपति समाज यानी फ्युडलिज्म को नहीं रखेंगे और इसके लिए हम कदम भी उठा रहे हैं और गरीबों के ऊपर इस प्रकार से बोझ लादना और वह भी उनके ऊपर कि जो इन्कम टैक्स देने के लायक नहीं हैं तो यह समझ में नहीं आया कि ऐसा हम क्यों करें ? इस दृष्टिकोण से हम टैक्स लगा रहे हैं कि हम टैक्स देने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स दें। दूसरे, बजट का प्रथम पेज है लैण्ड रेवेन्यू में किस किस हैड से कितना कितना रुपया आया है और उसका क्या पर्सेन्टेज है, यह सब दिया हुआ है हमारे राजस्थान की पूरी आय है, उसका १७.५ पर्सेन्ट लैण्ड रेवेन्यू की इन्कम से आता है। पहले लैण्ड रेवेन्यु से कम मिलता था और लैण्ड रेवेन्यू में वह टैक्स देते हैं जो कि टैक्स देने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत हाउस से निवेदन करूंगा, आपकी मार्फत रेवेन्यू मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि इस स्थिति को दोहरायें और इसके ऊपर सोचें कि हम जो भी टैक्स लगायें वह साइन्टिफिक वे से लगायें। समाजवाद हम लाना चाहते हैं और वह हम इसलिए लाना चाहते हैं कि मेजोरिटी को सुख मिले और मेजोरिटी के लोग हमारे देश में खेती करते हैं और आज जो उनकी आर्थिक हालत है वह इन्कम टैक्स देने जैसी स्थिति में नहीं है। कमाई करके टैक्स देने जैसी स्थिति में कम से कम वे नहीं हैं और ऐसी स्थिति में भी नहीं हैं कि अपने बाल-बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा-लिखा भी सकें। वे टैक्स देने लायक नहीं हैं क्योंकि वे ज्यादा नहीं कमाते हैं। मैं इसका विरोध करते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार आज जनता की है और हमने सोचा था कि इसके अन्दर समाजवाद लायेंगे। तो अगर कोई चीज़ गलती से आ भी गई है तो आपके मार्फत हाउस से निवेदन करूंगा और सभी माननीय सदस्य सरकार से निवेदन करें कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बतायें कि रेवेन्यू के अलावा और किस हैड से इतनी इन्कम होती है। टैक्स वे देते हैं जो कि टैक्स देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए।

आगे मैं सेल्स टैक्स के बारे में बताना चाहता हूं। हम सेल्स टैक्स का कानून पिछली बार पास कर रहे थे। मैंने देखा है कि किन किन चीजों पर टैक्स लगा है। जिस समय सेल्स टैक्स बिल पास कर रहे थे उस समय विचार किया था कि किस हैड के अन्दर टैक्स लगायें और किसके ऊपर नहीं। टैक्स लगाते समय राजस्थान में गरीबों के दृष्टिकोण को नहीं देखा है। घी नहीं, गरीब लोग तेल खाते हैं उस पर टैक्स लगा दिया, रद्दी ऊन पर भी टैक्स लगा दिया है। रॉ मेटीरियल कम कीमत में मिलता नहीं है और जब हमने तीन

(श्री मोतीलाल)

साल पहले सेल्स टैक्स का बिल पास किया था और हाउस के माननीय सदस्यों ने उसके ऊपर विचार किया था और उसमें उनके ऊपर से टैक्स को छोड़ दिया था और अब जाकर उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं तो मुझे याद है उस समय की बात और मैं यह देख रहा हूं कि हम बजाय आगे जाने के पीछे की ओर हट रहे हैं। सार्वजनिक दृष्टिकोण से गरीबों की जहां उन्नति करनी होती है वहां पैसा लगता है, यह मैं मानता हूं लेकिन उसको मैंने देखा कि वह रुपया कहां लगा जो कि गरीब काश्तकारों ने लैण्ड रेवेन्यू के रूप में दिया। वे आंकड़े अभी तक नहीं मिल रहे हैं कि वह पैसा आपने कहां लगाया है ? मेरे पास पिछले बजट के आंकड़े हैं। मैं इसमें देखता हूं कि एग्रीकल्चर एण्ड कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेन्ट के अन्दर पिछले वर्ष लगा था ६ पैसे और अबकी बार भी ६ पैसे लगे। इसके अन्दर एक रुपया का इतना पर्सेन्टेज आया है। उसके बाद हम देखते हैं सिविल वर्क्स इर्रिगेशन एण्ड इलेक्ट्रिक वर्क्स पहले था ७ पैसा और अब ६ पैसा रह गया यानी १ पैसा कम हो गया। एन० ई० एस० ब्लॉक्स में खर्चा हमारा ३ पैसे से ३½ पैसा लगा है। एज्यूकेशन के अन्दर २२ पैसा था और अब २१½ पैसा हो गया यानि आधा पैसा उसमें भी कम हो गया। भाषण को मैंने देखा है गांव वालों के स्वास्थ्य के लिए जो आयुर्वेद है उसमें भी खर्च नहीं हुआ है तो फिर वह पैसा कहां गया ? इसका दृष्टिकोण नहीं दिखता है। राज्यपाल महोदय के भाषण में भी पढ़ा है कि राजस्थान में पानी की व्यवस्था हो रही है। गांव वालों के लिए ७ लाख रुपया पानी के लिए रखा है और १ करोड़ ९६ लाख रुपया शहर वालों के लिए रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर स्टेटिस्टिकल फिगर्स को देखा जाये तो उनमें साफ लिखा है कि हमारे यहां राजस्थान में ८० प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और बाकी के शहर में रहते हैं, तो फिर गांव वालों के लिए तो ७ लाख रुपया और शहर वालों के लिए १ करोड़ ९६ लाख रुपया। शहर वालों के तो घरों में टूंटी है और जहां आबादी ज्यादा है वहां वह कुओं से पानी लायें।

दूसरा मैंने देखा कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कहीं किया होगा। उसका हैड देखा। हिन्दुस्तान को जो इन्डस्ट्री फीड करती है वह मकराने की इन्डस्ट्री है। वहां पर सारे के सारे मज़दूर हैं, कोई पूंजीपति नहीं है। उस जगह मकराने में बिजली नहीं हैं, मकराने की इन्डस्ट्री का उल्लेख नहीं है। भरतपुर में वैगन फैक्ट्री खुल रही है। कोटा में रेयन फैक्ट्री खुल रही है। भरतपुर में एक पूंजीपति फैक्ट्री करता है तो दो मिनिट में बिजली हो गई लेकिन मकराना इन्डस्ट्री जो कि हिन्दुस्तान को फीड करती है, जिस इन्डस्ट्री ने सोमनाथ मंदिर बनाया, जिस इन्डस्ट्री ने कलकत्ता का विक्टोरिया म्यूज़ियम बनाया, जिस इन्डस्ट्री ने ताजमहल बनाया उस इन्डस्ट्री में बिजली नहीं पहुंची और आप इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं लेकिन एक्चुअली जहां पर है उसको आप नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ रुपया लगाकर बिजली की व्यवस्था करते हैं, मगर मजदूर जहां पर सही रूप से काम करते हैं, जिन मजदूरों ने राजस्थान का फाउन्डेशन बनाया, राजस्थान का निर्माण किया है उनके अन्दर आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं और इन्वाइट करते हैं राजस्थान

(श्री मोतीलाल)

के बाहर के लोगों को। वे राजस्थान के लोग थे लेकिन बाहर रहते हैं और पूंजीपति है इसलिए शोषक हैं, उनको इन्वाइट करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कि जहां तक इसके अन्दर यह देते, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में इस इन्डस्ट्री का डेवलपमेंट होता, जहां कि मज़दूर जमे हुए हैं, आज से नहीं पीढ़ियों से और सदियों से जमे हुए हैं, उनका डेवलपमेंट होता तो मेरे दिमाग में कोई चीज़ आती। आज तक जिन्होंने तपस्या की वहां का डेवलपमेंट नहीं हुआ।

इसके बाद सबसे बड़ा दुःख मुझे इस बात को देखकर हुआ कि सरकार अगर कैश क्रॉप पर टैक्स लगाती तो कुछ मेरे दिमाग में बात आती, शूगर केन पर, कॉटन और तम्बाखू पर टैक्स लगाती तो मेरे समझ में कुछ आता। एक तरफ तो आप फूड प्रोडक्शन का डेवलपमेंट चाहते हैं और दूसरी तरफ फूड प्रोडक्शन पर टैक्स लगाते हैं तो फिर फूड प्रोडक्शन बढ़ने का सवाल नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, हम आंकड़ों को सीधे तरीके से सोचें। हम कुएं बना रहे हैं लेकिन अगर फूड प्रोडक्शन के आंकड़े देखें और दूसरे देशों के आंकड़ें देखें तो अगर राजस्थान के किसान की उन्नति हम चाहते हैं तो उस पर सरचार्ज नहीं लगाया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि बम्बई को लीजिये तो बम्बई के अंदर पिछले ५ साल में जो जमीन फूड प्रोडक्शन में थी वह फूड प्रोडक्शन से हट गई। वह आज तम्बाखू, कपास की खेती में चली गई। फूड प्रोडक्शन पर टैक्स देना पड़ता है तो वह कैश क्रॉप में चली गई। बम्बई में फूड प्रोडक्शन नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां के लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता धान पैदा नहीं करके, मक्का पैदा नहीं करके कैश क्रॉप पैदा करना शुरू कर दिया, तम्बाखू पैदा करना शुरू कर दिया। ६०-७० प्रतिशत जमीन पर फूड प्रोडक्शन नहीं करके वह जमीन उधर चली गई। उसकी जिम्मेवारी हम लें। बम्बई में डेवलपमेंट हो और उसकी जिम्मेवारी राजस्थान के लोग लें कि हम उनको गेहूं सस्ता दें तो हम किसी भी दृष्टिकोण से राजस्थान के जो सही रूप में गरीब काश्तकार हैं उनका डेवलपमेंट नहीं कर पायेंगे।

दूसरी ओर मैंने देखा कि नहरी इलाके में उन काश्तकारों को जमीनें नहीं मिलीं जो कि पीढ़ियों से यह सोच रहे थे कि यह जमीन हमको मिलेगी। पीढ़ियों से काश्तकार उन जमीनों के लिए जागीरदारों से तंग हुए, इतनी तकलीफ पाई, वहां पर सैटिलमेंट के दृष्टिकोण से रेट कम नहीं हुई। इसका एक उदाहरण आपके सामने आया कि टोंक के अन्दर माना है कि सैटलमेंट के रेट ज्यादा है। सैटलमेंट की रेट कमती होनी चाहिए थी। वहां १।६ से भी ज्यादा है। गवर्नमेंट को चाहिए था, रीसेटलमेंट करके रेन्ट कम करे, रेन्ट कम हुआ नहीं और सरचार्ज और लग गया। तो माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि इस सरचार्ज के लिए राजस्थान का काश्तकार बहुत दुखी होगा और इसको हम प्रगतिवादी टैक्स नहीं कहेंगे और हम जो चाहते हैं कि सही रूप से प्रगतिवादी, समाजवादी रूप से लोगों में विकेन्द्रीकरण लाया जाय और गरीबों की स्थिति सुधरे तो गरीबों पर टैक्स नहीं लगावें। दूसरे और रास्ते हैं टैक्स के, मैं सोच रहा था कि रोडवेज़ को नेशनलाइज़ करके सरकार दूसरे रिसोर्सेज़ को

Page No.24

(श्री मोतीलाल)

टेप कर रही है लेकिन जब मैंने बजट में देखा तो और जो रिसोर्सेज़ हैं इन्कम के, उनको टेप नहीं किया गया है। सिनेमा को ले लीजिये। राजस्थान में २००–२५० सिनेमा हाल हैं। उन सिनेमा हाल्स पर टैक्स लगायेंगे तो जनता विरोध नहीं करेगी। इससे हम रद्दी फिल्म नहीं देख सकेंगे और अच्छी फिल्में देखने से हमें ज्ञान अच्छा मिलेगा। एवरेज पर सिनेमा पर १०) रु० भी लगायेंगे तो वह दस लाख हो जायगा। जनता उनको वाह-वाही देगी, जनता आपका शुक्रिया अदा करेगी, इसके साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। सिनेमा के मार्फत जो आज गन्दे गीत सुनते हैं जिनसे बच्चे चरित्र-हीन होते हैं और आये दिन हमारे सामने प्रोब्लम्स आते हैं छुरेबाजी के, सिनेमा के टिकटों पर, वह प्रोब्लम बन्द हो जायेंगे और हमारी समाज शिक्षा बढ़ेगी और हमको रुपया भी मिलेगा और जो सरचार्ज से १०,००,०००) मिलने वाला है वह उससे मिल जायगा।

सिटी डेवलपमेंट के लिए यहां पर आप लैण्ड दे रहे हैं। उसका आप अलॉटमेंट कर रहे हैं, आप बेच भी रहे हैं और नीलामी भी कर रहे हैं। अगर आप नीलाम करेंगे तो गरीबों को नहीं मिलेगी। प्रोडक्टिव लैण्ड काश्तकारों को दी जानी चाहिए जो कि जागीरदारों से तंग हुए हैं, राजाओं से तंग हुए हैं और जिन्होंने मदद की है नेशनल फाइट के अन्दर। उनकी लैण्ड पर तो आप टैक्स लगा रहे हैं और यहां पर शहरों के अन्दर डेवलपमेंट हो रहा है उसमें टैक्स नहीं लगाते हैं। अरबन इम्प्रूवमेंट जहां पर हो रहा है वहां पर आप टैक्स नहीं लगाते हैं। वहां पर टैक्स ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि शहरों को जितना बड़ा हम करते जायेंगे उतनी ही समस्यायें हमारी बढ़ती जायंगी। एक बड़ा सिटी बनेगा तो कई प्रोब्लम्स लायेगा। आज जयपुर शहर नहीं होता तो २ करोड़ खर्च नहीं होता पानी की व्यवस्था पर। ८० प्रतिशत शहर के लोग शिक्षित होते हैं। शहर के लोग समस्याएं पैदा करते हैं। शहर के लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनको कन्ट्रोल करने के लिए २ करोड़ रुपया दे रहे हैं। आप शहरों को इतना बड़ा ही क्यों रहे हैं ताकि गांव के लोग शहरों में आये ही नहीं, वहीं उनको सारी फैसिलिटीज़ दे दें। इसलिए इन्डस्ट्रीज़ का विकेन्द्रीकरण किया जाय। मैंने देखा कि भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में इन्डस्ट्रियल एस्टेट बना रहे हैं। जिनमें आप मजदूरों के रहने के क्वार्टर्स बनायेंगे। कहां बनायेंगे? तो बिड़लाजी की नेशनल बाल बियरिंग फैक्ट्री के पास या पाली में बांगड़जी की पाली मिल के पास बनायेंगे? जो केपिटेलिस्ट्स हैं उनके कारखानों के पास बनायेंगे, लेकिन जहां पर छोटी मोटी इन्डस्ट्रीज़ थीं शहरों के अन्दर कमती पूंजी वाले जो केपिटेलिस्ट्स हैं उनके मजदूरों के लिए होता, मकराने के अन्दर होता, सांभर में होता, जोधपुर में पत्थर की खानों में काम करने वाले मजदूरों की मदद की होती तो मैं समझता कि एक्चुअली आप पूंजीपतियों की मदद नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मिल आप खोलते हैं तो कहां खोलते हैं बीकानेर में खोलते हैं, जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़, या भीलवाड़ा में खोलते हैं, जहां कि इन्डस्ट्रीज़ ऑलरेडी हैं। वहां पहले ही प्रोब्लम्स खड़ी हो चुकी हैं। मैं निवेदन करूंगा फाइ-

(श्री मोतीलाल)

नेन्स मिनिस्टर साहब से कि कई प्रोब्लम्स हैं। तो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां किये जायं जहां पर कि भूमि ज्यादा हो। बिजली का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना मामूली बात है। उस दृष्टिकोण से यहां केपिटल में काफी जन संख्या बढ़ गई है। कई प्रोब्लम्स खड़े हो रहे हैं। उन प्रोब्लम्स को मत करिये। जयपुर से १० मील की दूरी पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट करते तो एक दृष्टिकोण होता। रेलवे स्टेशन वहां भी होता। फुलेरा पर कर लेते। वहां पर जंक्शन है। वहां पर प्रोब्लम खड़े नहीं हुए हैं। किशनगढ़ पड़ा था वहां कर लेते। एक दृष्टिकोण था। जयपुर साउथ के आगे जाकर कर लेते। रींगस में कर लेते। वहां पर जंक्शन मिलता। वहां नहीं जाकर जहां एक्चुअली लोग बैठे हुए हैं वहां करते हैं।

माननीय अध्यक्ष, इसके बाद दूसरा एक प्वाइन्ट जो मुझे अखरा है वह भी कहूंगा। वह है कोऑपरेटिव का। हम बहुत बड़े समाजवादी रचना के अन्दर दो दृष्टिकोण लेते हैं, एक तो प्रोडक्शन करने वाली जो शक्तियां हैं उनका नेशनेलाइज़ेशन करें या कोऑपरेटिव फील्ड में लाया जाय। दोनों फील्ड के मार्फत प्रोडक्शन बढ़ायें और डेवलपमेंट करें। प्रोडक्शन करने में चीजें हैं, खेती से हम अनाज पैदा करते हैं, एनीमल्स, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स और रॉ-मेटीरियल के बाद इन्डस्ट्री आती है। इसके बाद प्रोडक्शन में बच्चे पैदा करना बाकी है। इन पांचों को कोऑपरेटिव फील्ड में और नेशनलाइज़ेशन के फील्ड में लेकर बैलेन्स कर सकते हैं। लेकिन हम कोऑपरेटिव को देखें, जिसकी चर्चा हमने खूब की है, हमारी पार्टी ने की है, गवर्नमेंट ने की है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने खूब की है, लेकिन उस कोऑपरेटिव को सही रूप से मजबूत करने के लिए कोई कदम मैंने इसमें नहीं देखा। मैंने बजट भाषण में पढ़ा कि सेकिंड फाइव ईअर प्लान के एंड में जाकर सात लाख आदमी कोऑपरेटिव फील्ड में आ जायेंगे। माननीय अध्यक्ष, पूंजीपतियों को बढ़ने से रोकने के लिए अगर कोई कदम है तो वह है सहकारिता। वैसे राजस्थान के अन्दर आज पूंजीपतियों की समस्या नहीं है। इसलिए राजस्थान में क्लीन स्लेट है। लेकिन फ्यूडेलिस्ट्स के एंड होने के साथ ही हम एक समस्या इन्वाइट कर रहे हैं, आज हम बड़े बड़े पूंजीपतियों को इन्वाइट करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इन्डस्ट्री आप उनके हाथ में छोड़ देंगे तो फिर एक प्रोब्लम खड़ी हो जायगी, जिसको आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन था कि यह माना हुआ एक सिद्धान्त है, जिसे हमारी कांग्रेस पार्टी ने और गवर्नमेंट ने माना है कि हम कोऑपरेटिव फील्ड को स्ट्रोंगर करें। पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ने के बाद उसके डिस्ट्रिब्यूशन के अन्दर भी कोऑपरेटिव फील्ड को स्ट्रोंगर बनायें ताकि जो बिचोलिये हैं, वे हट जायं। मैंने बजट भाषण में देखा है कि सेकिंड फाइव इयर प्लान के एन्ड तक डेढ़ करोड़ रूरल पोपूलेशन में से सात लाख आदमी कोऑपरेटिव फील्ड में लिये जायेंगे। यह जन संख्या बहुत नगण्य है। अगर हम इसको बैलेन्स भी करना चाहें तो करीब ५० प्रतिशत जन संख्या इसमें आ जानी चाहिए। तो इसको बेलेन्स करने के लिए, उनको शोषण से

(श्री मोतीलाल)

बचाने के लिए कोऑपरेटिव फील्ड बनाते हैं तो हमें ५० प्रतिशत तक जन-संख्या इसमें लानी पड़ेगी। अन्यथा कोऑपरेटिव केवल कोऑपरेटिव के नाम की रह जायगी। मैं निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष, कोऑपरेटिव १९०५ से चल रही है, कोऑपरेटिव का एक्ट १९०५ में बना था। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं हुआ। नागौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को पोपूलर करें और समाजवाद लाने के लिए इसको मीडियम बनायें ताकि नीचे के आदमी मिल कर शक्तिशाली आदमियों से मोर्चा लें और बिचौलियों को हटा सकें। जहां तक जमींदारी और जागीरदारी की समस्या थी उसको हमने हल किया। लेकिन आज कन्जूमर और प्रोड्यूसर्स के बीच में बिचौलिये हैं। मैं मानता हूं कि कन्जूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, किसान मेहनत करता है और प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूसर्स और कन्जूमर्स के बीच में जो आदमी हैं, उनको हटाने के लिए हम कोऑपरेटिव मूवमेंट अपनायें। इस मूवमेंट को सक्रिय रूप देने के लिए नागौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव लाया गया। जिसके द्वारा एग्रीकल्चर फील्ड में इसको सक्रिय करने के लिए एक कदम उठाया गया सर्विस कोऑपरेटिव्ज़ बनाने के लिए, यह निश्चय किया गया कि हर तहसील में मार्केटिंग फेडरेशन बनायें ताकि प्रोड्यूसर्स और कन्ज्यूमर्स को जो चीज चाहिए, वह उनको दे सकें और प्रोडक्शन सही रूप से बढ़ा सकें, इसके साथ ही बिचौलिये भी हट जायं। इस बजट भाषण में बताया कि सात लाख आदमी सेकिंड फाइव इयर प्लान के अंत तक इसमें लायेंगे। माननीय अध्यक्ष, मैं कहूंगा कि यह संख्या बिल्कुल नगण्य है। इससे कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव के नाम से रह जायगी। जैसे राजाओं के नाम कागज के पन्नों में रह गये हैं, इसी तरह इसका नाम कागजों में रह जायगा। इसलिए मैं मानता हूं कि जब तक हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से स्ट्रोंगर न बनायें, तब तक उनके लिए पूंजीपतियों के सामने अड़ना मुश्किल है, पूंजीपतियों के सामने किसानों द्वारा टक्कर लेना मुश्किल है। किसान लोग जागीरदारों और जमींदारों के सामने टिक सकें, लेकिन पूंजीपतियों के सामने टिक नहीं सकते। मैं जानता हूं, सरकार कहेगी कि अगली बार एक करोड़ रुपया लोन के लिए रखेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष, मैं दो मिनट में कह दूं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है। आपके काश्तकारों को जितनी जरूरत है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसका ५० प्रतिशत उसको जब तक नहीं देंगे, तब तक काश्तकार प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता। इसके साथ ही आप जो लोन देते हैं, वह तीन पर्सेन्ट, चार पर्सेन्ट से कम नहीं देते। इसका नतीजा क्या होता है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को छेड़ कर आपने किसानों के सामने एक प्रोब्लम खड़ी कर दी है। पहले किसान बोहरों से रुपया लेते थे, लेकिन अब बोहरे रुपया नहीं देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट को आप कन्ट्रोल करें, इसके साथ ही ५० प्रतिशत रुपया उनको दिया जाना चाहिए। आपने

(श्री मोतीलाल)

जो कोआॅपरेटिव फील्ड के लिए एक करोड़ रुपया रखा है, वह शोर्ट टर्म लोन के रूप में रखा है। इससे भी किसान के सामने दिक्कत आती है क्योंकि जब किसान फसल काटता है, उस समय मार्केट में आता है तो १२ रु०, १४ रु० का भाव होता है, प्याज का तीन रुपये का भाव होता है। यह तीन चार महीने के बाद भाव बढ़ता है। उस समय तक काश्तकार लोन को नहीं चुकाता है तो कोआॅपरेटिव से रिकवरी के लिए नोटिस आता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह उसी भाव में बेच कर लोन का पेमेन्ट करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब तक आप मीडियम टर्म लोन नहीं देते, तीन चार साल के लिए देते तब तक वह बैल नहीं खरीद सकता, कुंआ नहीं बना सकता और फसल को अच्छे रूप में पैदा करने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता। अगर यह नहीं कर पाये तो कोआॅपरेटिव कोआॅपरेटिव के नाम से रह जायगी। इसलिए यह बहुत जरूरी चीज हैं कि सरकार को मीडियम लोन देने के लिए जोर देना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को एक करोड़ के स्थान पर १० करोड़ रुपये देने चाहिए। मैं इसके लिए बहुत ही सरल रास्ता बता सकता हूं और वह रास्ता यह है कि २३२ ब्लॉक राजस्थान में खोले गये हैं, इन ब्लॉक्स में शेयर मनी कोआॅपरेटिव बैंक के अन्दर लिया जाय तो एक आदमी से २० रुपये ले सकते हैं, इससे करीब बारह करोड़ रुपया आ सकता है। मैं चाहूँगा कि आप नेशनल सेविंग की तरफ ध्यान न देकर इस तरफ ध्यान दीजिये। आप हर ब्लॉक के अन्दर शेयर मनी लीजिये, इसके लिए मूवमेंट कीजिये। अगर एक ब्लॉक से पांच लाख रुपया आयेगा तो करीब १२ करोड़ रुपया हो सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए, जिसको कम्प्लीट करके कोआॅपरेटिव फील्ड बनायें। जो लोन दिया जाता है वह तीन तरह का होता है, लोंग टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और शोर्ट टर्म लोन। जहां एक फसल होती है, दो फसल होती है, वहां शोर्ट टर्म लोन देने से कोई फायदा नहीं होता है, इससे सही रूप से मार्केटिंग करके फायदा नहीं होता है।

इसके बाद, क्योंकि समय बहुत कम है,

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए मैं एक बात और कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। माननीय अध्यक्ष, मैंने भाषण में पढ़ा कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने बहुत सादगी और गांधीवादी तरीके से कहा कि मितव्ययता से ४० लाख रुपयों की बचत करेंगे। लेकिन आगे धीरे से कह दिया, क्या मालूम, यह पूरा हो या न हो, इसलिए २५ लाख रुपये की बचत होगी। यह बचत कैसे होगी, जो फ़ोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, उनमें कटौती करके यह बचत की जायगी। मैं मानता हूं, माननीय अध्यक्ष, यह बहुत बड़ी प्रोब्लम है। हम चाहते हैं कि मितव्ययता होनी चाहिए और मितव्ययता के लिए बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट रीआॅर्गेनाइजेशन करें, तहसील रीआॅर्गेनाइजेशन करें तो डिस्ट्रिक्ट रीआॅर्गेनाइजेशन से एक करोड़ ४० लाख रुपया बच सकता है और तहसील रीआॅर्गेनाइजेशन से एक करोड़ रुपया बच

(श्री मोतीलाल)

जायगा । इससे सर्विस क्लास में भी सेटिस्फेक्शन होगा क्योंकि एफीशियेन्सी के दृष्टिकोण से प्रमोशन होंगे । माननीय अध्यक्ष, मेरे पास फिगर्स हैं, मैं निवेदन करूं कि सात हजार तक की तहसील है, जब कि सात हजार की म्यूनीसिपैलिटी होती है । आपकी सात हजार की तहसील है, कनेड़ा, डिस्ट्रिक्ट चित्तौडगढ़ में, इसका एरिया २२३ स्क्वायर किलोमीटर्स हैं । जब कि दूसरी तहसील है तीन लाख की । कोटा जिले की पोपुलेशन आठ लाख के करीब है, जब कि तहसील ३ लाख २१ हजार की है । नागौर की पोपुलेशन आठ लाख की है, जिसमें तहसीलों की जनसंख्या २१ हजार, २५ हजार, ३० हजार तक है। इनकी जनसंख्या ३५ हजार, ४० हजार के नीचे नीचे हैं. जब कि एक लाख, डेढ़ लाख, दो लाख की तहसीलें चल सकती हैं । फिर क्या बात है कि दूसरी तहसीलों को बड़ा बनाया जाय और वे न चल सकें । मैं जानता हूं, सरकार लैंड रेवेन्यू के लिए कहेगी । मैं उसका भी जवाब दे सकता हूं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार नागौर डिस्ट्रिक्ट जयपुर के बाद लैंड रेवेन्यू देता है । इसलिए लैंड रेवेन्यू के दृष्टिकोण से नहीं बनती हैं, बल्कि एरिया के दृष्टिकोण से हम देखें, वह भी नहीं बनती हैं । इसलिए मैं आपके सामने डिस्ट्रिक्ट्स की स्थिति निवेदन करूं, जयपुर की पोपूलेशन है १५ लाख, सिरोही की पोपुलेशन दो लाख, बांसवाड़ा की चार लाख....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : डूंगरपुर की ?

श्री मोतीलाल : डूंगरपुर की तीन लाख की पोपुलेशन है । छोटा से छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है, वह है बूंदी डिस्ट्रिक्ट, उसकी पोपुलेशन है २ लाख ८० हजार, उसके बाद सिरोही की पोपुलेशन २ लाख ३७ हजार आती है । उसके बाद आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर की पोपुलेशन ३ लाख की है । उसके बाद देखते हैं बीकानेर; साढ़े तीन लाख की पोपुलेशन है । टौंक, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का खुद का डिस्ट्रक्ट है, इसकी पोपूलेशन है चार लाख । इसके साथ साथ तहसीलों में भी देखिये । बाड़मेर तहसील है, सरकार कहेगी, बाड़मेर रेगिस्तान है, इसकी जनसंख्या २ लाख १४ हजार है, इसका एरिया ४३०९ स्क्वायर माइल है । आपका बूंदी, या सिरोही का एरिया है, वह भी इससे कम है....

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए ।

श्री मोतीलाल : बाड़मेर है ही, वहां डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है । उसके बाद दूसरा बताऊं. जोधपुर तहसील । इसकी पोपुलेशन २ लाख ७८ हजार है, परबतसर की पोपुलेशन है १ लाख ३५ हजार, नागौर की पोपुलेशन है एक लाख ४१ हजार, भीलवाड़ा की पोपुलेशन है १ लाख ६ हजार । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तहसील सात हजार की है, कोई २० हजार की है, कोई २५ हजार की है । इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिये कि इन सब पर एक्सपेन्डीचर किया जाता है । तो अपने देश में समाजवाद लाने की बात तो दूर है, डेमोक्रेटिक सेट-अप जमाना भी मुश्किल है....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि कनेड़ा तहसील का नाम यहां बार बार लाया जाता है, वह तहसील एबॉलिश हो चुकी है।

श्री मोतीलाल : कनेड़ा तहसील को एबॉलिश कर दिया है तो बहुत खुशी की बात है। कनेड़ा तहसील को छोड़ दें, तो भी कोटा डिस्ट्रिक्ट को कोई तहसील नहीं है जो २० हजार, २५ हजार से ऊपर हो....

श्री दामोदरलाल व्यास : सात हजार की बात आप बार बार लाते हैं।

श्री मोतीलाल : कनेड़ा तहसील को तोड़ दिया होगा। लेकिन और कई २०, २५, ३० हजार की तहसीलें हैं। एक तरफ २० हजार की २५ हजार तहसीलें हैं, दूसरी तरफ डेढ़ लाख, दो लाख की हैं।

(घंटी)

माननीय अध्यक्ष, मैं एक पोइन्ट और निवेदन करूंगा। हम जिस तरह टैक्स बढ़ा रहे हैं, सेल्स टैक्स जिस तरह बढ़ा रहे हैं, उस तरह नहीं बढ़ा कर आप और सोर्सेज़ को टेप कीजिये। जैसे आपने ट्रान्सपोर्ट की स्कीम बनाई है, उसको ड्रोप न कीजिये। उसके बाद उन सोर्सेज को पकड़िये, जिनसे गरीब न मरे, उनका डेवलपमेंट हो। इसके साथ ही जो इन्डस्ट्रीज़ का प्रोग्राम बनायें, तो वे इन्डस्ट्रीज उन स्थानों पर न हों, जो ऑलरेडी डेवलपड हैं क्योंकि डवेलप्ड एरिया का और डेवलपमेंट करेंगे तो सरकार के सामने और प्रोब्लम आ जायेगी।

(घंटी)

माननीय अध्यक्ष, एक पोइन्ट पर कुछ शब्द और कहना चाहता हूं। मिनरल्स में, पत्थर की खानों पर रोयल्टी बढ़ रही है और दूसरी चीजों को छोड़ दिया है। गांवों में जिस पत्थर के मकान बनते हैं, उन पर रोयल्टी बढ़ी है। इसके लिये व्यवस्था नहीं की है, इन चीजों को नहीं बढ़ाया, इसको बढ़ा दिया है, कि जिससे गरीबों के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। यह मैं नहीं कहता कि खर्चे में कमी न करें, खर्च में कमी करें, पर डिस्ट्रिक्ट्स के, डिवीज़न्स के और तहसीलों के और साधनों में कमी कीजिये, जिससे आपके खर्च में कमी आ जायगी और आपका करीब एक करोड़ रुपया बच जायगा।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ समय की सीमा निर्धारित कर दी जाय ताकि सबको बोलने का समय मिल जाय। कई माननीय सदस्यों को राज्यपाल महोदय के भाषण पर भी बोलने का समय नहीं मिला था।

श्री अध्यक्ष : समय तो आधे घंटे से ज्यादा किसी को नहीं दिया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, आज तीन बजे के बाद भी

Page No.30

(श्री भैरोंसिंह)

यह डिबेट कन्टिन्यू रखी जाय तो सबको बोलने का मौका मिल जायगा क्योंकि बोलने वाले काफी रह गये हैं। आज इस डिबेट को कन्टिन्यू रखा जाय और कल मिनिस्टर साहबान जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : यदि बोलने वाले काफी रह गये तो बाद में विचार किया जायगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो वित्त मंत्री महोदय का भाषण मैंने सुना और पढ़ा तो मैं कह सकता हूँ कि वित्त मन्त्री महोदय ने जब से पद ग्रहण किया, इस भाषण को देखने से पता चलता है, बड़े अच्छे, समुचित, सुव्यवस्थित, सन्तुलित और साहित्यिक तरीके से और वित्त के अंकों के तरीके से इसे पेश किया गया है और यह बिलकुल ठीक है।

यदि यह कहा जाय कि यह बजट घाटे का बजट है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह घाटे का बजट नहीं है। आप यह सोचेंगे कि राज्यों का बजट आय के लक्ष्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। नहीं, राज्यों के बजटों में करों और आमदनी को देख कर खर्चे को निर्धारित नहीं किया जाता। यह कोई गृहस्थी का बजट नहीं, किसी दूकानदार का बजट नहीं जो आमदनी को लक्ष्य करके बजट बनाया जाय, बल्कि राज्य के बजट में देखने की मुख्य चीज़ यह है कि प्रशासनिक और योजनाओं के विकास के कार्यों के लिये हमें कितना रुपया खर्च करना है। तो इस स्थिति में यह सोचें कि यह बजट घाटे का है तो यह सही नहीं है। करों को लगा कर बजट को संतुलित और सुव्यवस्थित किया गया है, बजट को संतुलित बनाने के लिये करों का लगाना आवश्यक होता है, इसके लिये मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। जो कर लगाये गये हैं उनको सार्वजनिक हितों की दृष्टि से देखना है कि इन करों का लगाया जाना सार्वजनिक हित में है या नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो राजस्व में सरचार्ज लगाया गया है उसके मैं खिलाफ हूं। मैं बताऊं कि जिस समय एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाया गया तो उस समय सदन के माननीय सदस्यों ने व मैंने भी इसका विरोध किया था कि यह कर नहीं लगाना चाहिए। अब वित्त मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार कर लिया है और एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को हटा दिया। इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह यह जो सरचार्ज लगाया गया है उसका मैं विरोध करता हूँ क्योंकि यह जो सरचार्ज लगाया गया है, वह हमारे सहकारी आन्दोलन के लिये घातक है। हमारा एक तरफ तो यह मूल उद्देश्य है कि सहकारी आन्दोलन को तीव्रता से बढ़ावें और दूसरी तरफ इस तरह का सरचार्ज कर लगावें तो इससे सहकारिता को धक्का लगेगा। आज हम देखते हैं कि सहकारिता, सम्मिलित कुटुम्ब केवल किसानों में ही रह गये हैं। शहरी लोग इन्कम टैक्स को बचाने के जरिये डिवाइड हो गये हैं। तो हम एक तरफ सहकारिता को बढ़ाना चाहें और दूसरी तरफ ऐसा कर लगायें जो सहकारिता को भंग करे तो यह हमारे मूल उद्देश्य के लिये घातक है। सहकारिता में सम्मिलित कुटुम्ब वाले मिल कर काम करते हैं और यदि यह सर--

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

चार्ज लगा दिया गया तो सब किसान सम्मिलित कुटुम्बों को छोड़ छोड़ कर अलग अलग काश्त करने लग जावेंगे और इससे सहकारिता को बड़ा भारी धक्का लगेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कर लगाना उपयुक्त नहीं होगा।

जहां इन्कम टैक्स है, वहां सीमा निर्धारित है, लेकिन यह तो ५० से अधिक यदि ५१ रु० राजस्व भी हो गया तो ६ रुपया सैकड़ा के हिसाब से सरचार्ज देना पड़ेगा। यह स्थिति भी शोचनीय है। इस पर विचार करेंगे और आशा करता हूं कि अव्वल तो इसको हटायेंगे, मैं हटाने का तरीका बताता हूँ। आप अगर एक ही मद में कमी कर देंगे तो जो आपका अपव्यय हो रहा है वह अपव्यय कम हो जायेगा, स्वयं मिनिस्टरी ने तय कर लिया था, निश्चित कर लिया था कि राज्य की कमिश्नरियों को तोड़ दिया जाय जिससे कि काफी बचत हो सकती है। सदन के माननीय सदस्यों ने व मैंने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि इन कमिश्नरियों को तोड़ दिया जाय। इससे सरकार को १० लाख रुपये की बचत होगी। तो यह १० लाख का भार हटा कर यह जो १० लाख का सरचार्ज लगाया गया है उसको कम किया जाय। इस बात को स्वयं मिनिस्टरी भी पहले सोच चुकी है और एक दफा तो तय भी हो चुका था कि कमिश्नरियों को तोड़ दिया जाय। पर आज ये ५-६ आई. ए. एस. हैं, छाये हुये हैं, सरकार इनको हटाना नहीं चाहती। इन आई. ए. एस. लोगों के हाथ में सत्ता है। आज कांग्रेस की सरकार है और समुचित सत्ता कांग्रेस के हाथों में है. इसके लिये सोचना है और आज हमारे यहां यह जो पांच छः हाथी बंधे हुए हैं, उनको पालना है, हटाना नहीं है। अगर इनको पालना ही है, हटाना नहीं है, उनको तनख्वाह देनी है तो इनको साल-दो साल घर बैठा कर तनख्वाह दे दीजिये। पर यह निश्चित कर लीजिये कि कमिश्नरियों को कम करके ही खर्च को कम करना है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : ऐसी बात है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान ने बहुत बड़ी जबरदस्त प्रगति की है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो हमारा मूल उद्देश्य है, प्रजातन्त्र को कायम रखना, यह हमारा मूल उद्देश्य है। यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने प्रजातन्त्र की नींव को जमाने में बहुत बड़ा हाथ बटाया है और सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस सत्ता के विकेन्द्रीकरण से हमारा ध्येय यह है कि प्रजातन्त्र का फायदा हर ग्राम को मिल सके और हमारे यहां ग्राम राज्य हो सके ! इसलिए सरकार ने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस विकेन्द्रीकरण के कारण भी बजट में खर्चे का काफी असर पड़ा है और खर्चा बढ़ा है, लेकिन मैं मानता हूं कि दूसरे देश अपने प्रजातन्त्र के उद्देश्य को कायम रखने के लिये दूसरे देशों को भी सहायता देते हैं, तो ऐसी हालत में हमें अगर इस कार्य के लिए थोड़ा ज्यादा

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

खर्चा करना है तो वह सही है, उसको करना होगा।

इसके अलावा मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर सरकार ने जागीरदारी को समाप्त किया, जमींदारी को समाप्त किया और बिस्वेदारी आदि को समाप्त करके बिचोलियों को हटाया है। लेकिन टिनेन्सी एक्ट में सब-टिनेन्ट्स के लिये जो बात रखी है और उनको ५ वर्ष का समय दिया है और उनको ५ वर्ष तक अधिकार दिया है। इस प्रोविज़न को, मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि हटा दिया जावे। क्योंकि ५ साल तक सब-टिनेन्ट कायम रख कर वह बिचोलिया बना रहता है। खेती किसकी ? जो करता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रोविज़न रख समाजवादी प्रजातन्त्र की नींव ठीक नहीं कर रहे हैं।

अब मैं सिंचाई की तरफ आता हूं। यह सही है कि सरकार ने सिंचाई के सम्बन्ध में बहुतसी योजनाएं चालू की हैं और उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान नहर जो हमारे यहां निकलने वाली है वह राजस्थान प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष की खाद्यान्न समस्या को हल करने वाली है। इसलिये मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर तीसरी पंच वर्षीय योजना जो है उससे इस योजना का खर्चा अलग रखा जावे और भारत सरकार को इसके लिये वह अलग से पैसा देने के लिये निवेदन करे। अगर भारत सरकार से राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में निवेदन नहीं करेगी तो राजस्थान नहर का खर्चा इतना होगा उसके कारण हमारे दूसरे कार्यों को इस तरह पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजा नहर है उसका सारा खर्चा सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर डाले जिससे हमारी तीसरी पंच वर्षीय योजना का खर्चा दूसरी योजना में लगा सकें।

इसी तरह उद्योगों के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रान्त में उद्योग बहुत कम हैं और उसकी कमी है लेकिन फिर भी मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इसके लिये राजस्थान सरकार ने कदम उठाया है। इसके साथ साथ में फाइनेन्स मिनिस्टर ने जो सुझाव दिया है कि हम बन्द मिलों को चालू करने का प्रयास करेंगे। मैंने इस संबन्ध में सुना है कि इन मिलों के कोटा को दूसरी जगह ले जाकर खोलने का प्रयास कर रही है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां पर ये मिलें पहले थीं वहीं पर इन मिलों को चलाना चाहिये और इनका कोटा कहीं दूसरी जगर नहीं दे दिया जावे, इस बात का ध्यान पूरा२ रखा जावे।

इसके साथ साथ फर्टिलाइजिंग फैक्ट्री खोलने के लिये कार्य किया जा रहा है मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां से जिप्सम बाहर बहुत मात्रा में जा रहा है, इसके लिये राजस्थान सरकार को चाहिये कि इस फैक्ट्री जो जल्दी से जल्दी चालू करे और राजस्थान सरकार के द्वारा भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जो बाहर जिप्सम जाता है उसको

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

यहां पर जल्दी से जल्दी काम में लाने के लिए फर्टिलाइजिंग फैक्ट्री चालू करे और वह इसी साल १९६०-६१ में ही रकम इसके लिये मंजूर करे और जिप्सम को यहां से बाहर जाने न दे।

इसके साथ साथ मैं पशुपालन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस संबन्ध में मैं थोड़ा सा आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में चारागाहों की बहुत दिक्कत है और राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट में चारागाह हैं उनको बढ़ाने का कोई प्रोविज़न नहीं है, जहां पर हम कमिश्नर और कलेक्टरों को ये बातें कहते हैं तो वे कहते है कि लैन्ड रेवेन्यू एक्ट में कोई इसके लिए प्रोविजन नहीं है जिससे चारागाह को इन्क्रीज़ किया जा सके। इसलिए मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिस तरह खेतों के लिये जमीन अलॉट करते हैं तो उसके साथ साथ पशु-पालन के लिये भी हमें सोचना चाहिये और उसके साथ साथ चारागाहों के लिये भी जमीन अलॉट करें, यही अच्छा होगा।

अब मैं शिक्षा की ओर आता हूं और मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे प्रान्त में अक्षर-ज्ञान देने के लिए काफी स्कूलें सरकार ने खोली हैं। इसके साथ साथ माध्यमिक स्कूलें और कॉलेजेज़ और दूसरी शिक्षण संस्थाएं खोली हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर दिनों-दिन नीचे गिरता जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों में और हाई स्कूलों में विद्यार्थी प्रवेश करते हैं तो हम पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि आज इन्टर और मैट्रिक के पास विद्यार्थी प्रार्थना पत्र तक नहीं लिख सकते हैं, न हिन्दी में और न इंगलिश में। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले का ८ वीं कक्षा की विद्यार्थी आज की मैट्रिक को पढ़ा सकता है। लेकिन आज की मैट्रिक का विद्यार्थी चौथी और पांचवीं कक्षा को नहीं पढ़ा सकता। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका यह भी कारण है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष राज्य है इसका भ्रम का अर्थ लगाकर हमारे यहां पर धर्म की शिक्षा बन्द है। मैं यह नहीं चाहता कि हिन्दू धर्म की शिक्षा हो या मुसलिम धर्म की शिक्षा हो या बुद्ध धर्म की शिक्षा हो मगर उस धर्म की जो मानव धर्म है उसको शुरू किया जावे, तभी हमारा देश ऊंचा उठ सकता है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : तो क्या यह सरकार निधर्मी है ?

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि सज्जन इसको सुनते रहें और बाद में उत्तर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

अनुशासनहीनता का यह भी कारण है कि स्कूलों में बहुत से लड़के पढ़ते हैं और अध्यापकों का पूरा प्रबन्ध नहीं होता। इसलिये इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हमारे राजनैतिक दल यूनियनों में चले जाते हैं और हम सुनते हैं कि यह कांग्रेस का केन्डीडेट है, यह जनसंघ का, यह कोम्युनिस्ट का है। अगर

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

राजनैतिक दल कॉलेजों में चले गये तो निश्चित रूप से अनुशासनहीनता बढ़ने वाली है। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। हमने हमारी पाठ्य पुस्तकों को भी किस तरह रखा है ? मैं आपको एक पुस्तक का दृष्टान्त देता हूं, जिसमें जनता के राजनैतिक दलों को इस तरह से लाछित किया गया है, उस पुस्तक को हमारी युनीवर्सिटी ने मंजूर किया है। उस पुस्तक का नाम है 'गद्य रत्नावली' आप इस पुस्तक के पाठ ७ को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें कॉंग्रेस की क्या आलोचना की गई है ? अगर इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ाई जावेंगी तो अनुशासनहीनता नहीं मिटेगी। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं।

"गांव पंचायतें जनता का राज लायेंगी

गांव पंचायतें जनता का राज ला रही हैं। महात्मा गाधी का रामराज इन्हीं के द्वारा बहुत शीघ्र आयेगा। गांव पंचायतें साढ़े सात लाख गांवों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वराज्य और सुराज्य लायेगी, यदि इनमें भी भ्रष्टाचार न घुस जाय तो। सच तो यह है कि स्वराज्य तथा सुराज्य सरकार और जनता की सच्चाई और सदाचार पर चलते हैं, अन्यथा जिस देश की सरकार भ्रष्टाचारी हो और जनता इसका साथ दे वह राष्ट्र डूब जाता है। इसलिये सरकार को अपना सुधार करना चाहिये तथा जनता के सामने आदर्श रखना चाहिए कि वह सत्य तथा अहिंसा के पथ से विचलित न हो।"

आगे कहा है कि "यदि गांव पंचायतें इन सिद्धान्तों पर चलेंगी तो देश की जनता (किसान–मजदूर प्रजा) का महान् हित कर पायेगी। अन्यथा, वर्तमान सरकार में जिस प्रकार भ्रष्टाचार घुस गया है इनमें भी वह घुसा तो भारतमय भ्राष्टाचार हो जायगा जिससे हमारी सौमुखी अवनति होगी। कांग्रेस की भूलों से देश में शान्ति और सन्तोष नहीं है। हमारा एक मात्र धर्म यह है कि अब अपनी भूलें देखें और इन देशव्यापी गांव पंचायतों द्वारा देश का दूषित नैतिक वातावरण अनायास शस्त्र के प्रयोग से और योग्यों का आदर करके, शुद्ध करें। इस समय देश की दशा भयंकर है। जरा फिसले कि चकनाचूर हुए। इत्यादि ...." यह किताब हमारे यूनीवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस सरकार ऐसी पुस्तक को नौजवान बच्चों को पढ़ाती है जिसमें उस कांग्रेस के लिये ऐसी बातें कही जाती हैं जिसने देश की बहुत सेवा की है, जिसने देश के साथ बहुत उपकार किया है। उसके बारे में इस प्रकार के पाठ पढ़ाये जाते हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I don't think anything wrong is written in this.

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : I may request the Hon'ble Member to translate into English for me.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : Everybody has a right to write what he likes, I think.

श्री भैरोंसिंह : बातें तो सही हैं, लेकिन लिखी नहीं जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यूनीवर्सिटी की है या सैकन्डरी बोर्ड की ?

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : It is approved by the University of Rajasthan.

श्री अर्जनदास : Probably they are added here....

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि यह टैक्स्ट बुक है क्या ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह तो वे बतायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की पुस्तकें अगर राजपूताना युनीवर्सिटी, जहां कि हमारे राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि भी बैठते हैं नहीं देखेंगे तो यह छात्रों का सुन्दर जीवन निर्माण करने में उपयुक्त नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता की कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, मैं यह भी नहीं कहता कि किसी भी दल में सब ही ईमानदार आदमी रहते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से दल विशेष के लिये पुस्तकों में इस प्रकार से उल्लेख होना उपयुक्त नहीं है।

अब मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा हमारे यातायात मन्त्री महोदय से।

श्री चन्दनमल वैद : एक्स या प्रेजेन्ट से ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : एक्स या प्रेजेन्ट दोनों से। आप बहुत सी सड़कें इस प्रदेश में बनाने के लिये तैयार हैं। आप योजनायें बनाते हैं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जिन सड़कों के लिए आपने प्रोविज़न रखा था और कई प्रश्नों के उत्तर में बताया भी गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये पूरी हो जावेंगी लेकिन जब मैं इस बजट को देखता हूं तो आश्चर्य होता है कि उन सड़कों का नाम तक नहीं है और पैसा भी नहीं रखा गया है और उन सड़कों पर दस हज़ार, पचीस हज़ार रुपया लगाना भी व्यर्थ गया। किशनगढ़ से करकेड़ी रोड के लिये हर बजट में प्रोविजन रखा गया था। इस बजट को देखता हूं तो यह बिल्कुल ही नदारद है। क्या कारण है कि इसके लिये इसमें से प्रोविज़न हटा दिया गया है ? मैं यातायात मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा मितव्ययता के लिये। भाषण में यह बताया गया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और क्लर्क्स की कमी करके मितव्ययता की जायगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में वैसे ही उद्योगों की कमी है और अन्य कई बातों की कमी है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसे कर्मचारियों की कमी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहां बेकारी की समस्या बढ़ेगी। जहां तक हो सके बड़ी बड़ी पोस्टों के बढ़ाने में कमी होनी चाहिये। उन बड़ी पोस्टों को कम करने से ज्यादा फायदा हो सकता है बल्कि छोटी छोटी श्रेणियों के कर्मचारियों को कम करने से नहीं, आज मैं देखता हूं कि बहुत से क्लर्क्स के पास इतना काम बढ़ गया है कि एक क्लर्क अपने कार्य को, बढ़ जाने से, समय पर पूरा नहीं कर सकता, उसके

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

पास काफी काम दिखाई देता है। इसमें शक नहीं है कि क्लर्क कम हैं। यहां पर स्टेटमेंट दिये जाते हैं, उनके देखने से पता चलता है कि ऑफिसर्स का वेतन अधिक है, यदि आफिसर्स के दौरे और उनके भत्तों का हिसाब लगाया जाय तो १० ऑफिसर्स को कम करें तो वे १ हजार क्लर्क्स के बराबर हो जाते हैं। क्लर्क्स के बजाय ऑफिसर्स ज्यादा हैं। हमने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है। इसके साथ ही यदि अधिकारी वर्ग को कम किया जावेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। विकेन्द्रीकरण किया, अच्छा किया। इसके साथ ही साथ खराबी भी बता देना चाहता हूं। अभी मैंने देखा कि पंचायत समितियों के चुनाव होते हैं। पंचायत समिति एक्ट में चुनाव खर्चे पर प्रतिबन्ध का प्रोविज़न नहीं रखा गया है कि एक व्यक्ति कितने रुपये तक खर्च कर सकेगा। अभी सरपंच की ओर से चार हजार रुपया खर्च किया जाता है, केवल चालीस वोट प्राप्त करने के लिए। ४० वोट के लिए चार-चार हज़ार रुपया खर्चा।

एक माननीय सदस्य : दस हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यदि इस प्रकार से सत्ता विकेन्द्रीकरण के चुनावों में हमने गावों में आर्थिक कठिनाइयां पैदा कर दीं कि चुनाव में चार चार हज़ार रुपया खर्च कर दिया जाय, यदि इस प्रकार से इसको प्रोत्साहन दे दिया तो यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा बल्कि दूसरी बातों का विकेन्द्रीकरण हो जावेगा, इसलिए पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट में इसका प्रोविज़न होना चाहिये कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में २५) रु और तहसील पंचायत के चुनाव में पचास रुपया खर्च होगा, इससे अधिक खर्च करेगा तो वह चुनाव अवैध करार दे दिया जावेगा।

श्री मदनसिंह दांता : आपके चुनाव में तो पांच हजार रुपया खर्च हुआ था।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इसके साथ साथ जिला परिषदों का निर्माण किया, लेकिन जिला परिषदें नाम मात्र की हैं। या तो उनको हटा देना चाहिये या उनको कुछ अधिकार देने चाहिये जिससे पंचायत समितियों में कोई इल्लीगल काम हों तो उनको वे देख सकें, वरना खाली जिला परिषदों में व्यक्तियों को बैठा कर समन्वय कराना है तो यह तो जिला विकास अधिकारी भी समन्वय कर सकता है। यदि सरकार यह समझती है कि जिला परिषदें जरुरी हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको अधिक अधिकार व सुविधा देनी चाहिये और साधन देने चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू): माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को इस बात की बधाई दूंगा कि

(श्री भैरोंसिंह)

उन्हें राजस्थान में यह चौथी बार बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस बधाई के साथ साथ मुझे खुशी और भी अधिक होती यदि मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का जो पहला भाषण इस सदन में हुआ था उसकी तुलना में, जो अबकी बार उन्होंने भाषण दिया उसका तुलनात्मक दृष्टिकोण सामने रखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचता कि उनको जो टार्गेट्स एचीव करने थे उन्होंने वे टार्गेट्स हर क्षेत्र में एचीव कर लिये हैं। अब तक जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किये हैं उन सब में यदि मैं ब्योरेवार चालू और सन् १६५६-५७ से यह दिखा कर, सदन के अन्दर इस बात का विश्वास पैदा करने की चेष्टा पैदा करूं कि हमारी राज्य सरकार ने अब तक जितने बजट प्रस्तुत किये हैं उनके अनुमान और अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं उन अनुमानित आंकड़ों और एक्चुअल में काफी अन्तर रहता है, विशेष तौर पर यह अन्तर उस वक्त देखने को मिलता है जब सरकारी टैक्स का ख्याल हमारे सामने रहता है। मुझे कुछ ऐसा लगता है, सरकार ने आंकड़े तैयार किये उनमें हमेशा इस बात की चेष्टा की है, हम कुछ आंकड़े तोड़ मरोड़ कर इस भाषा में दर्शाने की चेष्टा करें जिससे सदन और सदन के बाहर जनता किसी प्रकार इस बात की जानकारी प्राप्त न कर सके कि सरकार ने जितने टैक्स लगाये हैं वास्तव में इतने टैक्स वसूल करना चाहती है या उनकी मात्रा बढ़ाना चाहती है। सन् १६५६-५७ में ३४३.२४ लाख के घाटे का बजट प्रस्तुत किया लेकिन जो एक्चुअल आया, उसमें १७०.०१ लाख का घाटा दिखाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय रेवेन्यू रिसीट थी, उस समय एक्चुअल थी उसमें ज्यादा आमदनी हुई लेकिन उसके साथ साथ सरकार का खर्चा भी बढ़ा है और उसके कारण ३४३.२४ लाख का घाटा बताया गया, टैक्स में बढ़ोतरी हुई, ८४ लाख के टैक्स लगाये. लेकिन एक्चुअल वसूल हुआ, इतना ज्यादा वसूल हुआ कि वह घाटा आगे जाकर १७० लाख का ही रह गया।

अब आप १६५७-५८ के फिगर्स को ले लीजिये, उस समय रेवेन्यु रिसीट्स बताये गये थे २६३८.३३ लाख, इस तरह से ३२१८.६४ लाख एक्सपेन्डीचर बताया गया इस तरह से २२०.६० डेफीसिट बताया गया। लेकिन आगे चल कर १०५ लाख के टैक्सेज़ लगाये, जिनके रिवाइज्ड एस्टीमेट्स आये और इस कारण एक्सपेन्डीचर बढ़ गया २५.३२ लाख इस प्रकार टैक्सेज़ के अन्दर ज्यादा बढ़ोत्तरी होने के कारण एक्चुअल टैक्सेज़ से जो आमदनी हुई १५५.६२ लाख की, इस तरह से ६३.०२ लाख की टैक्सेज़ से ज्यादा आमदनी हुई।

इसी प्रकार १६५८-५६ के बजट में १६.५० का सरप्लस होना घोषित किया गया, लेकिन जब इसके एक्चुअल फिगर्स सामने आये तो यह आगे जाकर घाटे में परिणित हो गया और वह घाटा १६७.४८ का हो गया। इसी तरह से ५६-६० के अन्दर जो बजट आता है उसके फिगर्स को अच्छी तरह से देखा जाय तो पिछली साल जो बचत का बजट पेश किया गया था जिसमें १२.८६ लाख की बचत बतायी गई थी उसके साथ-साथ रेवेन्यू साइड में बताया गया ३६२७.०१ और इसी तरह से एक्सपेन्डीचर साइड में ३६१४.२२ लाख। ऐसी स्थिति के अन्दर

(श्री भैरोंसिंह)

५८ लाख रुपये की पूर्ति टैक्सेज के जरिये की थी। इस तरह से रिवाइज्ड एस्टीमेट्स जो प्रस्तुत किये गये थे उन रिवाइज्ड एस्टीमेट्स के अन्दर आमदनी बढ़ी है और खर्चा भी बढ़ा है। जिस बजट को हमने सरप्लस डिक्लेअर किया था उसमें हमारी आमदनी ५॥ गुना बढ़ी है। जहां एक्सपेन्डीचर के फिगर्स दिये थे उसके अनुसार हमारा एक्सपेन्डीचर भी बढ़ा है, इस तरह से आगे चल कर वह बजट घाटे में परिणत हो जाता है और इस तरह से १३९.३९ लाख का घाटा हो जाता है। अब इस पर हमारी राज्य सरकार कहती है और स्पष्टीकरण देती है उससे कुछ ऐसा पता लगता है कि हमारी सरकार बजट बनाते समय जितने भी आंकड़े प्रस्तुत करती है वह एक तरह से भूल भुलैया में डालने के लिये होते हैं। जहां तक टैक्सेज के लगने का सवाल है और उससे होने वाली आमदनी का सवाल है वह हमारी सरकार को पता नहीं रहता, उसके अनुमान गलत होते हैं जहां तक हमारी एक्सपेन्डीचर की साइड बढ़ती जा रही है वहां बजट का जो एक्सप्लेनेटरी नोट होता है उसको भी हम देखते हैं, उसमें भी इसका पूरा ब्योरा नहीं होता, वहां भी ये सब बातें दबाने की कोशिश की गई हैं। वहां इतना लिख दिया गया है कि ट्रेवलिंग भत्ते से इतना एक्सपेन्डीचर बढ़ जायगा, वेतन दरों के कारण इतनी वृद्धि हो जायगी; इस तरह से कोई आदमी एक्सप्लेनेटरी नोट से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहे वह भी नहीं मिल सकती। इस विषय में किसी भी डिपार्टमेन्ट की जानकारी नहीं है।

सन १९६०–६१ का बजट प्रस्तुत करते समय वैसे तो ७४.२९ लाख का घाटा बताया गया, लेकिन कुछ टैक्सेज़ लगाने के बाद उनसे ९० लाख की आमदनी होगी। उसके बाद यह बजट आगे जाकर १५.१ का सरप्लस होगा, ऐसी बात कही गई है। एक तरफ रिवाइज्ड एस्टीमेट्स के अन्दर रेवेन्यू साइड में ५१९.७७ लाख की वृद्धि हुई है। जिस तरह से रेवेन्यू साइड में वृद्धि हुई है उसी प्रकार एक्सपेन्डीचर साइड भी बढ़ती है। एक्सपेन्डीचर पर कन्ट्रोल नहीं किया रेवेन्यू साइड जो है उसको निश्चित अनुपात के अन्दर कर्टेल करने की चेष्टा नहीं की। ऐसा कर देते हैं तो राजस्थान सरकार के सामने एक समस्या पैदा हो जायेगी। इस पर मैं यह कह सकता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने बजट के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बड़ा ही लुभावना चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें सरकार द्वारा टैक्स लगाने की नीति है उसके आधार पर एक्चुअल नहीं कह सकते कि उससे कितनी आमदनी होने वाली है? लेकिन यह इस बात की द्योतक जरूर है कि जनता को धोखे में डाल कर किस प्रकार से पैसा इकट्ठा किया जाय। बजट भाषण के पेज तीन पर लिखा है :

'प्रारम्भ में दूसरी योजना को अन्तिम रूप देते समय नये कर आरोपण का लक्ष्य ५.१ करोड़ रुपया निश्चित किया गया था, ३.८ करोड़ राजस्व खाते में तथा १.३ करोड़ पूंजीगत खाते में। बाद में राजस्थान के पूर्व गठित राज्य के लिये यह लक्ष्य बढ़ाकर ८ करोड़ रुपये कर दिया गया था। अजमेर के विलय के बाद पुनर्गठित राजस्थान के लिये यह लक्ष्य ९ करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया। प्रत्याशा तो यह है

(श्री भैरोंसिंह)

कि अब हम इस लक्ष्य से ४.५ करोड़ रुपये अधिक प्राप्त कर सकेंगे।'

जहां हमारा लक्ष्य केवल ६ करोड़ रुपये वसूल करने का था वहां यह जाकर ४.५ करोड़ रुपया अधिक प्राप्त करने का हो गया। मेरा इसको दूसरे तरीके से निवेदन करने का मतलब है, जहां आप टैक्स के जरिये ६ करोड़ रुपया जनता से वसूल करना चाहते हैं लेकिन आपके कथन से यह आपने उस टार्गेट्स से अधिक ४.५ करोड़ रुपया वसूल किया है। यह इस बात का सबूत नहीं कि टैक्स के नाम पर जो छोटे छोटे फीगर्स देते हैं और कहा यह जाता है कि अमुक टैक्स के लगने से २० लाख की आमदनी होगी आगे जाकर, वह १.६० लाख की पोपूलेशन में डिवाइड करते हैं तो एक एक नया पैसा से ज्यादा नहीं पड़ता है। इस तरह से एक व्यक्ति के मामूली पैसे हिसाब से आ जायेंगे इसमें किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रत्यक्ष होता क्या है कि जहां जहां भी टैक्स से होने वाली आमदनी का अनुमान लगाया है वह हमारा गलत बैठा है, उससे कहीं अधिक आमदनी हमारी बढ़ी है। जहां आपने अनुमान ४२ लाख रुपये का लगाया तो वहां ८० लाख रुपया हुआ है जहां ८० लाख का अनुमान लगाया है वहां १.२० लाख रुपये की आमदनी हुई है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करूं कि पिछली बार इस सदन के अन्दर जानकारी दी गई थी, पेसेन्जर और गुड्स पर कुछ टैक्स इम्पोज़ किया गया था, उस समय यह घोषणा की गई थी कि इससे करीब ३० लाख की आमदनी होगी। उधर बैठने वाले कुछ सदस्यों ने यह भी कहा था कि ३० लाख रुपये की आमदनी हो जाय यह भी गनीमत है। लेकिन एक्चुअली देखा जाय तो वह केवल तीस लाख रुपये ही वसूल नहीं हुए बल्कि उससे कहीं अधिक की वसूली हुई है। उस समय तो केवल वित्त मंत्री महोदय एक सूक्ष्म सा भाषण देकर बैठ गये थे। लेकिन एक्चुअल आमदनी वह जाकर ५२.२८ हुई है। हमें देखना यह है कि जो चार्ट टैक्सेज़ का यहां बताया गया है सरकार ने कितना तो वसूल करने का इरादा रखा है और आखिर वसूल कितना हुआ है? हमारी राजस्थान सरकार जनता को तो यह बताना चाहती है की हम बहुत ईमानदार हैं और जो भी टैक्स लगाते हैं उससे बहुत कम आमदनी होती है इसप्रकार जनता को ठगने की कोशिश करते हैं। अगर इस प्रकार का राज्य अंग्रेजों के समय में होता तो कभी का उसे समाप्त कर दिया जाता लेकिन आज प्रजातंत्र है, बहुमत के आधार पर शासन चलता है कहीं इल्जाम नहीं लगा सकते, आप किसी की आलोचना नहीं कर सकते। आखिर इस प्रकार से जो टैक्स आप वसूल करते हैं क्या वह जनता के साथ धोखा नहीं है। सरकार ने आंकड़े बनाने के अन्दर, अनुमानित आंकड़े बनाने के अन्दर हमेशा गलती की है। जहां तक टैक्स के बारे में अनुमानित आमदनी का सवाल है उसमें सरकार के आंकड़े कभी सही नहीं रहे हैं, जितनी आमदनी की अपेक्षा की जाती है उससे कहीं अधिक आमदनी उससे होती है।

१ म० प०

वित्त मंत्री महोदय ने दूसरी प्लान का

(श्री भैरोंसिंह)

टार्गेट ६ करोड़ रुपये रखा था, यह निर्णय आपके और भारत सरकार के बीच में हुआ, लेकिन आपने उसकी जगह १३ करोड़ रुपये वसूल कर लिये। आप यह इतना रुपया किस आधार पर वसूल कर रहे हैं, कौनसा ऐसा कमिटमेंट है जो आप ६ करोड़ की जगह १३ करोड़ रुपया वसूल कर रहे हैं ? आप गरीब जनता से टैक्स के नाम पर ज्यादा पैसा वसूल कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कमिटमेंट का सवाल नहीं, आपको तो पैसा इकट्ठा करना है चाहे वह किसी भी तरह से हो। हमारी राज्य सरकार कहती है कि जितने हमारी प्लान के टार्गेट्स थे उनमें से ९६ पर्सेन्ट हम कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, एक विचारने की बात है। प्लान के टार्गेट्स तो होंगे ९६ पर्सेन्ट पूरे और टैक्सेशन के सारे पर्सेन्ट वसूल होंगे, तो यह किस बात का द्योतक है ? सरकार का बजेटिंग का मैथड गलत है, वरना ९६ पर्सेन्ट टार्गेट्स एचीव करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसी अनुपात में हमारे जितने टैक्सेज हैं, आमदनी के रिसोर्सेज़ हैं उनकी संख्या भी उसी अनुपात में घटनी चाहिए। पर रिसोर्सेज को और एडीशनल टैक्सेज को तो और एड करते हैं और टार्गेट्स के लिये कहते हैं कि ९६ पर्सेन्ट एचीव करेंगे। ये दोनों विपरीत बातें समझ में नहीं आई। वित्त मन्त्रीजी, उम्मीद है, अपने भाषण में इसको स्पष्ट करेंगे कि यह किस प्रकार है ?

इसके साथ वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में जो सबसे बड़ी बात कही और जिसकी तारीफ सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने की, तो मैं भी उनकी इस बात के लिये तारीफ करूंगा कि आज हमारी सरकार मेजोरिटी में है। उसको खत्म होने का कोई डर नहीं है। कुछ स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार की व्यवस्था लाकर कहें कि हमें टैक्स लगाने हैं, हमारी आवश्यकताएं ये हैं, उनकी पूर्ति के लिये लगाने हैं तो मेजोरिटी के बेसिस पर वे अपने इस बजट को पास करवा लेंगे और इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। पर बजट स्पीच को पढ़ा। इस तरह से लिखा है कि टैक्सेज़ का सरलीकरण होगा। टैक्सों के वसूल करने में या लगाने में दिक्कतों को दूर किया जावेगा। दिक्कत तो रहती है टैक्सेज के देने में, लेने में और इसके अन्दर सरकार को होती है एडीशनल इन्कम। इसी तरह पेट्रोल के नाप तोल की प्रणाली में फर्क आने से टैक्स बढ़ता है। मैं समझ नहीं पाया कि यह किस तरह का तरीका है सरलीकरण का। यदि सरल करने का यही तरीका है तो क्या यह मानने को तैयार हैं कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का कोई तरीका चालू नहीं हो सकता कि जिसके सरल होने के बाद में टैक्स नहीं बढ़े। क्या वह इस स्थिति में है, नाप तोल के तरीके बदले हैं भारत सरकार ने पर उनको लागू करने से और सरलीकरण करने से लोगों पर किसी प्रकार का भार नहीं पड़ेगा, अगर इस प्रकार का कोई सरलीकरण का तरीका सरकार नहीं ला सकती तो सरकार यह मानकर चले कि यह उसकी स्पष्ट अयोग्यता है। सरकार सरल करना चाहे, पर तोल बदलने के नाम पर अधिक टैक्स लेना चाहे तो यह कौनसा सरलीकरण आपका हुआ, यह

Page No.41

(श्री भैरोंसिंह)

हमारी समझ में नहीं आया । सरलीकरण का मतलब यह है कि सहूलियत देना । पर टैक्स भी बढ़ा देना और सरलीकरण की बात कहना, ये दोनों बातें साथ नहीं चल सकतीं । इसी तरह वित्तमन्त्री ने स्पष्ट तौर से कहा इधर : "माननीय सदस्यों को विदित होगा कि विगत दस वर्षों में अन्य देशों की तरह भारत की आर्थिक प्रवृत्तियों में भी मुद्रा की अपस्फीति (deflation), स्फीति (inflation) और संस्फीति (Reflation) के लक्षण प्रकट हुए हैं, परन्तु हमने अपने जबर्दस्त प्रयत्नों द्वारा इन सब पर काबू पा लिया है और स्थायित्व व आत्मविश्वास की स्थिति पैदा कर ली है जिससे हम ऐसे पथ पर चल रहे हैं जो हमको आर्थिक समृद्धि की ओर निश्चित रूप से ले जा सकेगा।"

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी भारत सरकार की ओर से लोकसभा में बजट प्रस्तुत हुआ था और जो उस पर वहां डिबेट हुई उसको मैंने रेगुलर पढ़ा है । भारत सरकार ने आज तक यह नहीं कहने की हिम्मत की कि आज वह इस स्थिति में है कि डिफ्लेशन, इन्फलेशन और रिफ्लेशन की, इन सारी व्यवस्थाओं पर उसने काबू पाकर यह आत्म विश्वास पैदा कर लिया है कि जिससे वह आर्थिक समृद्धि की स्थिति में पहुंच गई हो । अब मैं समझ नहीं पाया कि वह आत्म-विश्वास का इन्स्टिंक्ट हमारे वित्तमन्त्रीजी को कैसे मिल गया कि वे बार बार यह कहें कि हमने कठिनाइयों पर विजय हासिल कर ली है । मैं आपको बताऊं, शायद आपकी जानकारी न हो, तो मैं यह कहने की स्थिति रखता हूं अपस्फीति, स्फीति और संस्फीति आदि की ये जितनी दिक्कतें हैं उनका मापदण्ड बाज़ार में मिलने वाली चीजों की कीमतों से आपको मालूम हो जावेगा । मध्यम और निम्न श्रेणी के लोगों की खाने, पीने, पहनने आदि की चीजों के आज बाजार भाव क्या हैं ? आप उनको देखने के बाद बतावें कि यह दिक्कत किस तरह दूर हो गई । कैसे रास्ते आपने अपनाये हैं ? बाजार में बाहर जाकर देखें तो आपको पता चल जावेगा कि जिस वस्तु की कीमत पहले दो रुपये थी वही चीज़ आज तीन, साढ़े तीन और चार रुपयों में बाजार में मिलती है और जिस राज्य में चीजों का भाव बढ़ेगा, जिस राज्य में चीजें मंहगी मिलेंगी, आप चाहे कितनी ही बातें करते रहें, भाषण कितने ही बड़े लम्बे चौड़े दे डालें, भाषण में दस-बीस लाइनें लिखें या कुछ भी करें पर ये बाजार भाव अगर बढ़ते ही जाते हैं, लोगों की लिविंग स्टेन्डर्ड की चीजों की कीमतें बढ़ती ही जाती हैं, तो कोई राज्य यह नहीं कह सकता कि हमने आत्म-विश्वास प्राप्त कर लिया है, कि हमने इन लक्षणों पर काबू पा लिया है और इनके बाद में कोई सही स्थिति में चल रहा हो । इस स्थिति में मैं ऐसा समझता हूं कि कई बातों के अभाव की बात कही गई पैराग्राफ ६२ में कि:

"सार्वजनिक ऋण की इस बड़ी धन-राशि से घबराने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो अर्थ-व्यवस्था तीव्र वेग से विकास-मान होती है उसमें सार्वजनिक ऋण लेना अपरिहार्य हो जाता है ।"

इसके लिए सरकार कहती है हमने असेट्स बना लिये हैं और असेट्स बनाने के बाद में कर्जा है आपके ऊपर

(श्री भैरोंसिंह)

उसकी चिन्ता नहीं, असेट्स से चुका देंगे। आप पर आज कर्जा है एक अरब ४२ करोड़ के करीब। उसको चुकाने की चिन्ता आपको नहीं है। चिन्ता इसलिए नहीं कि हमने कुछ असेट्स कमा लिये हैं। मैं चुनौती दूँगा कि वित्तमन्त्रीजी अपने सारे फाइनेन्स डिपार्टमेंट को लगा दें और फिर बतावें कि ऐसे कौन कौन से असेट्स हैं आपके जिनके टार्गेट्स अचीव कर लिये हों और उस सफलता के बेसिस पर अचीव किये हों कि उन असेट्स से होने वाली इन्कम को और ऋण का सही अनुपात लगा सकते हों। मैं कहता हूं, इसके लिए सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। ऋण की अदायगी का और असेट्स की इन्कम का सही अन्दाज आपने कभी नहीं लगाया। सरकार ने इसके लिये कोई कोशिश नहीं की, कोई अनुपात का पता आपको नहीं। फिर आपके असेट्स की बात कहूं। आपके असेट्स ऐसे होंगे जो अपने आप में एग्ज़ॉस्ट हो गये होंगे! उनको आपने गिनती में ले रक्खा है। उनसे तो आपको कोई आमदनी नहीं, खर्च ही होगा। अगर आपके पास तैयार हो तो आइये इस सदन में व्योरेवार आंकड़े आप प्रस्तुत कर दें और प्रतिशत लगा कर बतावें कि इतनी आमदनी हुई है और आगे चल कर इतने प्रतिशत बैठेगा।

तो समझ में आ सकता है कि हमारे असेट्स किसी प्रकार से हमारे देय होंगे। इसमें लिख दिया कि चिन्ता करने की जरूरत नहीं। ठीक है। चिन्ता आपको करने की जरूरत नहीं। आप आज मन्त्री हैं, कल चले जावेंगे। आपको क्या चिन्ता है। चिन्ता तो होगी राजस्थान की एक करोड़ सात लाख जनता को जिसको कि एक अरब ४८ करोड़ रुपया जमा कराना है। सारी जनता से वसूल होगा। मैं जनता का नाम बार बार लेता हूं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी होते यहां तो इस बात की भी उनको चिढ़ होती कि जनता का नाम मैं कैसे लेता हूं, क्यों जनता के रूप में बोलता हूं। पर बदकिस्मती से वे हैं नहीं आज यहां, नहीं तो मैं यह भी बताता कि वे जनता की ओर से बोलने के हकदार किस तरह से हैं और मैं किस तरह से नहीं हूं।

पर इस सारी परिस्थिति में मैं यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार से यह बजट प्रस्तुत किया गया है यह बजट किसी तरह से मुगालता देकर, लोगों को आंकड़े गलत बताकर, कुछ चीजों को छिपाकर, जनता से पैसा इकट्ठा करने का एकमात्र प्रयास है, सफल प्रयास है। मैं कह सकता हूँ, उनको सफलता मिलती है, मिलती रही है, कभी वे असफल नहीं होते और इसके लिए मैं कोई उजर नहीं करूंगा, बल्कि बधाई दिये बगैर नही रहूंगा। पर यह सोच सकता हूं कि बधाई उनको दूँ या माननीय वित्तमन्त्रीजी, जैसा कहा करते हैं यह तो सारा श्रेय मेरे वित्त सचिव को है जिनके कागजों पर मैं तो आंख मूंदकर दस्तखत करता हू। तो उनके मार्फत उनको बधाई पहुँचाऊं। यह वे स्वयं निश्चित करें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): इस बधाई का पात्र मैं ही रहना चाहता हूं।

(हंसी)

Page No.43

श्री भैरोंसिंह : आपका तो नाम चलता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि मितव्ययता के नाते हमारी सरकार ने यह बात रक्खी है कि जिससे सबसे पहले नजला उनका छोटे कर्मचारियों पर पड़ा है। जितने भी ये अल्प-वेतनभोगी कर्मचारी हैं एल. डी. सी, ये मिनिस्टीरियल स्टाफ के व्यक्ति या ये चपरासी उन पर वित्तमन्त्री महोदय की नज़र पड़ी है। अब यदि कोई उनसे पूछे कि क्या राजस्थान सरकार ने इस बात की भी जांच की है कि इस मिनिस्टीरियल स्टाफ को हटाये बिना या उनका नया रिक्रूटमेन्ट बन्द किये बिना क्या राजस्थान सरकार ऐसी अन्य व्यवस्थाएं नहीं कर सकती जिससे मितव्ययता का सुबूत वह प्रस्तुत कर सकती। उन्होंने फाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमीशन का हवाला दिया। मैंने भी उसकी रिपोर्ट को देखा है, पढ़ा है। उसका रेफ्रेन्स दे सकता हूं, पर समयाभाव से नहीं देना चाहूँगा। पर इतना कह सकता हूं कि उसमें और भी कई तरह की सिफारिशें की गई हैं। उसने यह भी कहा है कि देवस्थान कमिश्नर को हटाया जावे। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन कमिश्नर को हटाया जावे, डिवीज़नल कमिश्नरों को हटाया जावे और अगर उनको नहीं हटाते हो तो उनको और भी ड्यूटीज़ आयद की जावें जिनके कारण बाकी के विभागों का कन्सोलीडेशन होकर काम किया जा सके और उनका खर्चा किसी प्रकार से काफी कम किया जा सके, और इसी तरह के कई सुझाव दिये गये हैं इस सरकार को, पर यही सबसे पहला सुझाव नजर आया है कि इन लोगों को किसी प्रकार से कम कर दें। मैं इस सिलसिले में इतना ही कहना चाहूंगा कि बजट प्रस्तुत करते समय खास तौर से दो प्रकार के व्यक्तियों की सबसे ज्यादा नज़र उस पर होती है एक सर्विस क्लास और उसमें भी वह क्लास जिसको कम वेतन मिलता है और वह अपने वेतन में वृद्धि की अपेक्षा रखता है या वे लोग जो बेकार हैं, जो एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज के दफ्तरों के रजिस्ट्रेशन कार्ड लिये लिये इधर उधर चक्कर काटते फिरते हैं। तो इस तरह इन दो प्रकार के लोगों की आज के युग के बजट पर नज़र रहती है। मैं उन व्यापारियों की बात नहीं करता जो भाव ताव के वास्ते चिन्तित रहते हैं। पर मैं उन लोगों की उत्सुकता की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं जो सुबह घर से निकलते हैं बड़ी आशाएं और उत्सुकता दिल में लेकर कि आज बजट प्रस्तुत होने वाला है, हमारी तनख्वाह में पांच रुपये की बढ़ोत्तरी होने वाली है, कुछ सुविधाएं मिलने वाली हैं। ये एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के ऑफिस के चक्कर काटने वाले, बेकार नवयुवक अपने सार्टिफिकेट्स अपनी बगलों में दबाये, एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के कार्ड हाथ में लिये आजीविका की खोज में दर दर की ठोकरें खाने वाले ये नवयुवक आतुरता से आंख लगाये बैठे हैं आपके बजट पर की आज बजट पेश होने वाला है, सरकार की कोई स्कीम सामने आने वाली है जिसमें इतने लोगों को धन्धा मिलने वाला है, पर इसके बाद में आपका बजट देखकर सब्र करके वापिस जाते हैं।

लेकिन मैंने दोनों विषयों को अच्छी तरह से देखा है। इसके अन्दर अब की बार जो राज्य सरकार ने बजट पेश किया है उसमें केवल १५०० अध्यापकों की व्यवस्था की है, जैसे राजस्थान के अन्दर केवल १५०० ही आदमी बेकार हैं। बेकारों की संख्या अगर किसी से मिल सकती है तो वह एम्पलॉयमेन्ट एक्स-

(श्री भैरोंसिंह)

चेन्ज से मिल सकती है और उससे मालूम हो सकता है कि शहरों में कितने बेकार हैं, गांवों में कितने बेकार हैं। आपका थर्ड फाइव ईयर प्लान का ड्राफ्ट है उसके पैरा नम्बर २ में बताया है कि उस समय तक हमारी रूरल पोपुलेशन कितनी बढ़ेगी और अर्बन पोपुलेशन कितनी बढ़ेगी और लेबर फोर्स कितनी बढ़ेगी और उनके लिए किस प्रकार के कितने कितने एम्पलॉयमेन्ट चाहिए। अगर मैं इस की गहराई में जाऊं तो काफी समय लगेगा। अगर आपको फिगर्स देखने हैं तो आपने जो थर्ड फाइव ईयर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया है उसके चैप्टर में देख लो। जिसमें पोपुलेशन के बेसिस पर और लेबर के बेसिस पर कुछ आंकड़े दिये हैं। बेकारी बढ़ती जा रही है। विकास के काम हो रहे हैं, ट्रान्सपोर्ट का काम हो रहा है, बनों की सफाई हो रही है और भी दूसरे बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन बेकारों की संख्या भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज सरकार प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है तो अगर वह प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है तो प्रोडक्शन उनके जरिये बढ़ाये जो कि आज दिन बेकार हैं। There should be production for the masses.

श्री विशम्भरनाथ जोशी (चांदीकुई) : On a point of inpormation, Sir, क्या माननीय सदस्य के कहने का आशय यह है कि सब बेकारों को मास्टर बना दिया जाये ?

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य बुद्धि से काम लें तो अपने आप समझ जायेंगे।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीन सदस्य के कहने का आशय यही निकलता था....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a point of order, Sir. माननीय सदस्य की बुद्धि पर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : मैंने उनकी बुद्धि पर आक्षेप नहीं बल्कि उनकी तारीफ की है। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि उस स्थिति में हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे प्लान्स के काम हैं उन प्लान्स के सारे कामों में क्या इस प्रकार की व्यवस्था करके चलते हैं कि हमने पिछले पांच वर्षों में इतने बेकार लोगों को धंधा दिया है और उसके बावजूद भी इतने लोग बेकार थे उन बेकारों का जो बैलेन्स है उस बैलेन्स को और जो पांच वर्षों में बेकार बनेंगे उन सब को जोड़ने के बाद राजस्थान की जो स्थिति होती है उसमें हम किस प्रकार के काम पर उन बेकारों को लगायेंगे जिससे हम बेकारी को दूर कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बेकारी बढ़ती जा रही है। मजदूर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, गांवों में बढ़ती जा रही है, लेकिन जो फिगर्स खर्च करने के बताते हैं वह सारे खर्च करने की दौड़ में आप लगे हैं। आप सोचते हैं कि जो पैसे खर्च करने हैं बस उन्हें खर्च करते जाइये। इस प्रकार की दौड़ से राज्य सरकार के बजट में कोई चीज ऐसी नहीं दीखती जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि राजस्थान में जो बेकारी की संख्या है उसकी पूर्ति के लिए इसमें किसी प्रकार की मितव्ययता हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही साथ उन अभागे लोगों का जिक्र करूंगा जो कि भारत

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पे कमीशन बैठा था और उसने रिपोर्ट दी थी उसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सोचा था कि उनके लिए भी कुछ किया जायेगा, लेकिन उसकी तरफ से उनको निराशा हुई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी धुन लगी थी कि वह समाजवादी सरकार के लाने वाले महोदय जो समाजवादी अर्थव्यवस्था लाने की बात करते हैं वे उसमें बिलकुल असफल रहे हैं। पिछली बार वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में ४ बातें बताई। इन चार बातों को उन्होंने बताया था कि :

" विकास कार्यक्रम की मुख्य रचना वैयक्तिक व सामुदायिक जीवन के जिन चार पहलुओं अथवा तथ्यों पर केन्द्रित होनी चाहिये वे हैं :-आर्थिक स्थिति, घर, शिक्षा व स्वास्थ्य तथा मनोरंजन "

ये चार बातें उपस्थित की थीं। जिस समय पहले बजट पेश हुआ था उस समय चार लक्ष्य निर्धारित किये थे। इनकी पूर्ति के बारे में यदि कोई जांच की जाये तो मालूम होगा कि कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। आज सरकार नहीं बता सकती कि असमानता का क्या इन्डेक्स है और उसमें कितना अन्तर है लोगों की पर-कैपिटा इन्कम कितनी हुई है, इसको आप नहीं बढ़ा सके। पर कैपिटा एक्सपेन्डीचर क्या है इसको अधिकृत रूप से सरकार नहीं कह सकती। इससे हम कैसे अन्दाजा लगा सकते हैं कि लोगों की इतनी आवश्यकतायें हैं और उनकी पूर्ति इस प्रकार से की जा सकती है ? भारत सरकार ने पे कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया कि भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको ८० रुपये से कम तनख्वाह न दी जाये। पे कमीशन ने ऐसा माना था कि जितने भी खाने के पदार्थ हैं उसके लिए एक फेमिली जिसमें चार आदमियों का यूनिट माना है ५२ रुपये के बिना खर्चा नहीं चल सकता और बाकी के जो २८ रुपये बचते हैं वह कपड़े और बाकी की जो अन्य जरूरत की चीजें हैं उनके लिए है। इन ८० रुपयों के बिना एक परिवार का काम नहीं चल सकता और इस सिफारिश को भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मान लिया है। आज राजस्थान में अगर हम देखें तो किसी को ४०, किसी को ४५ और किसी को ५० रुपये मिलते हैं। यदि आज कोई पोस्टऑफिस में काम करने वाला पोस्टमैन है या उसके समानान्तर कर्मचारी हैं उसको तो तनख्वाह मिलेगी १२० रुपये और एक हमारे राजस्थान का चपरासी है उसको तनख्वाह मिलेगी ५० रुपये और फिर आज सरकार कहे कि हमें समाजवाद लाना है। तो आखिर यह किस प्रकार का समाजवाद है ? आज राजस्थान में २५०० रुपये की तनख्वाह भी पाने वाले मिलते हैं और उस सारी तनख्वाह के अनुपात में आपने किस प्रकार का क्या परिवर्तन किया है। मैंने देखा है कि आपने इस बजट में जिनको कम तनख्वाह मिलती है उनको एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की है। मैं तो कहता हूं कि जिनको बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलती है उनकी तनख्वाह में आप कमी क्यों नहीं करते हैं ? सेक्रेटेरियट में हम ने देखा है कि वहां के कर्मचारियों को स्पेशल पे मिलती है। उनको आखिर फिर स्पेशल पे क्यों मिलती है ? उनको बाकी के सब अलाउन्स मिलते हैं लेकिन आप उनको स्पेशल

(श्री भैरोंसिंह)

पे देते हैं। कुछ पोस्ट्स आपने स्पेशल पे के लिए रिज़र्व कर रखी हैं। यह आप उन्हीं को देते हैं जिनके ऊपर आप मेहरबान हैं। किसी को तनख्वाह ज्यादा देनी हो उसको आप सेक्रेटेरियेट में ले लेते हैं और स्पेशल पे दे देते हैं। आप किसी के ऊपर खुश हो जायें और उसको सेक्रेटेरियेट में ले लें यह जो आपने रियासती फण्ड दे रखा है इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार, मैं समझता हूं कि अपनी बुद्धि से काम नहीं करती उन लोगों की बुद्धि से काम करती है और बदकिस्मती है राजस्थान सरकार की कि उसके ऊपर आज सर्विस क्लास छाई हुई हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सर्विसेज़ की जितनी संख्या है उसके मुकाबले में जो जनता के प्रतिनिधि है और उनकी संख्या है उसकी यदि तुलना की जाये तो राजस्थान की सर्विसेज़ का करेक्टर हमारे मंत्री महोदय और जितने भी प्रतिनिधि हैं जनता के कहीं उनसे अच्छा करेक्टर है। लेकिन गड़बड़ करने का इनीशियेटिव मंत्री महोदय से मिलता है और इस कारण से आगे चलकर कई प्रकार की गड़बड़ियां होती रहती हैं। हमारी सरकार को चाहिए कि सरकार इसके अन्दर ऐसी व्यवस्था करे कि जिन लोगों को अधिक तनख्वाह मिलती है वे तनख्वाहें ठीक ढंग से कम कर दी जायं कि जिनके कारण से कोई कमिटमेंट का ब्रीच नहीं करना पड़े। कमिटमेंट कुछ किया हो तो कमिटमेंट के आधार पर चलें, लेकिन इस तरह से तनख्वाह बढ़ाने और घटाने की व्यवस्था कर रखी है, उसको समाप्त करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इसी मितव्ययता के प्रश्न को लेकर मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ राजस्थान सरकार किसी भी प्रकार से पैसे में कमी करना चाहती है और दूसरी तरफ खर्चा बढ़ाती है और खर्चा बढ़ाने के अन्दर आज इस प्रकार की विषय स्थिति पैदा हो गई कि किसी भी डिपार्टमेंट में जायं तो हमें एक अजीब प्रकार का करप्शन मिलेगा। सदन में करप्शन का ज़िक्र किया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज़ होते हैं। वे कहते हैं कि यहां पर नीतियों की चर्चा नहीं की जाती है। मैं ऐसा समझता हूं कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्दर इस प्रकार की बातें, कहीं उन बातों के साथ साथ यह कहना कि सदन के अन्दर इस प्रकार की बातें नहीं की जायं और सदन के बाहर कही जायं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी के भाषण से इस सदन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है। सदन ऊंचा है। सारा सदन मिलकर मंत्री मंडल से ऊंचा है। सदन के अन्दर बात कही जाय तो सरकार उसका कॉग्नीजेन्स नहीं ले और उनके कान में जाकर कहा जाय कि अमुक घोटाला हो गया है तो उसकी व्यवस्था करते हैं। तो दोनों बातें नहीं चल सकती हैं। इस प्रकार से सदन का दुरुपयोग मुख्य मंत्रीजी ने किया है। करप्शन बढ़ गया है। करप्शन को रोकने के लिए धमकियों से काम नहीं हो सकता है। आपको लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो सदन में कहें और सदन में कही हुई बात अगर गलत साबित हो तो उसके सही परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस प्रकार से प्रेशर क्यों डालते हैं कि सदन के अन्दर नहीं कह कर सदन के बाहर कहा जाय। सदन ऐसी जगह है जहां इस प्रकार की बातें कही जाती हैं जो कि सही हों। इस प्रकार की भावना

(श्री भैरोंसिंह)

मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्री मंडल ने व्यक्त की है। वह भावना अनुचित है। उस प्रकार की भावना का विरोध करने के लिए इस सदन में तैयार रहना चाहिए। यदि इस प्रकार की सत्ता मंत्री मंडल के हाथों में चली गई तो हमारा प्रजातन्त्र समाप्त हो जायगा और प्रजातन्त्र के समाप्त होने के साथ साथ जो हमारे बोलने और चलने के अधिकार है वे अधिकार समाप्त हो जायेगे। मैं इसी करप्शन का ज़िक्र करने के लिए दो मिनिट में एक–दो बातें बताना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय कुछ चार्जेज़ मैंने पिछली बार सदन में लगाये थे उन चार्जेज़ के अगेन्स्ट में हमारे मंत्री महोदय साहब ने खड़े होकर उनका जवाब दिया तो जवाब में कह दिया कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाये गये हैं वे गलत हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि सदन में इल्जाम लगाने का स्थान है, इल्जाम साबित करने का स्थान है, साबित करने के बाद उसके परिणाम भुगतने का स्थान है। मैंने जो चार्ज लगाये हैं वे अगर गलत हों तो मैं मंत्रीमंडल को चुनौती देता हूँ कि इस सदन में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन लाकर मेरे संबंध में इन्क्वायरी कराई जाय। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन लाने की हिम्मत नहीं है तो स्पष्ट रूप से उन करप्शन के चार्जेज़ में हमारे मंत्री महोदय खुले आम इन्वोल्व्ड हैं।

(विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

ऐसी स्थिति के अन्दर आज मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि सर्विसेज़ का स्तर हमारे मंत्रीमंडल के स्तर से ऊंचा होता जा रहा है और वह इसलिए कि हमारे मंत्री मंडल का कोई आदर्श नहीं है, तो उसका असर अच्छा नहीं पड़ने वाला है। नाथद्वारा कमीशन ने जांच की और जांच करके इस बात को कह दिया कि हमने सीतलवाड़ और दफ्तरी की इस संबंध में राय ले ली। मैं समझता हूं कि राय लेने का प्रश्न नहीं है। मैंने उस समय भी कहा था और आज भी कहता हूं कि एन्क्वायरी के मामले में कोई भी कुछ कहे चाहे आप कहें, कि एन्क्वायरी कराने के बाद फंसे नहीं, तो अब कहते हैं कि एन्क्वायरी गलत हो गई। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारा मतलब था एन्क्वायरी कराने का कि महन्त प्रोपर्टी का मालिक नहीं है, बल्कि प्रोपर्टी मंदिर की है और उस प्रोपर्टी को जब्त करना चाहिए। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कमीशन ने इसको स्वीकार किया है उसकी रिपोर्ट में। कमीशन के एपोइन्टमेंट से जबरदस्त लाभ हुआ है उसका जिक्र नहीं किया। प्रोपर्टी वापिस आ गई उसका ज़िक्र नहीं किया, लेकिन बराबर कहते रहते हैं कि हम दोनों फंसे नहीं हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि न्याय हुआ है तो न्याय वह होता है कि जिसको लोग मानें कि न्याय हुआ है। नाथद्वारा एन्क्वायरी रिपोर्ट के बाद में भी जनता में विश्वास नहीं है राजस्थान के योग्य राजस्व मंत्री को, २४ दिसम्बर को ताला टूटा और १६ जनवरी को इस बात का पता नहीं लगा कि राजस्थान के नाथद्वारा मंदिर से करोड़ों रुपयों का माल निकल गया है। उनकी योग्यता यह है कि एक एक मिनिट और एक एक इंच की खबर उनको है। नाथद्वारे से करोड़ों रुपयों का माल निकल

(श्री भैरोंसिंह)

जाय और उनको खबर नहीं रहती । मैं समझता हूँ कि यदि उनमें इस बात की हिम्मत है तो इस प्रकार से एन्क्वायरी करवानी चाहिए थी । एडवोकेट जनरल को जो कि उनकी पार्टी के सदस्य थे उनको उनकी पैरवी के लिए लाकर खड़ा कर दिया । उन्होंने पैरवी की, उसमें चाहे मंदिर की प्रोपर्टी भाड़ में जाय, उसकी चिन्ता नहीं, लेकिन बात यह होनी चाहिए कि एडवोकेट जनरल इस प्रकार से काम करे कि राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री पर किसी प्रकार का इल्जाम नहीं आ सके । इस तरह की उन्होंने चेष्टा की । मैं उन बातों को नहीं कहूँगा जो बातें नाथद्वारा कमीशन के संबंध में उनके सामने टेम्प्टेशन के रूप में लाई गई है । सरकारी स्तर पर नाथद्वारा कमीशन को दावत दी गई । दावत के लिए किसी भी प्रोविन्स के नक्शे को उठाकर देखें, किसी भी प्रोविन्स में चले जायं, सरकारी स्तर पर किसी भी कमीशन को दावत नहीं दी गई । उसका खर्चा फाइनेन्स डिपार्टमेंट मीट करेगा । मैं कहना नहीं चाहूंगा कि उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयेगी ? दावतें होती है, शहरों में दावतें होती हैं, सिनेमा की दावतें होती है, दावतें उदयपुर में चलती हैं, जयपुर में....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Does the Hon'ble Member intend to say that these parties have influenced the Commission in its judgment ?

श्री भैरोंसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताऊं कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका पेज नम्बर मुझे याद नहीं है, लेकिन लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर इस बात का जिक्र आया है कि जितने भी जुडीशियल ऑफिसर्स हैं उन्हें इस प्रकार की सोसाइटी में मूव नहीं करना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार के सोशियल कॉन्टेक्ट्स उनके इतने बढ़ जाय कि आगे चल कर न्याय प्रदान करने में बाधक बन सकते हों ।

श्री श्रीभानसिंह : But the Hon'ble Member's reference to these parties means that the integrity of the Commission is in doubt. That is what I want to point out. Does he mean to say all these things with this point of view or with some other point of view ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह बताना नहीं चाहता था....

श्री श्रीभानसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से फाइनेन्स डिपार्टमेंट खर्चा मीट करेगा और कमीशन को दावत दी गई, तो वह कौन सी दावत कहां पर हुई है ?

श्री भैरोंसिंह : वह गवर्नमेंट होस्टल में हुई थी ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : गवर्नमेंट होस्टल में सरकार की तरफ से दावत नहीं हुई है, यह गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : ये जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल गलत है । इस तरह के प्रमाण हैं मेरे पास कि दावत हुई थी । यदि अध्यक्ष

Page No.49

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय, इजाजत दें तो कहूँ कि जिस समय अध्यक्ष महोदय बाहर चले गये थे उस समय दावत उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से हुई थी ।

श्री श्रीभानसिंह : On a point fo privilege, Sir. That party was given by the Hon'ble Deputy Speaker acting then as Speaker of the House. The Hon'ble Member should make no reference to the Chair, otherwise he should be prepared for any breach of privilege or other consequences for such a reference.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : He is prepared.

श्री श्रीभानसिंह : As a senior member of the party, he must maintain certain decorum. It amounts to a reflection on the Chair.

श्री भैरोंसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस प्रकार के ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए तैयारी करने के लिए अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूं । माननीय सदस्य में हिम्मत होनी चाहिए और उसमें भी....

श्री श्रीभानसिंह : I will move it; but I am within limits to say that it is a reflection on the Chair.

श्री भैरोंसिंह : मैंने चेयर के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!....

बहस इस पोइन्ट पर नहीं होनी चाहिए । लेकिन यदि माननीय सदस्य को इस बारे में कोई बात कहनी थी तो पहले मुझसे कह देते कि इस बारे में रेफरेन्स करना चाहता हूं । उसके बाद में कहते तो ज्यादा अच्छा होता । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप जल्दी से अपना भाषण समाप्त कर दें और इस बात पर विशेष चर्चा नहीं करें ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : डिप्टी स्पीकर को रेफर किया है उन शब्दों को प्रोसीडिंग में से हटा दिया जाय ।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री अध्यक्ष : Let us not aggravate the matter. Drop it here.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहना चाहता था । मैंने अपने आपको इस बात के लिए रोका था, लेकिन जब माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने बार बार कहा, इसलिए कहा । मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस स्थिति को सारी गहराई से देखना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे मंत्री महोदय बचकर निकले हैं । यदि उसकी सारी गहराई को देखा जाय और गहराई के बाद उस तरह से उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल केसेज़ तैयार किये जायं, उसके लिए दफ्तरी की राय ली गई तो उसके लिए एडवोकेट जनरल को नहीं भेज कर हममें से एक–दो सदस्यों को सरकारी खर्चे पर दफ्तरी और सीतलवाड़ से राय लेने के लिए भेजते तो इस प्रकार की भी राय ला सकते थे कि रेवेन्यु और मुख्य मंत्री जो बचे हैं वे बिल्कुल गलत बचे हुए हैं ।

(श्री भैरोंसिंह)

(विपक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

आज सरकार ने मंत्रियों को बचाने के लिए इतना किया है । खुद को सर्टिफिकेट दिलाने के लिए कहा जाता है कि तारीफ नहीं करते हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी नाराज़ होते हैं कि सदन के अन्दर डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन को लेकर उनकी तारीफ क्यों नहीं होती ? तारीफ करने का कोई काम करें तो तारीफ भी की जाती है । मैं ज्यादा तारीफ करने वाला नहीं हूं । मैं सही स्थिति को सदन के सामने रखना चाहूंगा । मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता हूं ।

राजस्थान में एक तरफ मित-व्ययता की बात की जाती है और दूसरी तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बर्खास्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और इसलिए की जाती है कि वे किसी मन्त्री के रिश्तेदार हैं........

श्री श्रीभानसिंह : Again the Hon'ble Member is being vague. Say specifically, किस मन्त्री के रिश्तेदार हैं When you refer to these things, name the Hon'ble Minister.

श्री भैरोंसिंह : मैंने जो कुछ कहा है वह इसलिये नहीं कहा है कि मैं उसको छिपाऊं । आप एक बात का मुझे विश्वास दिलावें कि यदि किसी मन्त्रीजी ने बर्खास्त-शुदा व्यक्ति को इसलिये नौकर रखा हो कि वह उनका रिश्तेदार है और यह यदि साबित हो गया तो वे मन्त्रीजी अस्तीफा देने को तैयार हैं........

श्री श्रीभानसिंह : That is upto the Hon'ble Minister. But as far as I, as a member of the House, am concerned, you please name the Hon'ble Minister.

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में । अगर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब पूछेंगे तो मैं उनका नाम भी बताऊंगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बताइये ।

श्री भैरोंसिंह : उनका नाम है श्री दुर्गाशंकर व्यास और वे आपके रिश्तेदार हैं । पहले सब इन्सपेक्टर थे, वहां से डिस्मिस हुए; तब आपके डिपार्टमेंट कंसोलिडेशन में उनको इन्सपेक्टर बनाया और फिर नायब तहसीलदार बनाया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन आप अपनी जानकारी की पूरी तसल्ली कर लें ।

श्री भैरोंसिंह : बर्खास्त नहीं किया होगा तो सस्पेन्ड किया होगा । लेकिन मैं जानकारी दूंगा कि उस आदमी को सस्पेन्ड किया था । मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में टेलीफोन करके ऑफिशियली पूछा था कि उसको सस्पेन्ड किया या क्या किया, तो उन्होंने बताया कि उसकी सर्विसेज़ टर्मिनेट कर दी गई हैं........

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि किसी की सर्विस टर्मिनेट हुई है तो कौनसा कानून है जिसमें कहा गया हो कि उसको वापिस नौकर नहीं रखा जा सकता........

श्री भैरोंसिंह : उसको डिसमिस किया गया था.......

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल सही है। आपका रिश्तेदार है इसलिये उसको इन्सपेक्टर बना दिया और फिर नायब तहसीलदार बना दिया........

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : आपका रिश्तेदार था या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : लेकिन आज इस प्रकार की मितव्ययता की बातें करने वाले स्वयं बतावें कि इस विभाग के भूतपूर्व डाइरेक्टर या आॅफिसर थे उनसे पूछा है, उन्होंने बताया कि नियुक्ति किस प्रकार हुई है। मैं समझता हूं मन्त्रीजी बतायेंगे जबाब देते समय उस समय बताऊंगा और प्रमाण पेश करूंगा कि मन्त्रीजी की जानकारी में सब बातें हुई हैं। मैं अब इन सब बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, गवर्नर महोदय के एड्रेस के समय यह बताया गया था कि सदन के बाहर कुछ बातों का जिक्र कर दिया जाय। मैंने हाउस के बाहर जिक्र किया था। एनिमल हस्बेन्ड्री के मन्त्री महोदय से कोई तीन दिन पहले टेरामाइसिन केपसूल्स के बारे में कि डेट ऑफ एक्सपायरी उन पर होनी चाहिये लेकिन नहीं लगी हुई है, मैंने उनको जगह बताई थी की सीढ़ियों के बाद स्टोर में आलमारी पड़ी है उसके ऊपर के खण्ड में टेरामाइसिन केपसूल्स पड़ी हैं बिना डेट ऑफ एक्सपाइरी लिखे हुए........

श्री नाथूराम मिर्धा (पशुपालन मन्त्री): उसकी जानकारी करवा ली है। आपकी बात गलत निकली। क्योंकि आपने सदन के बाहर बात कही थी इसलिये मैं सोच रहा था कि वहीं आपसे बात करूंगा, लेकिन आप यहां उस बारे में बात करते हैं तो आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने इसी उत्तर के लिये यहां प्रश्न उठाया था। जिस समय मैंने बात कही थी उस समय चीफ मिनिस्टर साहब को कहा था कि इसकी सूचना मंत्रीजी को न देकर डाइरेक्टर से बात करें क्योंकि मैं जानता था कि मन्त्रीजी कहेंगे कि यह बात गलत है और उधर उनसे कहेंगे कि उसको वहां से हटा कर गलती सुधार लो....

श्री नाथूराम मिर्धा : यदि आप चीफ मिनिस्टर साहब को कहते तो भी यही परिणाम निकलता और फिर आप कहते कि आपका संदेह दूर नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : यह परिणाम इस तरह से नहीं निकलता। मैंने पुलिस विभाग की सूचना गृह मन्त्रीजी को दी थी और उन्होंने पता लगाया था। पुलिस विभाग में जो दरियें खरीदी गई थीं वे सेम्पल से मिलती नहीं थीं। मैंने प्रमाण सहित होम मिनिस्टर साहब को बताया कि राजस्थान सरकार को घाटा पहुंचाया गया है। आप इन्फोर्मेशन को गलत बताते हैं, जिनके लिये मैंने पहले कहा था उनका उत्तर देना ही गलत है। आपने जबाब पहले दिया था उसमें बताया कि एयर ब्लोवर खरीदना चाहते थे वह इलेक्ट्रिक होना चाहिये था। मैंने पता

(श्री भैरोंसिंह)

लगाया कि जिन ब्लॉक्स के लिये ये आर्टिकल्स खरीदे गये हैं उनमें से २० ब्लॉक्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और केवल १ में है। मैं समझता हूँ आपके ऊपर सरकारी अधिकारी हावी हो जाते हैं इसलिये आपको डर है। आपको निडर होना चाहिये। मैं फिर कहता हूं और सदन में चुनौती देकर कहता हूं कि जितनी पर्चेजेज़ हुई हैं उनमें हजारों रुपयों का घोटाला है, मैं उसको प्रूव करने को तैयार हूं। मैं जो आरोप लगाता हूं उनके बारे में जांच करते समय मुझे कोई नहीं पूछता। लिस्ट के जरिये जांच कर लेते हैं। सरकार का कर्त्तव्य था कि जिस आदमी ने आरोप लगाये हैं उनसे पूछते। जब सदन में ये बातें कही जाती हैं तो कहते हैं कि सदन का सारा समय ले लिया, सदन की परम्परा को खत्म कर दिया। मैं तो खास तौर पर इस विषय में जितने इल्जाम होंगे सदन में लगाऊंगा और जो भी कार्यवाही मेरे खिलाफ होगी उसको मीट करने को तैयार रहूंगा। आप यह समझते हैं कि सदन में जो बात कही जाय वह इम्पोर्टेन्ट नहीं है और जो बाहर कही जाय वह इम्पोर्टेन्ट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सदन में कही हुई बातों के लिये सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। इस सवाल को लेकर जितने इल्जाम सरकार पर लगाने होंगे सरकार पर लगाऊंगा, सरकार में हिम्मत हो तो मीट करने को तैयार रहे और उन्हें झूठा साबित करने के लिये तैयार रहे और मेरा प्रोसिक्यूशन या जो कार्यवाही होती है वह करने को तैयार रहे।

श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई) : Mr. Speaker, Sir, I rise to make some observations on the annual financial statement that has been presented to the House for the year 1960-61.

At the outset, Sir, I am constrained to observe that it was rather ill-advised on the part of the Hon'ble Finance Minister to have reiterated the achievements of the Government with regard to the democratic decentraliation which had already been sufficiently emphasised in the address of H. E. the Governor. Apart from the merits of the scheme of the democratic decentralisation on which I had dwelt at considerable length in my speech in connection with the debate on the Governor's address, I have to submit, Sir, that from the point of view of budgetary economies and from the point of view...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a point of information, Sir, the Chair is probably calling the names from some list. So, if my name is at the bottom, I may go out and come after an hour or so ?

श्री अध्यक्ष : There is no list with me.

श्री श्रीभानसिंह : Because I have been trying for the last three days, standing and sitting, and I have not been able to get a chance.

श्री अध्यक्ष : There are many other Hon'ble Members who have also been doing the same.

श्री श्रीभानसिंह : But those members who did not come on the first day or the second day, and came only today, they have been given the chance, while I have been trying to catch the eye of the Speaker for the last three days but have not got the chance.

श्री अध्यक्ष : I don't think we can have any hard and fast rule on that account.

श्री बी० एन० जोशी : Atleast I was not such a member, Sir. I was present on all the three days.

So I was saying, Sir, that from the point of view of budgetary economics the scheme of democratic decentralisation of Rajasthan is indefensible one and had the Hon'ble Finance Minister cared to examine the budgetary implications of the scheme of democratic decentralisation as well as to the financial provisions made with regard to it, I think he would not have considered it proper to make a reference to it. The speech of the Finance Minister begins with democratic decentralisation and it ends with democratic decentralisation. On the very first page of the speech we find a mention of it.

I have to say that in the first instance the provision of Rs. 407 lakhs which had to be made for the six months of the working of this scheme, and the transfer of these funds from the State exchequer for the sake of meeting the necessities of this scheme, is a violation of the cardinal principle of financial responsibility. It is a traditionally accepted principle of economics, Sir, that the taxing authority and the spending authority should, as far as possible, be the same and that the taxing authority, the collecting authority and the spending authority should not be divorced from each other, because whenever it is done, whenever the agency which imposes taxes and the agency which is entrusted with the spending of these taxes are different, then the result is that there is laxity in collection and extravagance in spending. The pleasure of spending monies should be accompanied by the pain of collecting them. Then only we can expect a reasonable attitude on the part of the spending authority. So it is a traditionally accepted and cardinal principle of budgetary economics which has been flouted and violated with regard to the scheme of democratic decentralisation.

Then, Sir, I have to submit that it has an unsettling and upsetting effect on the State of Rajasthan, because we find that for the very first six months of its operation we had to transfer funds to the tune of Rs. 407 lakhs. It means that for one full year it would involve an expenditure of Rupees 8 Crores. When we are so much hard pressed for money, when we have a debt of Rs. 97 crores and when we are trying

(श्री वी० एन० जोशी)

very hard to tap the additional sources of revenue, so much so that we are feeling the necessity of imposing a surcharge on the land revenue which is likely to fall on the tiller of the soil and which indirectly may discourage production, under these circumstances to go in for a fad, a novel experiment which means an expenditure of Rs. 8 Crores out of the State revenues, was in my opinion ill-advised and not proper and not in accordance with the principles of budgetary economics. So I will submit that it was absolutely a wrong thing for the Finance Minister to have referred to democratic decentralisation in his budget speech. He could have taken credit for it elsewhere, but not in the budget speech.

Secondly, Sir, I have to say that from the point of view of Legislature it is highly objectionable. Large sums of money which are collected by the officers under the authority of this House-the taxes in the State of Rajasthan are imposed by the authority of the Legislative Assembly, will be placed at the disposal of these institutions of democratic decentralisation over which the Legislature will have no control. It will be argued that these institutions, the Panchayat Samitis and Zila Parishads, have their own autonomy and the State Government does not share the direct responsibility for their working. Even though there may be cases of embezzlement. misappropriation of money, extravagence, the House will not be in a position to have a check over them. It will lose control over that part of the money which is transferred to these institutions. Therefore, I have to submit that as zealous custodians of the finances of the State, it is incumbent on the House to raise its hand against any scheme which involves transferrance of funds from State exchequer to certain institutions on the spending of which the Legislature has no control. So from that point of view, this scheme is fraught with dangerous consequences and it is likely to lead to bad results.

I have to say one thing more. If, it is very loudly claimed, that these democratic decentralisation instituti ons are a great success, then I would say that we should apply two tests of the success of an institution to them. One of these tests is whether the institutions can be economically self sufficient and self supporting or not. There is no fun in transferring large sums of money from the State exchequer to certain institutions, vest them with authority and not caring to see whether they are properly utillised or not. In this way we cannot judge the success of the scheme. I shall accept the succss of democratic decentralisation when these newly started institutious can be made economically self-supporting. Let them try to raise their own revenue, let them have a system of local taxation and let them collect all

(श्री बी० एन० जोशी)

the moneys that they require. If they are able to raise their 100 percent revenue by a system of independent local taxation, then only it can be said that the scheme is successful. I am prepared to lift my hat to the Hon'ble Leader of the House when he is able to show that the instituions are economically and financially self-supporting.

Besides this, Sir, I have to say something about public debt position. The Hon'ble Finance Minister has admitted in his address that we are indebted to the Government of India to the tune of Rs. 87 Crores upto 31st March, 1960, in addition to a public debt of Rs. 10 crores. In all we are indebted to the extent of Rs. 97 Crores. This is the position of the finances of the State and I have to say that the position that has been disclosed by the budget is alarming and disquieting one. In the face of it the statement of the Finance Minister that we need not bother about the public debt and that it is inevitable in an expanding economy is complacent. I say, Sir, that this complacence is going to prove harmful and detrimental to the interests of Rajasthan.

I have to submit that the budgetary equilibrium has always been given highest precedence and place in this country. In the year 1933-34, the State of Bengal became indebed to the tune of nearly 7 Crores. It was regarded as a matter of grave concern and the Government of India appointed a committee of experts to go into the matter. The Committee made certain recommendations on the basis of which the export duty which was regarded as Central source of revenue was diverted to the extent of 50 percent to Bengal, in order to meet their budgetary deficit and it was realised that every possible effort should be made to place the State in budgetary equilibrium. And now, we see that our State, which is a backward State, is indebted to the tune of 97 Crores and our public debts are fast accelelerating at a dangerous pace, and still we find the Hon'ble Minister saying that we should not take it very seriously, because he thinks that we are going to build certain assets with the help of which it would be poossible for Rajasthan to liquidate these staggering amounts of debt. I think it is a false expectation and wishful thinking on our part to cherish the hope that we shall be able to liquidate this huge public debt on the basis of assets that we are able to buld, because we see that the same tale of extravagnce, wastage, bungling and mis-management is being repeated with regard to all our major items of development By way of illustration I will cite the case of Chambal. It was hoped that we shall be able to realise large amounts as a result of the sale of plots in the mandies in Chambal area. But I may say, Sir, that even though the land was available the people were ready to purchase it, and lakhs

(श्री बी० एन० जोशी)

of rupees could have been raised for the State treasury, it could not be done so far because the Government in its wisdom could not take an early decision regardin the manner and mode in which the sales are to be regulated. Papers continued to pass through one section to another and a final decision could not be taken. For over a year this question has been hanging fire and no money could be realised on the sale of these plots.

Similarly there is another instance of bungling in the matter of Chambal Project. The State had constructed certain canals and certain distributaries and now it remained for individual cultivators to construct small water courses whereby the water could be taken to their fields. But what is happening ?

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : Attention is invited to the quorum, Sir.

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री बी. एन. जोशी : So I was saying, Sir, the people did not construct these water courses because false assurances were given that the State Government will be made to construct those watercourses and the tests were formed, the Commissioners were asked to give opinion, the Commissioners' opinion was obtained. He opined that the invididual farmer can be asked to do. One Hon'ble Minister who hails from that area, on the other hand insisted that it should be the State Government to take water to the fields of the individual cultivator. The result was that for years water courses were delayed, the result was that we suffered a loss of revenue which we would have taken in the sort of revenue. Now we have to say that this instance can be repeated adnauseum. As earlier submitted, in the matter of major development works, in the matter of this so called cess, I have to say that the same sad story of delay and wastage has repeated itself and the result is that the hopes of our being able to liquidate these debts is bound to prove a very elusive one.. Unfortunately, the matter of financial state of the Plan has been dealt with in a very, I should say, in a very unwise manner. I may say that at the time of integration of Rajasthan, every state had their Railways and other assets. They represented the assets of Rsjasthan in the form of building and various other forms. It is a matter of common knowledge, Sir, that the investment of the communication assets in the form of Railways amounted to 13 crores. I have to submit that those Railways were constructed when the labour was paid only annas two, Sir. The market value of the total assets was about 13 crores and it must have come to 65

(श्री वी० एन० जोशी)

crores if not more now. Now all these were transferred to the Central Government without a single anna of compensatory allowance or any compensatory aid. Then, Sir, I have to say that it was a wrong step of the custodians of the Finances of Rajasthan or the Government, previous as well as the present one who failed to take advantage of the Indian Constitution wherein it is provided that when some asstes are transferred, it is incumbent to pay some compensatory allowance and that money could have been paid to us, for the railway assets transferred. The same amount has been given to us in the form of loan. Now we are left to face the deficits. It is so unfortunate on the part of those who certainly are the sad partners of Rajasthan This is one of the serious causes of our financial weekness today. Second element to state is that ifwe look to our present financial system in which we are living we have to realise that the present financial system has gone to unitary system. All those revenue and other items of lesser production have been left to the State. They require a very large amount of expenditure, I mean to say that all the expenditure like public Health, Civil Works, Education etc. were transferred to the State, and those paying ones were transferred to the Centre. It has been provided in the Constitution under article 280 that the President of India will appoint a Commission within two years of the integration and after a lapse of every five years to advies on the financial working of the Constitution as well as financial aid granted to States. But our State has not been able to stress case with efficiency and to convince the Finance Commission of India to enhance the aid to the State of Rajasthan. It is a matter of common knowledge that ours is the most sparsely populated State in India and it is again a matter of common knpwledge that to maintain social services it is a fastly populated in comparision of other States. This has been lost sight of and we are said in the matter of our grant that is allotted for the fair taxes, we are equated with those States which are highly populated, like Bengal and Bombay. The Government should have been able to reasonably demand and they should have allowed a higher percentage but that has not been done. Then Sir, I have to submit that the per capita grants that are made by the Union Government to the State Government, that even though we happen to be a backward State a very stepmotherly attitude has been given. A certain Economist has said in the book 'The Theory and working of the Union Finance in India'-

"Similarly Rajasthan, Madhya Bharat and PEPSU receive a very much less per capita grants than most of the other States in comparison to which they are more backward, as has been recognised by the

(श्री बी० एन० जोशी)

Union Government itself in the integration agreements concluded with these States. The transfer of funds from the Union to the State treasuries should achieve not only budgetary equilibriuim but also economic equilibrium so that the backward areas may develop more rapidly. In India system of transfer of funds from the Union Government to the States is not based on the principle of federal finance and therefore these transfers fail to maximize national welfare."

Now, Sir, I give the actual figures of per capita grants of Rajasthan in comparison to some other more advanced and stronger States. This is the table showing per capita development grants for:-

Mysore:	0.34%
Saurashtra:	0.36%
Rajasthan:	0.13%

Per-capita income-tax share:—

Mysore:	3.80%
Saurashtra:	6.04%
Rajasthan:	0.05%

Now, Sir, I come to total grants under the Finance Commission's scheme. These are;—

Mysore:	368 lakhs.
Saurashtra:	302 lakhs.
Rajasthan:	289 lakhs.

The per-capita under the Finance Commission's scheme comes to:—

Mysore:	4.06%
Saurashtra:	7.29%
Rajasthan:	1.88%

So Rajasthan has been dealt with in a most step-motherly way in the matter of grants, in the matter of share of taxes and in the matter of compensatory grants and I should say that it is a singular failure on the part of our administtration that we have failed to impress the Finance Commission and the Union Government regarding our demands, necessities and legitimate requirements, and the result is that we remain equated with most advanced States of India and most efficiently piloted States of India, and the present bankruptcy of the State is direct outcome of that failure.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Few minutes, Sir.

I was going to say something about the services, Sir. In this connection it must be said to the credit of our services that they have shown creditable degree of activity and they have tried to adapt themselves to the requirements of a democratic administration and, as we have seen also in connection with the scheme of

(श्री बी० एन० जोशी)

democratic decentralisation whatever may be its other failings, the services of Rajasthan have rallied around the cause and have tried to adjust themselves to the circumstances to which they were not so far accustomed. I have to say, Sir, that even the other failings and failures of the services are attributable in a great measure not to them, but to us and our colleagues. It has been widely felt in all sections of this House, Sir, that unfortunately there is a great deal of interference with the day to day working of administration, so much so that they have been deprived of the discretion that they possess under the rules and regulations. The result is that the services have in a way been demoralised and they are shirking to take the responsibility because they do not know what orders they may receive from the Ministers the next moment, and all their decisions may be upset. This is having a very unsound and demoralising effect on our officers and it is responsible for the present highly unsatisfactory state of affairs and administrative confusion.

Now, Sir, I have to state that in the matter of promotions there is great discontent, a seething discontent, among the services. It is a common feeling that promotion does not come automatically as a reward for good work, but it is more often achieved by manipulations or by currying favour with the Ministers. This impression has to be eliminated for ever if we want that the services of Rajasthan should continue to work in a proper atmosphere and if we have the interests of administrative efficiency at our hearts.

Secondly, I have to say that contented services are a great asset for our administration. We find that in the previous budget, an attempt had been made to liberalise the pay-scales. In the present budget, whereas we find that an attempt has recently been made to liberalise the pay-scales of Lecturers and Professors, we are utterly dismayed when we find that inspite of our loud protestations of socialistic pattern of society not a farthing has been conceded to the poorer sections of the Government servants. Class III and Class IV servants of Rajasthan have been waiting in vain for the State budget. They have been waiting in fact every year for the State budgets to be presented before the House and now they think that they have to wait for one year more. It appears that in our State a new tradition is set up and socialism is coming in our State from the top instead of from the bottom. We are liberalising the scales of Lecturers and Professors, who belong to middle classes, but no attempt whatsoever has been made to raise the conditions of class III and class IV servants of Rajasthan. These are the people who require our sympathy and these are the people

(श्री बी० एन० जोशी)

who find it very difficult to keep the body and soul together. They are working in aweful conditions and I have to submit that unfortunately our low pay-scales are directly responsible for the great measure of prevalent corruption in our administrative machinery, because we see that sometimes our officers knowing well that it is not possible for our lower classes to make both ends meet within the small and scanty salaries that are paid to them, adopt a lenient attitude towards lower strata of the services in the matter of corruption.

२ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

I think this is a slur on our loud protestations of socialism and sooner it is done away with, the better it would be for all concerned.

Now, Sir, as my time is over, I do not want to say anything more, except making a passing reference...

श्री अध्यक्ष : Why to make a passing remark ?

श्री बी० एन० जोशी : It will not take more than two minutes, Sir. I was going to say that nationalisation has been accepted by us as a matter of creed. It is said that we are going to make a beginning in the matter by nationalising the road transport. We had been hearing a lot of drum beating for road transport nationalisation and now we find that we cannot do it with any hope of success. We had attempted nationalisation of text books but we witnessed a sorry tale of mis-management, bungling and inefficiency which has been repeated in the House adnaueum. I would, therefore, make one request to the council of Ministers that if we connot make a success of nationalisation, when our resources are lacking and when we don't have adequate administrative machinery for proceeding with nationalisation inefficient and practical way, then it is better not to touch this subject because through these rather hopeless and un-impressive specimens of nationalisation we are making a mockery of nationalisation and we are making nationalisation an object of laughter, jokes and derison.

With these words, I take my seat.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सैंतीसवां बजट है जो मेरे सामने उपस्थित हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके राज्यकाल के अतिरिक्त या उसको साथ में लेते हुए ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : साथ में लेते हुए ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): पुराने जन्म के भी ।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह आशा कर रहे हैं कि आपकी ओर से भी उपस्थित हो।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो प्रस्तुत कर चुका हूं। हमारे जो माननीय वित्त मंत्री महोदय हैं वे सबसे पुराने वयोवृद्ध होरी हैडेड मिनिस्टर हैं....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : कोरी हैडेड ?

श्री उपाध्यक्ष : होट हैडेड ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : होरी हैडेड, सफेद बालों वाले। उनका बजट अच्छी भाषा में, अच्छे विचारों के साथ पेश हुआ है इसलिए उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रहा जाता। लेकिन इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको जहां तक डिपार्टमेन्ट्स में इस मामले में अगर इसको मदद दी जाती है जैसा कि विकेन्द्रीकरण के समय दूसरे प्रत्येक प्रान्त में पढ़ाई के हिसाब में भी इसको तरक्की देने का मौका आता है तो इसको देख लेने का यह मौका है। मैं देख रहा हूं तीन वर्ष से कि जिस कॉन्स्टिट्युएन्सी से मैं खड़ा हुआ हूं मैंने बार बार निवेदन किया है. शिक्षा के लिए, मेडीकल फेसिलिटीज़ के लिए, दूसरे विकेन्द्रीकरण के जो प्रोवधान हैं उनको वहां भी तरक्की मिल रही है कि नहीं, यह देखना चाहिये ? मैं यह नहीं कहूंगा कि इसका कोई माप दंड होता है कि उस माप दंड की मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में ज्यादा कमी रही है या दूसरी तरफ ज्यादा वह बढ़ा है, यह तो पोस्टेरिटी ही कहेगी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर से लेकर किशनगढ़ कॉन्स्टिट्युएन्सी में, लम्बी-चौड़ी कॉन्स्टिट्युएन्सी है, चार तहसीलें उसमें होते हुए भी किसी भी तहसील में आज तक कोई एक हाई स्कूल का भी प्रबन्ध नहीं हुआ है। मैं यह तीन वर्ष से बराबर कह रहा हूं। मुझे भय होता है, यह चीज़ इस पोलिसी के अन्दर निवेदन करने की भी दिक्कत होती है और कठिनाइयां भी होती हैं, लेकिन यह कहना पड़ता है कि तीन वर्ष में....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : बचुण में हुआ है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : क्या खबर, किस तरह से हुआ है। बचुण कोई तहसील नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप बाहर ही बात कर लीजिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : बगरू बड़ा टाउन है, सारी कॉन्स्टिट्युएन्सी के सेन्टर में स्थित है, वहां की प्रजा बराबर चेष्टा कर रही है। मैंने भी यहां पर बार बार इस बारे में निवेदन किया और चीफ मिनिस्टर को भी किया।

श्री जनार्दनराय नागर : ३५ वर्ष मिनिस्टर रहे, फिर भी उद्धार नहीं हुआ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जोबनेर में तो हो गया।

श्री जनार्दनराय नागर : ३५ वर्ष मिनिस्टर रहे, लेकिन कहीं भी कॉन्स्टिट्युएन्सी में हाई स्कूल नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : कई प्राइमरी स्कूल्स आप खोल चुके हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जो भी धन इसमें व्यय होता है मैं तो उसको सदुपयोग ही कहूंगा, चाहे कहीं भी हो। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि बगरू में चीफ मिनिस्टर ने खुद ने पदार्पण करके एक दफा ही नहीं चार दफा वादा किया कि इसका प्रावधान हो रहा है। लोगों ने बिल्डिंग भी बना ली, लेकिन उनके वे वादे आज तक पूरे नहीं हुए। यह समझा जा सकता है कि हमारे अहोभाग्य से, यह तो मैं नहीं कहूंगा कि दूसरी दिक्कतों के सबब से, इस डिपार्टमेंट को एक तरह से बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिये कि यह चीफ मिनिस्टर के खुद के नीचे है लेकिन इससे यह भी दिक्कत रह सकती है कि बाज वक्त ज्यादा काम उनके पास होने के कारण वे इस ओर ज्यादा ध्यान न दे सके हों लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स में तीन चार मिनिस्टर जोड़ने का सवाल भी पूरा हो चुका है ऐसी हालत में मैं उम्मीद करूंगा कि इस बारे में, इस तरफ भी ध्यान दिया जावेगा। मुझे बहुत बड़ा डर होता है, इसको कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो दुर्भाग्य ही कहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : सदन में तो निर्भयता रहती है, यहां तो डर का काम नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं यह दुर्भाग्य ही कहूंगा कि मैं दूसरी विचार-धारा के साथ दूसरी पार्टी से खड़ा हुआ हूं। मैं ही नहीं, इस प्रकार का कोइन्सीडेन्स रहा कि प्रारम्भ से आज तक वैसा, जैसा कि मैं निवेदन करूंगा कि यह नहीं रहा तो मुझे डर होता है कि यह नहीं होता है इस पार्टी और विचारा-धारा के सबब से, लेकिन वहां का जो जनपद है उसमें तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है, मैं तो यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा एक दफा और बल के साथ कि इस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं, वे चीफ मिनिस्टर हैं और वे यहां न होते हुए भी उनके जो डिप्टी मिनिस्टर हैं उनको अपील करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : बदकिस्मती से वे भी यहां नहीं हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आपको ही....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे ही फरमा दीजिये, मैं निवेदन कर दूंगा उनसे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वे सुन रहे होंगे जहां हैं वहां....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): टेलीविजन लगा रखा है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वे मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी की तरफ ध्यान न दें लेकिन उन्होंने जो वादा किया है उसकी ओर तो जरूर ध्यान दें। न तो दूदू में हाई स्कूल है, न मोजमाबाद में हाईस्कूल है, न फागी में हाईस्कूल है, न बगरू में हाईस्कूल है।

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

सांगानेर में भी होने का सवाल नहीं है । इस चीज़ को देखते हुए मैं आवश्यकता महसूस करता हूं । दूसरे भी यातायात के साधन हैं, इर्रिगेशन के साधन हैं जिसके लिए भी सदैव निवेदन करना पड़ता है । फिर इसके लिए भी कहना पड़ेगा । दूसरे मामलों में निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी यहां पर काफी चर्चा हो चुकी है और दूसरी कॉन्स्टिट्यु-एन्सीज़ से आये माननीय। सदस्यों ने काफी कह दिया है। मुझे इसमें विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है मैं तो इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि चूंकि दोनों ही यहां नहीं हैं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संदेश उनको पहुंचा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Deputy Speaker, Sir, first I must thank you for permitting me on the third day at least as the Hon'ble Members ays, to participate in the discussion on the Budget. Though of course so many Hon'ble Members have spoken, there is hardly any thing left for me to say but however I will say one thing that I am one of those who had no occasion to thank the Hon'ble Finance Minister for this Budget. If one has to learn as how not to observe budget economics and how to fleece the poor people of this State, one should go for his lesson, to the Hon'ble Finance Minister.

I will start from this that the Budget speech and the budget presents a picture which is not factual and all things of the resources, everything possible has been mustered by the Finance Minister for one thing only and that is to keep up the commitment of 13 crores made to the Planning Commission. We will see that to make up the gap of 74 lakhs, new taxes have been proposed.

Firstly, I will deal with the question of Surcharge and Court Fees. Regarding the question of Surcharge, there have been two opinions in this House, one supporting the Surcharge and one for retention of Agricultural Income- Tax. However, I cannot agree with those who support the retention of the Agricultural Income Tax because the only argument given by one Hon'ble Member was that for the sake of equity, the Agricultural Income Tax should be retained. My opinion is this that in the present circumstances, when the State Government has taxed or tapped all the resources, there is no other new head which the State can tax and bring revenue to its Treasuries. The Cess on Commercial crops has been transferred to the decentralised institutions. How-

Page No.64

(श्री श्रीभानसिंह)

ever, I may wish it should have been other way around that the cess should have been retained by the State Government and the surcharge on the Land Revenue should have been transferred to the local institutions. Taking in comparision both the taxes, Surcharge and the Agricultural Income Tax, while Agricultural Income tax has certainly the merit of equity, Surcharge also can have that merit if only the Finance Minister tries to make it progressive. While the Agricultural Income Tax even has a draw back of harrassment and scope of corruption, but it became due to the implementation of land revenues and elastic sources. While Surcharge has all the merits. It is free from harassment being a simple and direct tax. It is free from evasion and corruption and the additional advantage is to bring enhanced revenues to the State. That is by introducing also a slab system into the imposition of Surcharge, there is an elementary progression. When there is elementary progression certainly there is a matter of equity which it was said that Agricultural Income tax possessed. One thing that stands against the imposition of Surcharge is the inequality of the rent rates in the State. It means that if we take Chahi rates in the State, taking Tonk, there is one tehsil Basi. where Chahi rates are 25/ per acre, and there is Basnwara where it is probably 2/9/- per acre. Similarly taking the Barani rates, they are as high rates as Rs.8/- in Tonk and if we go to Beaware ther are only -/5/- per acre. Similarly Banjar there is 1/9/ in some Tehsils and Districts while there are nil in Sojat. With this inequality of rent rates the result of imosition of Surcharge in Rajasthan will be inequality in incidence and disperity. If the Surcharge results in disperity and inequal imposition of incidence then such a Surcharge if it unduly forces the poor people to contribute who can no longer bear the burden either of the Planning or of your administration, whatever steps the State Government may take, then my humble opinion is not to throw out such a Surcharge to enhance the slab. There is a justification to start from 250/-. If we don't rationalise them then there is a case for not imposing a Surcharge. Taking all the States of the country into consideration we find that Rajasthan has the highest incidence of Land Revenue. If I am not mistaken, it is 5. something. This is no way. In Madhya Pradesh, Punjab, and U. P. the Rent Rates are not so high. If we take the incidence of Land Revenue it is different in different districts and the soil is similar.. If we take the instance of Bharatpur and Alwar, it is 3.69 in Alwar while in Bharatpur it is 4.69. If we take the similar districts of Kota, Bundi and Jhalawar, it is as high the incidence of Land Revenue at about 7. in Kota, coming down to 6. in Jhalawar. There is a disperity in Rent Rates. The highest incidence of Land

(श्री श्रीमानसिंह)

Revenue and the unfair point is that the incidence of land revenue varies from district to district. In these circumstances if the Government is imposing surcharge then it will result that somewhere the poor people who have no means to contribute to the State ex-chequer, they will be unduly burdened and in some places quite rich people who can contribute will be touched lightly. Therefore, such a surcharge while its imposition may be supported on grounds of harass-ment and corruption all this may not be dealt with but the greatest advan-tage that this will result in unnece-ssary burdens and harrassing the poor people. Ofcourse, I realise the necessity of contribution towards the Development of the State. Ofcourse 8 lacs of Land Revenue and 10 lacs of Surcahrge will be an infinite burden. But don't forget that there are cer-tain classes in the rural areas where there are people who are unable to keep or carry on the burden of their lives. These classes cannot contri-bute. Till a couple of years back they were subject of a dominant fude-ral landlord and their economic con-dition has not improved and if their economic condition has not improved, there is no ground to levy a surcha-rge over Rs. 50/-. Therefore, in my opinion, the scale of surchare should be at a higher rate. Similarly to keep that commitment of 13 crores, the State Government has enhanced the court fees. There was a time when we promised justice quite cheap and at the door of the poor man. And if the Government can give out and break it, costly justice is a slur on Justice. If one's existence becomes costly what is the use of economic development and when What is the use of our planning? To get one cro-res of rupees from the Central Gove-rnment we should tax to the extent of four crores. If the Finance Minis-ter is unable to give relief to the poor I may request you, don't atleast fleece them. We are nearing the end of the Second Plan. But, Sir, I will point out to the House that to me the planning has somehow not generated the desired income. If we take the capital income of this State, my hum-ble opinion is that we are into a long term planning and if I am not mista-ken, about 128 is on long term pla-nning like Bhakhra and Rajasthan Chambal Canal etc. These projects have yet to materialise, electricity has yet to come to our industiries. But take the instance of long term plans or medium ones. Till 59, out of the total works undertaken by the Gove-rnment 26 works did not meterialise. Similarly if we take the minor irriga-tion works, only 50% was completed. This is till 59. Out of this Planning, we expect that a certain income has to generate, certain extra income has to be placed in the hands of the peo-ple. If we take the Agricultural side, it presents a very dismal picture. It is sufficient to say that we were una-ble to keep the status qua. Similarly

(श्री श्रीमानसिंह)

our industries have closed down, old ones have closed down.

Un-employment is on the increase. With all this, I still believe that some extra income has come to the people, but we will have to see whether that extra income is enough for the people to maintain themselves and also to save something and pay taxes. If we take the percentage of extra income and the rise in prices in the Stare, the picture is that extra income is mostly cansumed in order to raise their lower standards of consumption. This is ofcourse an optimistic opinion. My personal opinion is that whatever income was generated, with that the people of this State hardly maintain their status quo in the living standards because of the higher prices.

When due to the non-materialisation of our long-term projects and minor irrigation works our agricultnre did not improve, our industrial production did not come up, we could not provide employment, then ofcourse there is not enongh income with people and not enongh savings with the people that it could be taxed at annually increasing rates. This is the picture that our second Plan presents, and when they don't have income they don't have savings, then ofcourse the logical conclsuion is that the State should not tax at higher rates. We cannot seriously say that we have committed for 13 Crores to the Planning Commission and, therefore, the people of this State must bear the burden and they must sacrifice. There must be some money somewhere that they can contribute to the State. This is the picture of the Plan, and I may say that the Hon'ble Finance Minister himself is responsible for the Pian not succeeding in Rajasthan. It would appear to be an outrageous statement, but if we take the priorities in the second Plan and the priorities in the present budget, this is the one budget which shows how not to plan for a developing economy. In the second Plan, tbe priorities were decided; first priority, was probably given to irrigation, second to social services, third to power, fourth to agriculture, and then came the roads, industries and mines and miscellaneous departments. This budget gives first priosity to social services, second to power, third to agriculture & community development, fourth to irrigation, fifth to roads, sixth to industries and mines and seventh to miscellaneous departments. These are the priorities that we have given. According to our Finance Minister the economy is on take off. But I beg to differ from him. Because if this is the case of our priorities, when in an under-developed economy, social services are given priority, then I can assure you that you have hit the progress of the economic development in the State. It may be said that the Directive

(श्री श्रीमानसिंह)

Principles of the Constitution enjoin upon every State that they should spend more and more towards the development of backward classes. I agree, and let the 4-6 percent of the Hon'ble Members who represent this population not mistake me, that I am against social services or that they should be completely ignored. My contention is that we can go slow with social services. There is case for going slow with public health, going slow with miscellaneous departments, but we cannot go slow with our economic development. If agriculure had been given priorty as I wanted, then what would have been the picture of our economy today? It would have been an enviable picture. How? Higher production, higher consumption, higher standard of living and full employment, this would have been the picture if priorities had not been wrongly decided and resources had not been frittered away on those wrong priorities. So I want to say that a substantial contribution towards checking the economic progress of the State unfortunately goes from the Hon'ble Finance Minister. Besides Social Services, a lion's share of budget goes to education. I am one who says that education should receive priority. There is a certain goal with which we are alloting increased sums to education. That goal is given in Article 45 of the Constitution, free and compulsory education for children between the ages of 5 and 14. This is the goal before all the States. If Article 46 is mandatory for us to give priority to social services then Article 45 is also mandatory. But what have we done ? If we see the Hon. Finance Minister's speech, only 6-11 years age group has been covered and that also to the extent of 50 percent only, by the end of second Plan. With higher allocation, higher taxes, higher contributions from the people, if at the end of second Plan we are only able to cover 6-11 age group and that also upto 50 percent only, then what about 6-14 group? Thus, at the eed of the second Plan we will be far away from the goal.

According to the priorities in the first Plan, agriculture was to be rehabilitated and strengthened and in the second Plan, the agriculture should have been put on a sound footing. It is said that in the third Plan Rajasthan will march ahead with industrial development. Even taking this statement to be true, what is the rate of our technical education ? If the State Government had not frittered away its sums in trying to implement the new scheme of multipurpose high schools and 3 year degree courses with which the other States are going slow, and invested these snms in polytechnics, then we would have created a cadre of technical men which would have been utilised in the third Plan in our industrial undertakings. So let me assure this House that in the third Plan the industrial development is not going to be achie-

Page No.68

(श्री श्रीमानसिंह)

ved beacuse we don't have the technical cadre. This is the picture of education to which we have allotted priority.

Similarly, the Hon'ble Finance Minister said that he wants the co-operation of all the Hon'ble Members of this House as regards the building up of a welfare State. From what I have submitted before this House, I think the House must have been convinced that this State, due to wrong expenditure on certain services, wrong priorities is far away from being a welfare State. A welfare State's first pre-requisite is full employment, and as regards our employment position the picture is not hidden from the Hon'ble Members. Leaving aside full employment, there is practically no employment at all. The expenditure on Plan has not generated the amount of work that we wanted, has not absorbed the labour to the extent that we expected and, therefore, if the first pre-requisite of a welfare-State, which is full employment, is not fulfilled, then what about the other ingredients ? I will read out the definition of 'welfare State' by Beveridge which will be enlightening to all :-

"People in modern State want security of cash income. They want to feel secure that through all the vicissitudes of employment and unemployment, health and disability, manhood and old age, they will have enough cash income to provide decently for the needs of themselves and their dependents in the ways they themselves think best. They want social security under conditions compatible with freedom. The idea of social security implies benefits when a man is actually employed, as well as when he is un-employed or sick or disabled."

This is the definition given by Mr. Beveridge about welfare State. And now may I ask the Hon'ble Finance Minister as to just point out whether the ingredients of this welfare State are satisfied by our State today. These ingredients do not exist and our State and our economy are under-developed. Our manpower is not utilised, resources remain unexploited and our ecoomy is infested with low production, low consumption and higher prices. This is the state of our economy and if this economy has to be changed, then once again the emphasis will have to be on agriculture, agriculture and agriculture. This is the basis of our development. This basis we could not create in the first Plan, this basis we failed to create in the second Plan because of wrong priorities and wrong allocations and now we must create this under the third Plan so that we may have industrial development.

And now to conclude, Sir, I may say that from the budget speech, if I can have some glimpse of future economy, it is only this that our economy will be beset with inflation,

(श्री श्रीमानसिंह)

i. e. higher prices. If the poor man has not found any relief in the budget, I hope the Government will be vigilent enough to save the poor man from the hardships which will result when this budget is implemented, that means to save the poor man from the rise in prices which will be the natural consequence of the implementation of this budget.

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू सु०) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय ने सन् १९६०-६१ का बजट पेश किया और इस बजट को जब हमने देखा और सदन के माननीय सदस्यों के भिन्न भिन्न प्रकार के भाषण सुने तो उनमें इस सरकार की व्याख्या की गई है जिससे यह पता लगता है कि हमारे राजस्थान की बहुत ज्यादा तरक्की हुई है और उसके साथ ही साथ यह भी हमको पता लगता है कि करीब करीब दो टन कागजात इस बजट के रूप में हमारे सामने आये हैं और इसी हिसाब को देखकर हमारा जो बजट है उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के भाषण हो रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि साधारण जन उपयोगी और कल्याण विभाग के बारे में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो आंकड़े उपस्थित किये हैं उनमें जो बढ़ोत्तरी है ...

(कुछ क्षणों के लिए मौन)

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप पढ़ दीजिए।

श्री लादूराम : उसमें जो बढ़ोत्तरी बताई है वह इस प्रकार है कि करीबन

श्री उपाध्यक्ष : (पढ़ने में अधिक समय लेते देख कर) समय बहुत कम है।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : २० मिनिट का समय है। उस समय में बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ अर्ज करने में समय नहीं बितायें।

श्री लादूराम सुलाणिया : ७४.५० लाख है उसको लेकर बढ़ोत्तरी ४८२९.१५ की बताई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बढ़ोत्तरी में जो समाज कल्याण का जो विकास हुआ है उसके विषय में बदस्तूर बात यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं और उनके उत्थान के विषय में इस धन को सरकार ने खर्च किया है, और इस धन से संतोष दिलाने के लिए पूरी तरह से चेष्टा की है। परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि उसका दुरूपयोग हुआ है, और दुरूपयोग इस प्रकार से हुआ है क्योंकि हम विकास को देखते हैं तो १९५१-५२ से १९६०-६१ तक हरिजनों की जो प्रगति हुई है वह नहीं के बराबर है। राजस्थान के कोने-कोने में इस बात को देखते हैं तो पता लगता है कि किसी भी प्रकार की तरक्की ज्यादा उन लोगों की नहीं हुई है, और वह इस बेसिस पर है कि जब राजस्थान में इतना धन खर्च किया जाता है और फिर तरक्की नहीं कर पाये हैं तो इसका मूल कारण क्या है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी १९५९ के अन्दर राजस्थान के कुछ इलाकों में हरिजनों पर आक्रमण हुए। वह मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह छिपे हुए नहीं है। इतने

(श्री लादूराम सुलाणियां)

आक्रमण तो जिस वक्त में जागीरी प्रथा थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त भी इतना जुर्म तो हरिजनों पर नहीं होता था। आज कांग्रेस की सरकार में हरिजनों पर अन्याय हो रहा है। अभी हाल में १८ तारीख के राष्ट्रदूत में आप देखिये····

श्री उपाध्यक्ष : क्या देखिये ? किस तारीख का राष्ट्रदूत ?

श्री लादूराम सुलाणिया : १८ तारीख का राष्ट्रदूत आप देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : वह नहीं देखा जायगा। आप अपना भाषण आरम्भ रखिये···

श्री लादूराम सुलाणिया : उन पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं कि छिपे हुए नहीं हैं। अभी कुछ दिनों पहले मालपुरा तहसील के अन्दर और जहां से वित्त मंत्री महोदय आये हैं केकड़ी तहसील के अन्दर, इन दोनों तहसीलों के अन्दर सवर्णों ने वहाँ कई हजार हरिजनों के साथ में इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है कि अगर आदमी इन्सानियत से देखे तो आत्मा शिथिल हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आत्मा के शिथिल होने का यहां प्रश्न नहीं है। आप बजट पर वाद-विवाद कर रहे हैं या हरिजनों पर जो अत्या-चार हो रहा है उसको बता रहे हैं। रीतिनीति आरम्भ में ही आपने ऐसी रखी है। कम से कम थोड़ा बहुत तो आंकड़ों पर बोलें।

श्री लादूराम सुलाणियां : समाज कल्याण के जो आंकड़े दिये हैं उनके बेसिस पर निवेदन किया है। कितने धन की व्यवस्था की है, और तरक्की क्या हुई है ? तरक्की का प्रश्न है। जहां पर धन खर्च करने का प्रश्न है वह मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज धन व्यय करके भी तरक्की नहीं पा रहे है। उससे आत्मा को असन्तोष होता है इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि एक तरफ तो हम विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के जितने भी मनुष्य हैं उनको समान अधिकार प्राप्त हैं और दूसरी तरफ यह इस प्रकार का मतभेद है कि जिसको इन्सानियत के नाते देखा जाय तो बहुत अन्तर है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि गये दिनों में बेगार लेने की प्रथा के बारे में हर गांव में इस प्रकार की व्यवस्था हुई, उसके लिए इन्तज़ाम हुआ, बहुत मुश्किल हुआ है और एक गांव के अन्दर तो यहां तक हुआ कि एक हरिजन की लड़की मर गई तो श्मशान में ले गये और जलाने लगे तो जलाने नहीं दिया। एक गांव के अन्दर गाय माता की मृत्यु हो गई तो उसको घसीटने नहीं दिया और मकानों के अन्दर गाड़ना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से फिर निवेदन करूंगा कि मैं पासिंग रेफरेन्स के लिए लिबरल हो सकता हूं, लेकिन आप बजट के वादविवाद को इन्हीं उदाहरणों से सब्स्टीट्यूट कर रहे हैं तो मैं ठीक नहीं सम-झता हूं।

श्री लादूराम सुलाणिया : हम बजट में इसलिए विशेष खर्च करते हैं कि राजस्थान का विकास हो, राजस्थान के नागरिकों को ज्यादा फायदा मिल सके, तो हम ज्यादा तरक्की किस प्रकार से कर सकें यह आधार

Page No.71

(श्री लादूराम सुलाणिया)

लेकर मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज इतना धन व्यय करने पर भी अगर लोगों में असंतोष है उसके लिए किसी प्रकार का कदम नहीं उठायें और उस पर किसी प्रकार की रोकथाम नहीं की गई तो मैं इस प्रकार की प्रार्थना करूंगा कि यह मैं बजट के विषय पर ही बोल रहा हूं और बजट के अन्दर हमारा इतना धन आज हरिजनों के नाम पर खर्च किया जा रहा है उसका सदुपयोग नहीं होता है। इसके कारण यह अव्यवस्था रहती है। ये सारी चीजें आपके समक्ष बजट भाषण पर बोली जाती हैं उनके कहे जाने का वह अच्छा मौका मिलता है, और हर सदस्य अपनी दुःखभरी कहानी, जिनके जायज़ अधिकार हैं वह प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा, यहां सदन में कहता है। उसी चीज को लेकर मैंने यह निवेदन किया था।

बजट के आंकड़ों के हिसाब से भिन्न महानुभावों ने जो कुछ प्रार्थनाएं की हैं उनको आप स्वीकार करेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज विकेन्द्रीकरण राजस्थान के अन्दर करना चाहते हैं, हम सारे मनुष्यों को एकत्रित करके एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं। उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। अभी हाल में करोड़ों, अरबों रुपया राजस्थान पर कर्जा है। कर्जा इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान में डेढ़ पौने दो करोड़ आदमियों पर कंट्रोल कर सकें, एक आदर्श राजस्थान बना सकें, इसलिए हम धन व्यय करते हैं। अगर उस धन का दुरूपयोग हो, उस धन का सदुपयोग नहीं हो तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि फिर हम कामयाबी प्राप्त कैसे कर सकते हैं और कमी यही है कि आज जनतन्त्र में भी राजस्थान में और कई प्रकार के अत्याचार हैं उसके लिए राजस्थान की ओर से कोई विशेष कानून नहीं बनाया जाय, कोई विशेष ज़ोर नहीं दिया जाय, या उसके लिए विशेष जांच नहीं की जाय तो मैं प्रार्थना करूंगा कि यह अनुचित है। अभी १९५९ में तहसील दौसा में एक ग्राम में रामलाल नाम के आदमी को बेगार प्रथा में लेकर १०,१५ आदमियों ने इस प्रकार से लाठियों से मारा कि उसकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई और जिसके ऊपर सरकार की ओर से कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। तीन चार आदमियों के इधर उधर फिरने से कोई नतीजा नहीं निकला है।

जो आदमी घटना स्थल पर जाय और उसकी जांच की कोई कार्यवाही न हो तो फिर सच्चा न्याय मिलेगा कहां से ? हम यह सोचते हैं कि आज स्वतन्त्र भारत में हर आदमी को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है और अपने अधिकार प्राप्त करने का भी अधिकार है, इस पर भी अगर हमें अधिकार नहीं मिले तो वह दिन है कौनसा और कब आयेगा और लोगों को कैसे विश्वास होगा ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज से कई वर्षों पहले जब देशी राज्य माने जाते थे और जिस समय लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं थे उस समय अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की जाती थी और यह सोचते थे कि जब भारत आजाद होगा तब हमें अधिकार प्राप्त होंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के आजाद होने के बाद अधिकार प्राप्त होना तो दूर रहा, जो मतभेद पहले व्याप्त था उससे आज, अगर मैं सही अर्ज करूं तो, सौ गुणा अधिक अन्याय हो रहा है। हरिजनों के नाम पर

(श्री लादूराम सुलाणिया)

करोड़ों रुपये खर्च करती है भारत सरकार और कहते हैं कि हम हरिजनों का उत्थान करते हैं, बहुत बड़ा अधिकार उनको दे रहे हैं लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाय तो राजस्थान में करीब ७० लाख हरिजन बसते हैं और उनको सिर्फ २८ सीट्स यहां दी हुई है। तो क्या केवल २८ लाख ही हरिजन मर्दुमशुमारी के आंकड़ों के अनुसार है ? हमको अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा हैं । करीब करीब ७० सीट्स हमारी होती हैं, जनसंख्या के हिसाब से वे हमको क्यों नहीं देते ?

३१ म० प०

नौकरियों के बारे में ऑर्डर निकलता है कि साढे बारह (१२।।) पर्सेन्ट स्थान उनके लिये रिजर्व रहेंगे । इस बारे में जब मन्त्रीजी को पूछते हैं तो वे उत्तर देते हैं कि हरिजन योग्य नहीं हैं । योग्यता देखी जाती है गजेटेड ऑफिसर्स के लिये । हम मानेंगे उन पदों के लिये योग्य नहीं हैं लेकिन जो चौथी श्रेणी के लोग हैं और जिनका काम इधर से उधर कागज़ लेजाने का है क्या उनके लिये भी हरिजन योग्य नहीं हैं ?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, दूसरे सदस्यों ने काफी समय लिया है, मैं सिर्फ १० मिनिट और लूंगा । मैं अर्ज कर रहा था कि चौथी श्रेणी की जगह भी इन लोगों को कोटा के अनुसार क्यों नहीं मिलती है ? इसका कारण सिर्फ यह है कि रोटियां अधिकारियों के लिये वे नहीं बना सकते इसलिये उनको जगह नहीं मिलती है । उनको पूछा जाता है कि तुम कौन लोग हो । अगर वे कहते हैं 'शर्मा' है तब तो फौरन जगह मिल जाती है और यदि वे कहते हैं हरिजन हैं तो कह देते हैं कि कोई वेकेन्सी नहीं है । जब आपने हरिजनों के लिये सीट्स रिजर्व करदी हैं तो फिर वेकेन्सी नहीं होने का क्या अर्थ है ? मैं कहूंगा कि हर पोस्ट पर कोटा के अनुसार शिड्यूल कास्ट के लोगों की पूर्ति नहीं है । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी डिपार्टमेंट की जांच करवा लीजिये रिजर्व स्थानों पर पूरा कोटा नहीं है । गजेटेड ऑफिसर्स को देखा जाय तो राजस्थान में इन पोस्टों पर नहीं के बराबर हरिजन हैं । कई हजार गजेटेड ऑफिसर्स यहां पर हैं लेकिन कोटा के अनुसार १५ पर्सेन्ट जगहें नहीं दी गई हैं। उनके लिये अयोग्यता की बात लगाते हैं । मैं कहूंगा कि जब रिवर्ज रखते हैं तो उनके एग्ज़ामिनेशन्स में बाधाएं क्यों डालते हैं "सूटेबल" शब्द लग जाता है। इस प्रकार की बाधाओं से छूट क्यों नहीं रखी जाती ? उदाहरण के तौर पर रिजर्व सीट होती हैं उस पर योग्य अयोग्य देखने की क्या बात है ? अगर कोई योग्य होंगे तो वे अपनी योग्यता के बल पर आप ही आ जावेंगे, सरकार का इसमें क्या है ।

राजस्थान में चार हज़ार पंचायतें हैं लेकिन उनमें कुल दो हज़ार भी हरिजन पंच नहीं हैं, सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। होता क्या है कि जब तक सरपंचों को जूतियें रखाने वाले हरिजन पंच नहीं मिलते है तब तक वे लेते नहीं हैं। यह सबसे बड़े दुःख की बात है । मैं वित्त मंत्रीजी से, जिनके पास यह डिपार्टमेंट है, निवेदन

(श्री लादूराम सुलाणिया)

करूंगा कि यह हिदायत होनी चाहिये कि जब तक हरिजन पंच पंचायत में नहीं हो तब तक पंचायत का कार्य शुरू नहीं होना चाहिये । यह हालत सभी जगह है । मैं अर्ज करूंगा कि जो कमियें हैं....

श्री उपाध्यक्ष : पूरी की जांय ।

श्री लादुराम सुलाणिया : की जाय या न की जाय, हमको दुःख नहीं है। अगर पूरी की जायेंगी तो लोगों का भला होगा ! आप लोगों में जनतंत्र के प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि सब को समान अधिकार हो तो मैं निवेदन करूंगा कि समान अधिकार सच्चे माने में देने चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों की बारातों के साथ मारपीट करते हैं पर उन लोगों को दंडित घोषित नहीं किया जाता ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं दो मिनिट और लूंगा उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि छूआ-छूत के प्रश्न पर हरिजनों के साथ मारपीट हो जाती है । गर्मी की मौसम में उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा कि प्याउओं पर नालियाँ लगी हुई है जिन पर कुत्तों बिल्लियों को भी पानी नहीं पिलाते हैं लेकिन हरिजनों को इन नालियों के जरिये ही पानी पिलाया जाता है । इससे बढ़कर दुर्भाग्य राजस्थान के हरिजनों का क्या होगा । इसको नहीं मिटाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब इसका उल्टा ही असर न हो । जिन वोर्ट्स के बूते पर राज्य टिका हुआ है उसमें यदि बराबर अधिकार नहीं दिये गये तो इससे बढ़ कर क्या अन्याय होगा । इन शब्दों के साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि हरिजन उद्धार के लिये करोड़ों रुपयों की रकम खर्च की जाती है -इससे भी यदि हरिजनों का उद्धार नहीं हुआ तो यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात होगी हरिजनों के लिये और सरकार के लिये भी ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरोतमलाल जोशी ।

श्री मनोहर कोठारी (कुंभलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बोलने के लिये समय निश्चित किया गया है या जिन्होंने धन्यवाद के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग नहीं लिया है उन्हें, बजट के समय बोलने के लिये मौका दिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह सिद्धान्त आसन के सहूलियत का है । सदन के सामने क्या सहूलियत है और क्या नहीं है, यह आसन के देखने की बात है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि जो लोग राज्यपाल के भाषण पर नहीं बोले थे उनको पहले मौका दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन मैं उस गाइडिंग प्रिन्सिपल को लेकर नहीं चलूंगा ।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष, द्वितीय पंचवर्षीय योजना

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

के चतुर्थ वर्ष का यह आय व्यय का लेखा हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है । हमने यहां कल्याणकारी राज्य की तथा समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का एक मुख संकल्प लिया है उसको देखते हुए पहली नज़र में हमारा यह बजट बहुत सुन्दर और प्रगतिशील है । हमारे बजट के अंदर कल्याणकारी राज्य की जितनी बातें होनी चाहिये उनके लिये काफी प्रावधान रक्खा गया है । शिक्षा के क्षेत्र में, यातायात में और अन्य मदों के अंदर इस विषय में काफी प्रावधान रखा गया है । जैसा कि बजट में बताया गया, राजस्थान की स्थिति में शनैः शनैः परिवर्तन हो रहा है । पहले जहां हमारे यहां कस्टम्स ड्यूटी थी उसको सेल्स टैक्स के द्वारा परिवर्तित करके; रेशनेलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स के द्वारा लोगों की तनख्वाह बढ़ा कर और उनको महंगाई भत्ता देकर और प्रशासनकि सेवाओं को बढ़ा करके हमने शनैः शनैः दूसरे विकसित राज्यों का मुकाबला किया है जो हमारे भारतवर्ष में हैं । इस सिलसिले में कुछ बातें कहनी आवश्यक होंगी, वे यह हैं कि जहां हम देखते हैं कि हमारे विकास के युग में जहां हमको अर्थ की और आवश्यकता है, वहां पर बराबर जो हमारी स्कीमें चलती हैं, उनमें हमें देखना होगा कि किस प्रकार के विकास कार्यों से ऐसी अर्थ व्यवस्था हम उत्पन्न कर सकते हैं, जो हमारे लोगों को काम अधिक से अधिक दिला सके और हमारी आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर सके । किन्तु, हम जब देखते हैं कि पिछले वर्षों में हमारी टैक्स करने की स्कीमें थीं, उनमें किस प्रकार टैक्स वसूल कर पाये हैं, तो हमें निराशा होती है । जैसा कि बतलाया गया है, हमने पिछले वर्षों में चार तरह के टैक्स लगाये, इर्रिगेशन रेट्स को बढ़ाया, बैटरमेंट लेवी को बढ़ाया, पेसेन्जर टैक्स और एक्साइज़ ड्यूटी को बढ़ाया । इनके जब सारे आंकड़ों का मुकाबला करते हैं तो पता लगता है कि इर्रिगेशन रेट्स और बैटरमेंट लेवी के अन्दर ज्यादा कामयाबी नहीं हुई । यह ऐसी बात थी, जिनकी कामयाबी के ऊपर हमारा अनुमान सिद्ध हो सकता था कि हम किस प्रकार कल्याणकारी राज्य की बात को ठीक तरह से कार्यान्वित कर पाये हैं या नहीं । मैंने बहुत देखने की कोशिश की कि इर्रिगेशन रेट्स और बैटरमेंटलेवी क्यों वसूल नहीं हुई और उनके अन्दर हमारी जो एक्सपेक्टेशन्स थीं आशायें थी, वे कार्यान्वित क्यों नहीं हुई, तो देखने से पता चला कि हमारे बहुत से माइनर इर्रिगेशन के काम थे, उनको ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाये हैं । इसी तरह से जो हमारे आंकन थे, प्रावधान जो रखे गये थे, उन्हें ठीक तरह से प्राप्त नहीं कर सके और टैक्स ऑन पेसेन्जर्स और एक्साइज़ ड्यूटीज, जिनके अनुसार टैक्स करके हम बराबर वसूली कर सकते थे, उनके अन्दर हमको कामयाबी मिली । इसी तरीके से हम जो नये टैक्स रख रहे हैं, उनमें एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को हमने दूर करके, उसकी जगह सब्सटीट्यूट किया है लेवी ऑन सरचार्ज ऑन लैंड रेवेन्यू । राजस्थान के अन्दर जो भिन्न भिन्न रियासतें थीं, उनके अन्दर अलग अलग रेन्ट रेट्स थीं, वे इतनी असमान थीं कि उनके अन्दर कहीं बहुत ज्यादा और कहीं बहुत कम रेट्स थीं । उनके ऊपर सरचार्ज लगाने से बराबर यह तो होगा कि उनमें जो कॉम्प्लीकेशन्स हैं, उनमें जो विविधतायें हैं, उनमें जो कठिनाई हैं, उनको पूरा कर सकेंगे लेकिन उन सरचार्ज से बराबर एक कठिनाई होगी कि जिन लोगों पर बहुत टैक्स

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

का भार पड़ा हुआ है, उनके ऊपर और ज्यादा टैक्स लगेगा और जिन लोगों के ऊपर जिनकी ज्यादा आमदनी है, उन पर कम टैक्स लग सकता है । इस तरह से एक असमानता पैदा होगी । जो अधिक टैक्स देते आये हैं, वे ज्यादा टैक्स देंगे और दूसरे, जिनकी ज्यादा आमदनी है, वे कम टैक्स देंगे यह असमानता हमारे राजस्थान में स्वाभाविक है, वह इसलिए कि राजस्थान में भिन्न भिन्न रियासतों में तरह तरह की रेंट रेट्स थीं, उनको ठीक तरह समान स्तर पर नहीं ला सकते ।

इसके अलावा जो कोर्ट फीस के ऊपर जो हमने टैक्स बढ़ाया है, उसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि कोर्ट फीस पर टैक्स लगाना न्याय के दरवाजे बन्द करना है । हमारे यहां जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें बतलाया गया था कि कोर्ट फीस लगा कर सिविल लिटीगेन्ट्स के ऊपर इतना भार आता है कि वे जो कोर्ट फीस देते हैं, वह केवल शासन की मशीनरी के व्यय का भार ही वहन नहीं करते बल्कि जो क्रिमिनल लिटीगेशन को भी फाइनेन्स करते हैं, अर्थात् इनके ज़रिये जो मुकदमे लड़ने वालों से रुपया वसूल किया जाता है, जितने मजिस्ट्रेट हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इनका खर्चा सिविल कोर्ट्स में मुकदमे लड़ने वालों से लिया जाता है । इस प्रकार की दशा के अन्दर हम ऐसे टैक्सेज न लगायें । हमारे बड़े बड़े जूरिस्ट्स ने अनाउन्समेंट किया है, इस प्रकार की घोषणायें की हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट के अन्दर, वैलफेअर स्टेट के अन्दर जहां इस बात की कल्पना करते हैं कि लोगों के साथ समान व्यवहार हो, जहां कोई पाबन्दियां नहीं होनी चाहिए, वहां न्याय के दरवाजे पर आकर खटखटाने में किसी खर्चे के कारण, व्यय के कारण उनके सामने बाधायें उपस्थित होंगी तो यह जो कोर्ट फीस के बारे में टैक्स लगाया गया है, उसको उचित नहीं कहा जा सकता है । इसके बारे में पता नहीं, कब कोई सुधार होगा लेकिन आये दिन जब कोई टैक्स बढ़ाने की बात होती है तो स्टाम्प्स ड्यूटी, कोर्ट फीस पर टैक्स बढ़ाया जाता है, जिसे कि बहुत अनुचित कहा जा सकता है ।

इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारे विकास के कार्य हैं, उनके अन्दर जो बढ़ोत्तरी की बात है, उनको देखना चाहिए और वह बढ़ोत्तरी आमदनी की होनी चाहिए । वह आमदनी की बढ़ोत्तरी किस प्रकार से हो सकती है । हमने देखा कि हमारे बजट भाषण के अन्दर एक बड़ी बात कही गई है । यह कहा गया है कि इन्डस्ट्रीज़ के अन्दर जो स्लेग्नेस थी वह किस प्रकार धीरे धीरे कम हो रही है । हम देखते हैं कि टैक्सटाइल कमेटी बैठी, उसने रिपोर्ट दी है, उसने जांच की कि किस प्रकार मिल्स बन्द हो रही हैं और दूसरी मिलें खोली जा रही हैं । और उनके अन्दर, जो बन्द हो गई हैं, कितने आदमी बेकार हो गये हैं और दूसरी मिलें नहीं आ रही हैं, नई मिलें काम नहीं कर रही हैं, इस तरह से यह स्पष्ट आभास होता है कि हमारे यहां मूलभूल गड़बड़ी है, जिसके कारण हम मिलों का ठीक तरह से संचालन नहीं कर पा रहे हैं । आज नई नई मिलें खड़ी कर रहे हैं, वैसे नई मिलें खड़ी करने का विरोध हम नहीं करते, हम चाहते हैं कि कोई मूलभूत कारण है जिससे वे ठीक तरह से चल नहीं पा रही हैं, उन मिलों को हम ठीक

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

तरह से आॅर्डर में करें और देखें कि उनसे हमारी इन्कम हो, ज्यादा कोमोडिटीज पैदा हों और लोगों को अधिकाधिक अर्थ लाभ हो।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि मैडीकल एण्ड पब्लिक हैल्थ में बहुत ब्राइट पिक्चर स्पीच में मिलती है। लेकिन जब हम देहातों में जाते हैं, हॉस्पीटल में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जहां पर लोगों को ठीक तरह सुविधायें मिलनी चाहिए, जहां ठीक तरह से सेवा होनी चाहिए, ठीक तरह से उनका इलाज होना चाहिए, उन हॉस्पीटल में केवल एक डॉक्टर बैठा रहता है। दो तीन वर्ष से, ऐसे अस्पताल हैं, जो खुले हुए हैं, लेकिन न तो ठीक तरह से नर्स वहां पहुंचती है, न कभी दवायें पहुँचती हैं, कभी किसी और चीज की कमी रहती। तो इन सारी चीजों को ठीक तरह से देखना होगा ताकि वे ठीक तरह से चल सकें और ठीक तरह से सेवा कर सकें, यह बात देखनी होगी।

साधारणत: हम शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा विस्तार करते हैं, स्कूलों की संख्या में वृद्धि करते हैं और यह देखते हैं कि इससे हम अधिक लोगों को एम्प्लोयमेंट दे दें। तो केवल इसी से हम अपना उद्देश्य पूरा हुआ हुआ समझ लेंगे तो यह सही नहीं होगा। बेसिक एज्यूकेशन को, जैसा कि हमारे संविधान में दिया हुआ है, उसको केवल कागजों पर ही पूरा कर लें और देश का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं उठायें तो हमारा उद्देश्य अपूर्ण ही रहेगा। जहां हम शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करते हैं और अधिक स्कूलें खोलते हैं वहां हमें यह भी देखना चाहिये कि स्कूलों के स्टेन्डर्ड को, अध्यापकों के स्टेन्डर्ड को, पढ़ाई के स्टेन्डर्ड को ऊंचा उठावें, और यदि कहीं इनके स्टेन्डर्ड में कुछ भी कमी है तो उस कमी को पूरा करें। पर आज हम अधिकांश में देखते हैं कि अध्यापकों के एपोइन्टमेंट्स होते हैं तो बड़ी बड़ी रिश्वतें चलती हैं, पर्चेजेज में करप्शन चलता है, तो इन सारी चीजों को देखना चाहिये।

अक्सर यह देखा जाता है कि विधान सभा के प्रांगण के ऊपर चार्जेज लगाये जाते हैं और जिम्मेदार माननीय सदस्यों की तरफ से कहा जाता है कि इनका कन्करीट सबूत दें, मैं समझता हूँ यह चीज ठीक नहीं है। इस सदन के माननीय सदस्य एम. एल. एज. कम्प्लेनेन्ट्स की तरह मिनिस्टरों के पास जायं, सबूत पेश करें और इस प्रकार के एलीगेशन्स को साबित करें, यह इस सदन का अपमान है। इस सदन में कम्प्लेन्ट्स के रूप में जो बातें कही जायं, उनकी कॉग्निजेंस ली जानी चाहिये और उस सम्बन्ध में यदि कुछ पृष्टव्य हो तो माननीय सदस्यों से पूछना चाहिये पर मिनिस्टर साहबान यह आशा करें कि वे कम्प्लेनेन्ट्स के रूप में आकर सबूत पेश करें और यह कह कर कि लोग वेगली कह देते हैं, वेगली ही जवाब दे दिया जाता है तो हम कोई जनतन्त्र की परम्पराओं को खास मजबूत नहीं कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूँगा कि कोई जनरल टाइप के एलीगेशन्स लगाये जायं तो क्या यह गवर्नमेंट के लिये जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज़ माननीय सदस्यों से मांगे ? वह नहीं मांगे तो माननीय सदस्य बताने की कृपा करें कि वह कौनसा तरीका है जिससे इस तरह के करप्शन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के जनरल एलीगेशन्स के लिये गवर्नमेंट एक्शन ले, कॉग्निजेंस ले। स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज मांगने में गवर्नमेंट की यह मंशा कतई नहीं है कि सदन के माननीय सदस्य मुस्तगीस की तरह, कम्प्लेनेन्ट्स को तरह खड़े होकर एवीडेन्स दें। पर इस बात की आवश्यकता है कि जिस किसी पर करप्शन के चार्जेज हों, डेफिनेट चार्जेज लगायें तब तो इन्क्वायरी की जा सकती है, वरना यह कह देने से कि फलां विभाग में बहुत करप्शन है, भ्रष्टाचार है, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, कोई एन्क्वायरी नहीं की जा सकती। इसलिये जहां कहीं करप्शन है तो माननीय सदस्य बतायें, डेफिनिट इन्फोर्मेशन तो दें, जिससे कॉग्निजेंस ली जा सके और एन्क्वायरी आगे बढ़ा सकें। मेरे ख्याल से यह तो आप भी मानेंगे कि जरूरी है।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : मैं नहीं समझ सका कि मुझको इस विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता है। पर क्या माननीय सदस्य, ट्रेजरी बैंचेज़ के सदस्य यह चाहते हैं कि इस सदन में ऑफिसर्स का नाम लेकर डेफिनिट एलीगेशन्स रखे जायं ! मैं तो समझता हूं यह सदन की परम्परा के विपरीत होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : सदन में नहीं बाहर दें। पर मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि एलीगेशन्स दिये बगैर गवर्नमेंट से माननीय सदस्य यह एक्स्पेक्ट करते हैं कि कॉग्निजेंस ले, एन्क्वायरी करे। यह सदन की परम्परा के विपरीत है कि यहां नाम लेकर इन्स्टान्सेज नहीं दिये जायं, पर जब तक कि मिनिस्टर इन्चार्ज को डेफिनिट चार्जेज नहीं बताये जायं तो माननीय सदस्य बतायें कि किस तरह एन्क्वायरी कराई जा सकती है ?

श्री नरोत्तमलाल जोशी : मैं समझता हूं कि यदि माननीय मन्त्रीजी जो कुछ मैं कह रहा था उसे ठीक शान्ति से सुन लेते तो शंका करने की गुंजाइश नहीं रहती। मेरा तात्पर्य यह है कि किसी वेग (Vague) एलीगेशन के ऊपर यदि कोई एन्क्वायरी नहीं की जा सकती है तो वह नहीं की जाय, पर जहां सदन में ओपन चैलेंगेज़ दिये जाते हैं, वहां पर यह एक्स्पेक्ट करना कि वह मेम्बर कम्प्लेनेन्ट की तरह उन सारी बातों को पर्स्यू करेंगे और उनके पर्स्यू करने पर ही एन्क्वायरी की जाय तो यह स्वस्थ परम्परा नहीं होगी। मेरा यह तात्पर्य नहीं कि मेलिशियस और वेग एलीगेशन्स पर कोई एन्क्वायरी इन्स्टिट्यूट की जाय, पर खास एलीगेशन्स को वेग और मेलिशियस कह कर उनको टालना भी उचित नहीं होगा।

दूसरी बात मैं कहूंगा कि जहां इस बजट में हमने बड़े भारी प्रावधान दिखाये हैं, हमारी सोशियल सर्विसेज़ के बारे में और हमारे प्रोडक्टिव आइटम्स के ऊपर खर्चा करने के बारे में, वहां यह स्पष्ट है कि प्रोडक्शन के बारे में जितना हमें करना चाहिये उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी गति है इस दिशा में पर मन्द है। इसमें एफिशियेन्सी आना जरूरी है। वहां एफिशियेन्सी आयेगी तभी हम अधिक लोगों को काम पर लगा सकेंगे और अधिक लोगों को समृद्ध और खुशहाल कर सकेंगे। वैसे जो चित्र उपस्थित किया गया है इस बजट का, वह एक नजर

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

में बहुत ही उत्साहप्रद हो, ऐसी बात नहीं होते हुए भी, ठीक है।

एक बात मैं अर्ज करूंगा कि ऐसी बातें हैं, जैसे नाथद्वारा की बात है, जैसे कि गवर्नर की स्पीच पर हुए वाद विवाद के समय भी मैंने कहा था इस अवसर पर भी कहना चाहूंगा कि समय समय पर इसके डवेलपमेंट्स के बारे में हमें सूचित करते रहेंगे। मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पिछली गवर्नर की स्पीच के उत्तर में सारी कॉरेस्पोन्डेन्स एटोर्नी जनरल से हुई, उसे पढ़ कर सुनाया था पर इसके बाद हमने अखबारों में पढ़ा कि हाई कोर्ट से जजमेंट हुआ है कि जो प्रोपर्टी, जो माल आमेर में तिलकायतजी से जब्त हुआ था वह सब तिलकायतजी का माल है, वह तिलकायतजी को दे दिया जाय। जिस एन्क्वायरी के बारे में इतना सारा व्यय हुआ। इतना हंगामा इस विधान सभा के प्रांगण में हुआ, जिस माल के बारे में बड़ी भारी फाइंडिंग की गई, एग्जोनेरेट किया गया, हम सभी विधान सभा के सदस्य, खास तौर से कांग्रेसी सदस्य उस जजमेंट पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे मन्त्री मण्डल को एग्ज़ोनेरेट कर दिया पर एक इस जजमेंट पर वह सारा का सारा फैसला व्यर्थ कर दिया गया। उस कमिशन द्वारा यह फैसला किया गया था कि यह सारा का सारा माल मंदिर की प्रोपर्टी है, तिलकायत की प्रोपर्टी नहीं है। वह सारा का सारा माल तिलकायतजी को इस जजमेंट के द्वारा दे दिया गया है, इस जजमेंट से यह माल तिलकायतजी का माना गया है। इस जजमेंट के बाद उस कमिशन का कैसा महत्व रहा, इसके विवाद में मैं नहीं जाना चाहूंगा पर जैसी आज्ञा हुई है कि वह सब माल तिलकायतजी को दे दिया जाय, यह ऐसी विपुल राशि है जिस पर चिंता स्वाभाविक है। हमारे राजस्थान प्रान्त का सौभाग्य है कि नाथद्वारा जैसा मंदिर हमारे यहां है। भारतवर्ष में सबसे बड़ा मन्दिर तिरुपति बालाजी का मंदिर मद्रास में है, जिसके अन्दर में यूनिवर्सिटी चलती है, उससे दूसरा नम्बर नाथद्वारा मंदिर का है, मेरा ख्याल है कि इसी प्रकार की सेवा हमारे यहां भी यह मंदिर करता रहे और जो धर्म में श्रद्धा रखने वाले लोग यहां भेंट चढ़ायें उनसे लोक कल्याण के कार्य यहां होते रहें।

अन्त में मैं अर्ज करूंगा कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह एक पूर्ण रूप से बिलकुल सर्वतोमुखी विकास की ओर नहीं होते हुए भी हमारे भविष्य की योजनाओं के लिये अच्छी अच्छी आशाएं देने वाला है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द।

श्री गोकुलचन्द जाटव (लक्ष्मणगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट के विविध विभागों में समाज कल्याण विभाग को देखा है और उसी में मेरी दिलचस्पी है। मैं उसी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि वैसे तो प्रतिवर्ष ही कल्याणकारी कार्यों के लिये बहुत बड़ी रकम रखी जाती है पर इस वर्ष इस बजट में देखने को मिलता है कि हरिजनों को पीने के पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, उनको पीने के पानी के लिये कुएं बनाने में गवर्नमेंट सहायता

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

देती है, रकम रखती है। इसके लिये इसमें १०,८००० रुपया रखा गया था पर संशोधित करके ३० हजार कर दिया है। गांव गांव में कुओं की जरूरत है, पर इसके लिये पहले जो एक लाख ८ हजार की रकम रखी गई उसको घटा कर आधे से भी बहुत कम ३० हजार कर दिया गया है, इसके लिये मुझे बड़ा अफसोस है। इस तरह के कार्यों के लिये तो और अधिक से अधिक प्रावधान रखना चाहिये था, और अधिक रुपये की आवश्यकता थी पर जो रकम रखी जाती है उसको तो खर्च किया जाना चाहिये। भवन निर्माण के हेतु सहायता अनुदान देते हैं, अनुसूचित जातियों के लिये ८२५०० रुपया रखा पर उसकी जगह ६३००० संशोधन में कर दिया गया है। इस कार्य के लिये ६३००० बहुत कम है, और बढ़ाना चाहिये पर अफसोस यह है कि जितनी रकम रखी जाती है, उतनी भी काम में नहीं ली जाती। जो रकम इस कार्य के लिये रखी गई उसको घटा दिया गया, यह बड़े आश्चर्य की बात है।

जो विशेष बात है वह यह है कि अनुसूचितजातियों के कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन हेतु अनुदान १६००० रु० रखा है और वे अनुदान संशोधन करके १५ हजार है और संशोधन में १० हजार रहे और पांच हजार फिर भी कम हो गये। यह एक ऐसा विषय है जिससे बहुत ज्यादा लोगों को काम दिलाया जा सकता है और लोन लेकर लोग इससे छोटे छोटे चमड़े का काम और बुनकर का काम कर सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो काम है उनको प्रोत्साहन देने के लिये अधिक अनुदान देना चाहिये और इसके लिये अधिक धन सरकार को खर्च करना चाहिये। इसके अलावा कर्जे की व्यवस्था अधिक होनी चाहिये। इसके लिये शिकायत यह है कि जो रकम हरिजनों के कल्याण के लिये रखी है जिसमें विधवा स्त्रियों को सिलाई की मशीनों हेतु अनुदान, ग्रामोफोन की सुइयां, रेडियो सटों की जोड़ियां आदि के लिये ५०००) और ८,८५० रुपये और अनुमान में ९ हजार और बेट्रोज, सुइयां, रेडियो सेट प्रतिस्थापन वगैरह में ६० हजार रुपये हैं और मनोरंजन के लिये भजन के साज, रेडियो सेट, सिलाई की मशीनें, पेट्रोमैक्स, गैस की लालटेन के लिये २० हजार रुपये व मनोरंजन हेतु कार्यक्रम संगीत प्रतियोगिता पुरस्कार ग्रामोफोन की सुइयों के लिये ५,०५० रुपये, रेडियो, बेट्रीसेट, फर्नीचर, संगीत, मनोरंजन हेतु साज सज्जा के लिये १३६६० रुपये। इस तरह से कई आइटम हैं जिसमें कुल टोटल, मैं सारी रकमें तो नहीं देख पाया हूं लेकिन थोड़ा बहुत भी जो देख पाया हूं उससे मालूम होता है कि १०६५५० रु० होते हैं; मेरी यह मान्यता है कि अगर किसी आदमी को भूख लगे और उसको रोटी न देकर सिनेमा दिखा दिया जावे या कपड़े सीने की मशीनें दे दी जावे या रेडियो लगाले तो इससे कोई फायदा भूख में नहीं होता है। ये काम बहुत अच्छे हैं लेकिन इससे पहले आवश्यकता इस बात की है कि उसको मकान बनाने की आवश्यकता है, सहायता दी जावे। ताकि वे गांवों में अच्छी तरह रह सकें और उनको अपने रोजगार के लिये ५००) रु. लोन ले सकते हैं तो और भी अच्छा है। मैंने गत वर्ष दो व्यक्तियों को लोन दिलाया था इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से। मगर उसमें बड़ी दिक्कत

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

आई ! एक व्यक्ति चमड़े का काम करने वाला है उसको इसमें बहुत दिक्कत आई कि फार्म वगैरह जो उसको भरने पड़े वह सब अंग्रेजी में थे और वह पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण उसको पढे लिखे लोगों के पास जाना पड़ा और जमानत वगैरह उसको दिलानी पड़ी मगर यह तो होता ही है। अगर इसमें कोई हिन्दी में फार्म आदि बनाए जा कर उनको सहूलियत दिलाई जा सकती है तो दिलाई जावे। लेकिन कर्जा देने की व्यवस्था जरूर की जावे और यह जो लाखों रुपया फुटकर खर्च में जाता है उसके रुपयों को कम करके उन लोगों को उद्योग के लिये कर्ज़ दिया जाना चाहिये। इसके अलावा सैकड़ों बच्चे फार्म भरते हैं मगर उनको बहुत मुश्किल से १० या १५ बच्चों को स्कोलरशिप मिलती है।

इसके अलावा जो हरिजन दिवस मनाया जाता है उसमें २५ हजार रुपया नशीली वस्तुओं को बन्द करने के प्रचार के लिये नशा बन्दी को रोकने के लिये दिये जाते है। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि नशा करने वाले आदमी नशा करते हैं और करने वाले करेंगे ही। उसमें केवल २५ हजार रुपया उसको रोकने के प्रचार में खर्च किया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : इसको रोकने के लिये रखा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप शीघ्र समाप्त करेंगे।

श्री गोकुलचन्द जाटव : इस २५ हजार रुपयों की रकम का कोई सदुपयोग नहीं होता और इस रकम का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। इसलिये इस २५ हजार की रकम को भी इन कामों के लिये दिया जाना चाहिये जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूं।

एक और बात यह है कि आपने वेतन शृंखलाएं रखी हैं उसके बारे में मेरा यह सुझाव है कि गवर्नमेंट ने चाहे ५ रुपये बढ़ा दिये हों या कुछ और बढ़ा दिया हो लेकिन एक मनुष्य जो फोर्थ क्लास की श्रेणी में आता है उसको कुल मिला कर आप ५० रुपये से ज्यादा नहीं देते हैं। सरकार ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि चाहे आदमी फोर्थ क्लास सर्वेन्ट हो चाहे कोई दूसरा हो मगर उसके भी परिवार होता है और बच्चे होते हैं। उसको कपड़े पहनने और खाने को देना पड़ता है। इसलिये जो आपने यह मापदंड रखा है वह बहुत कम है इसके लिये कम से कम ७०) रुपये नीचे के कर्मचारियों के होने चाहिये और सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! अब राज्य सरकार की ओर से उत्तर होगा। ३॥ बजे का समय निश्चित किया गया था, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जवाब देना निश्चित किया था।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The Chair has now called upon to reply.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : The Hon ble Minister must be prepared to reply.

श्री उपाध्यक्ष : ३॥ बजे बाद....

Page No.81

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था की थी कि बोलने वाले ज्यादा होंगे तो समय बढ़ा दिया जावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : उसी व्यवस्था के आधार पर मैंने सदन की स्थिति को देख लिया है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बोलने वाले अभी मौजूद हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय एवं श्री दामोदरलाल व्यास के बोलने के लिये खड़े होने पर ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Is the Government not to prepare the reply.

श्री चन्दनमल बैद : I think the Hon'ble Minister has stood.

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble Revenue Minister should not interfere now This is not at all curteous.

श्रीदामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री पी. के. चौधरी : On a Point of Order. The Minister concerned should speak from his own seat.

श्री उपाध्यक्ष : I think this is no point of order. Even we have been very liberal so far as the Hon'ble Members are concerned.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : When the Finance Minister has already stood to reply, there is no ground to allow the Revenue Minister.

श्री उपाध्यक्ष : I have not recognised him.

श्री पी. के. चौधरी : He is the Deputy leader of the House.

श्री बी. एन. जोशी (बांदीकुई) : According to the Rules of Business, the Fniance Minister means any Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास : यों तो बजट पर आंकड़ों के, I think I can start now or any more point of order ?

श्री पी. के. चौधरी : You want more time perhaps.

श्री दामोदरलाल व्यास : बजट के आंकड़ों के सम्बन्ध में तो फाइनेन्स मिनिस्टर सदन में बतावेंगे । और माननीय सदस्य जिस तरह से उनको सुनने के उत्सुक हैं उत्सुकता से सुनेंगे । मैं तो उन बातों पर जो माननीय सदस्यों ने मेरे डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में उठाई हैं उस पर जानकारी देने की कोशिश करूंगा ।

श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल : It is your department.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, I am giving about my department.

श्री उपाध्यक्ष : You should not interrupt, it is the Chair to decide.

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जरूरी नहीं है। जहां तक बजट के आंकड़ों का प्रश्न है फाइनेन्स मंत्री से आप उनके भाषण में सुनेंगे और बाकी मेरे को जो कुछ मेरे विभागों के बारे में कहा गया उसके संबन्ध में कहूंगा। सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि कई माननीय सदस्य बराबर सरचार्ज के लिये बोले। इसके लिये एक बिल पेश किया है और आपके सामने विचारार्थ आयेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने सरचार्ज को सपोर्ट किया है तो कुछ ने उसको अपोज किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a Point of Order. There can be no talks in between the members of this House and the Gallery.

श्री उपाध्यक्ष : I am not subject to senses...

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक सरचार्ज का प्रश्न है इसके लिये एक बिल सदन में ऑल रेडी पेश कर दिया गया है और उस पर काफी बहस का आपको मौका मिलेगा। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने इसके लिए आपत्ति इस वजह से उठाई है कि वह सरचार्ज सब जगह पर इक्वीटेबल नहीं है और चूंकि यह राजस्थान में बहुत सारे आदमियों को और किसानों को इफेक्ट करेगा और खास तौर से शेखावाटी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह सरचार्ज ७०, ८० या ९० प्रतिशत किसानों को इफेक्ट करेगा। कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना है कि लैंड रेवेन्यू की रेट सब जगह एक सी नहीं है इसलिए यह मैथड इक्वीटेबल मैथड नहीं रहेगा। और इसमें चाही जमीन की रेट्स अलग अलग जगह और अलग अलग यूनिट्स में कहीं कम और कहीं ज्यादा है और इस बात को लेकर इसको इक्वीटेबल नहीं माना है। यह ठीक है कि हमारे यहां डिफरेन्ट विलेजेज और डिफरेन्ट एरियाज में लैंड की किस्म अलग अलग है और होनी भी चाहिये। इसके लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट में एसेसमेंट के लिए कुछ सिद्धान्त ले डाउन किये गये हैं क्योंकि हम हर जगह एक सी दरें नहीं लगा सकते क्योंकि जमीन अलग अलग किस्म की होती है। जिस सिद्धान्त पर लैंड रेवेन्यू एसेस होती है उसको लास्ट ईयर की प्रोड्यूस और कुछ प्रोड्यूस जो होती है उसको देख कर कन्सीडर किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में बारानी जमीन डिफरेन्ट तरह की है। एक भाग में बारानी जमीन में चार मन पैदा हो सकता है तो एक भाग की बारानी में चार सेर ही पैदा होता है। रेट्स को रेश्नेलाइज़ करने का मतलब यह नहीं होता है कि सारे राजस्थान में एक ही दर हो जाय। यह मुमकिन भी नहीं है। राजस्थान में सेटलमेन्ट हो रहा है और उसी प्रिन्सिपल पर सेटलमेन्ट की दरें मुकर्रर हो रही हैं। जो कि इक्वीटेबल हो और जस्ट मैथड से केल्कुलेट की हुई हों और यह नहीं कहा जा सकता कि कहां ज्यादा लगी हुई हैं। कुछ गिने हुये इलाके जरूर हैं जहां कि पुराने वक्त में सेटलमेन्ट हो चुका था, उन एरियाज़ का भी रीसेटलमेन्ट कराया जा रहा है ताकि वे भी रेट्स में रेश्नेलाइज़ हो जाय। इस दृष्टि से आप देखेंगे कि राजस्थान में आम तौर पर रेश्नेलाइजेशन ऑफ रेट्स हो रहा है। अब रहा सवाल चाही जमीन का।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चाही जमीन के लिये ऑलरेडी इस बिल में प्रोविजन है। उसका १।३ सरचार्ज की वसूली के लिये केल्कुलेट करेंगे। इस तरह से करीब करीब १२ आनी जमीन हो जावेगी। यह कहा जा सकता है कि बारानी जमीन की रेट्स आवेंगी उसी पर सरचार्ज लगाया जावेगा। कुछ एरियाज़ में रीसेटलमेंट को लिया जा रहा है जिससे कि इन्इक्वीलिटी ऑफ रेट्स नहीं रहेगी।

बारां से आये माननीय सदस्य ने बताया कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के बजाय यह सरचार्ज ठीक नहीं रहेगा। मैं निवेदन करूंगा कि केल्कुलेशन का पुराना तरीका नहीं रखा है, जैसे फोर्म्स भरने और रिटर्न्स देने। अब तो तहसीलदार ही लैंड रिकॉर्ड्स से केल्कुलेट करके असेस कर देगा। यही एक सिम्पल तरीका है जिसमें कि किसान को भी दिक्कत नहीं होगी और असेसमेन्ट में भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नोटिसेज़ और अन्य जो डिफरेन्ट कायदे के अनुसार आज कल जिस तरह से होता है वह नहीं होगा, वकीलों का खर्चा नहीं रहेगा, दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है और जो दिक्कत मौजूदा है वह भी मिट जावेगी। यह एक सच्चा और सीधा तरीका असेसमेंट का होगा जो गवर्नमेंट लेवल पर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के अधिकारी कर लेंगे।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : उदयपुर में कुम्भलगढ़ तहसील ही ऐसी है कि जहां पर हाइएस्ट लैंड रेवेन्यू लगा हुआ है। तो क्या वहां पर यह किसान के लिये मुफीद होगा जब कि आप कह रहे हैं कि बारानी जमीन की रेट्स एक सी नहीं कर सकते। वहां ऑलरेडी ही ज्यादा रेट्स हैं और फिर उन पर यह सरचार्ज और लगेगा। आप क्या इसको रिलेक्स नहीं कर सकते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब बिल पर डिस्कशन होगा तो हर माननीय सदस्य को इस पर मुफस्सिल तौर पर डिस्कशन करने का हक होगा। कुम्भलगढ़ तहसील में प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सोइल क्या है ?

श्री मनोहर कोठारी : किसानों के पास जमीन कितनी है, यह भी तो बतावें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पर्टीकुलर एरिया के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको एक जनरल बात बता रहा हूं कि सरचार्ज है वह एक इजीयेस्ट मैथड है, इससे आम किसानों को कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। हर किसान के हासिल ५०) रु० आ जावेगा यह कहना मुश्किल है। बारानी को लगा देते हैं, पचास रुपये आने वाला नहीं है और इसकी डिटेल्स तो सदन में जब बिल पर बहस हो तो वर्क आउट की जा सकती है और उन पर विचार किया जा सकता है।

दूसरा पोइन्ट है कमिश्नर्स की पोस्ट को एबोलिश करने का। पहले गवर्नर्स एड्रेस पर बहस हो चुकी है और लैंड रेवेन्यू एक्ट आया उससे पहले इस पर काफी बहस हो चुकी है। जब इकोनोमी का सवाल आता है तो माननीय सदस्य इस बात पर जोर लगाते हैं कि कमिश्नर्स की पोस्ट्स को एबोलिश क्यों नहीं कर देते। मैंने बार बार इस विषय में अर्ज किया कि जब से हम ने डीसेन्ट्रेलाइजेशन किया है तब से यह और भी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आवश्यक हो गया है कि कमिश्नर्स की पोस्ट रहे ताकि वे सारे डिविजन में इसको सुपरवाइज़ कर सकें। इस सम्बन्ध में मैं यह भी अर्ज कर दूँ कि दूसरी स्टेट्स में कमिश्नर की पोस्ट को एबोलिश करके एक एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन वहां भी यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और फिर वहां यह रियेलाइज़ किया गया की कलेक्टर्स के वर्क को सुपरवाइज़ करने के लिये और डिस्ट्रिक्टस् में जो सेपरेट डिपार्टमेन्ट्स हैं उनके वर्क के कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि कमिश्नर की पोस्ट रहे। प्लान एडवाइजर्स की तरह उनका रहना जरूरी है ताकि डीसेन्ट्रेलाइजेशन का वर्क सक्सेसफुली चले, प्लान का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से हो। मैं आपको आपकी सूचना के लिये यह निवेदन करूंगा कि यह यू. पी. में एक्स्पेरीमेन्ट किया गया। लेकिन बाद में इस कठिनाई को देखते हुये उनको वापिस रीस्टेब्लिश करना पड़ा। कमिश्नर्स की पोस्ट को एबोलिश नहीं करने के लिए गवर्नमेन्ट का यह दृष्टिकोण नहीं है कि कुछ आदमियों को एडजस्ट करना हो, रखना हो, लेकिन जो डीसेन्ट्रेलाइजेशन और अन्य कार्य हैं उनको देखते हुये यह आवश्यक है कि इस प्रकार के सुपर टाइप स्केल के ऑफिसर्स आवश्यक हैं, वे एडमिनिस्ट्रेशन के पोइन्ट ऑफ व्यू से आवश्यक हैं। लेकिन यदि आगे जाकर हम इस पोजिशन पर आजावेंगे कि कमिश्नर्स की पोस्ट की आवश्यकता नहीं है तो वे फिर आगे हो सकता है। आपको यह मालूम होगा कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कमिश्नर को एपीलेट पॉवर्स दे रहे हैं। प्लान एडवाइजर्स वे हैं, इसके साथ ही साथ उनकी मल्टीफेरियस ड्युटीज़ हैं और ड्युटीज़ को देखते हुए, डीसेन्ट्रेलाइजेशन की स्कीम को सक्सेसफुली चलाने के लिए उनकी पोस्ट्स की पूरी आवश्यकता है।

तीसरा पॉइन्ट यह है कि माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थान केनाल की नहर आ रही है उसमें दूसरे भूमिहीन लोगों को बसाया जाय, जमीन उनको वहां पर दी जाय। मैं निवेदन करूंगा कि वह सारे हिन्दुस्तान के प्रोडक्शन का सवाल है, जो भूमिहीन हैं राजस्थान के, उनको भी मौका मिलेगा। श्री माधोपुर के माननीय सदस्य ने कहा कि देवस्थान डिपार्टमेंट में इकोनोमी और रीहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को एबोलिश करने का सवाल था। उनको ध्यान नहीं रहा कि गवर्नर्स के एड्रेस के वक्त जवाब दिया था कि देवस्थान डिपार्टमेंट में कमी क्यों नहीं हो सकती। उस समय वे नहीं होंगे या उनका इसकी ओर ध्यान नहीं रहा और फिर उन्होंने इसको रिपीट कर दिया। देवस्थान डिपार्टमेंट में कमी करने का प्रोपोजल तो उस समय था जब कि ट्रस्ट एक्ट पास नहीं किया था। चेरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के पास हो जाने के बाद माननीय सदस्य खुद ही समझ लें कि इस विभाग पर अब कितनी रेस्पोन्सिबिलिटी आ गई है, इसको तो और एक्सपान्ड करना पड़ेगा, इकोनोमी का तो सवाल नहीं है। मुझे इसके लिए हाउस के सामने आना पड़ेगा और शायद हमारे वित्त मंत्री महोदय को सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के लिए आना पड़ेगा। हिन्दू ट्रस्टस को देखते हुए, इस डिपार्टमेंट द्वारा यह काम लागू होने के बाद, जहां नोटिफिकेशन इश्यू होंगे और अन्य काम

(श्री दामोदरलाल व्यास)

होंगे, उससे इतना काम इस डिपार्टमेंट में बढ़ जायगा कि इसके लिए हमको सीनियर टाइप का ऑफिसर रखना पड़ेगा। हमारा यह बाम्बे के ऊपर बेस्ड है। यदि पुअर टाइप स्केल के ऑफिसर को नहीं रखेंगे तो ऐसे रखने पड़ेंगे जो जुडिशियरी में होशियार हो क्योंकि ट्रस्ट के मामले आवेंगे, प्रोपर्टीज़ के ऑब्जेक्शन्स आवेंगे उनको वह डिसाइड कर सके।

राजस्थान के अन्दर हिन्दू और दूसरे मज़हबों के ट्रस्टस की कमी नहीं है इसमें करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति का सवाल है इसके अलावा कितने ही हिडन ट्रस्टस भी मिलेंगे।

डायरेक्टर ऑफ रिलीफ एन्ड रीहेबिलिटेशन के आफिसेज़ को हमने आलरेडी नेक्स्ट ईयर से एबोलिश कर दिया है ईश्वर न करे फिर इसकी आवश्यकता पड़े, न तो फेमीन हो और न इस प्रकार के दफ्तर के खोलने की आवश्यकता हो।

नाथद्वारा के बारे में पिछली दफा भी काफी बहस हो चुकी है, उस समय भी काफी जानकारी दे दी गई थी, आज फिर श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं। नाथद्वारे के मामले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें जहां तक कमीशन की फाइन्डिंग्ज का सवाल है वह सब आपके सामने हैं। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य एक समय एक प्रकार प्रश्न खड़ा करते हैं, पिछले वक्त भी आपने कुछ बातें कहीं थीं, जिसमें कहा गया था कि महाराज श्री को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, मुकदमा क्यों नहीं किया गया? मैंने इस बारे में अगली दफा काफी प्रकाश डाल दिया था। लॉ डिपार्टमेंट की राय इस बारे में क्या थी बाहर के लॉ आफिसर्स सोलीसीटर जनरल की जो भी राय ली वह भी मैंने बता दी थी। आज उन्होंने इस बात की सलाह दी कि मंत्री मंडल के दो सदस्यों की फाइन्डिंग्ज के लिये आपने उनसे क्यों नहीं राय ली, वे ठीक थे या नहीं आज ये बाते कहते हैं आपने राय लेने के लिये एडवोकेट जनरल को क्यों भेजा गया मुझे क्यों नहीं भेजा? माननीय सदस्य को मैं इस बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं कि एटोर्नी जनरल और सोलीसीटर जनरल जैसे लोगों के लिये वे कह सकते हैं कि एडवोकेट जनरल गये, इसलिये वे दूसरी राय ले आये और वे खुद जाते तो दूसरी राय ले आते....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : म्हारे कने पचास हजार रुपया नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने बहुत बड़े शानदार तरीके से एलीगेशन्स लगाये। वे सदन को और दुनियां को बतलाना चाहते थे कि वे जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं वे सचाई के साथ और इमानदारी के साथ लगा रहे हैं। आखिर उनको इस पर स्टिक रहना चाहिये था। उनको यह पता है कि मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी खुद की इच्छा से, न किसी के मजबूरी से, जुडिशियल इन्क्वायरी बैठाने का निश्चय किया। आखिर जब उस इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी उसके बाद तो हम माननीय सदस्यों से यह उम्मीद करते कि वे सही तरीके से इसको मानते। मगर अब भी अलग अलग तरीके

(श्री दामोदरलाल व्यास)

से एलीगेशन्स लगाये जाते हैं। वे कहते हैं कि उनको राय लेने के लिये क्यों नहीं भेजा, वे अपनी तरह की राय ले आते। हमें बड़ी खुशी है, आप किसी वकील से किसी भी प्रकार से, श्री सीतलवाड या एटोर्नी जनरल से राय ले आयें। आप अपनी राय के अनुसार राय ले आयें, हम उस पर अमल करेंगे।

श्री चन्दनमल वैद : आप अपनी पर्सोनेलिटी का असर डाल कर राय ले आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अगर मुझे रुपये दे दिये जायं तो।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनकी पर्सोनेलिटी और योग्यता का क्या असर पड़ सकता है, यह तो उस दिन से पता लग गया जब कि आपने कहा था कि महाराज श्री को कानून के अन्दर क्यों नहीं गिरफ्तार किया ? आपने यह भी कहा कि उनको गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं रखा गया ? यह तो उनकी कानून के बारे में नॉलेज है। आप किस प्रकार अपनी काबलियत का असर डालकर क्या राय ले आते ? माननीय सदस्यों को पता है कि कमीशन के सामने आपने किस प्रकार की शहादतें पेश कीं, किस प्रकार का शानदार एटीट्यूड रखा और किस किस प्रकार से शानदार गवाहों को पेश किया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारे गवाहों ने धोखा दिया था। I summoned you लेकिन आप चुप रहे।

श्री भैरोंसिंह : आप इस रिपोर्ट पर बहस करके देखें, आप बहस से क्यों डरते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! नाथद्वारे के प्रश्न पर जहां तक विवाद का संबन्ध है मैं निर्णय दे चुका हूं कि यह अप्रासंगिक है। फिर भी जब इस प्रसंग का उल्लेख कर दिया गया है अतः उत्तर दिया जाना जरूरी हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह नाथद्वारे का मामला बहुत प्रासंगिक है, जिसमें दो मंत्री गण इन्वोल्व्ड हैं, उस रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री भैरोंसिंह : बहस करें तो पता चले।

श्री दामोदरलाल व्यास : झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने नाथद्वारा केस के अन्दर अभी जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उससे उनका कहना है कि कमीशन की जो फाइन्डिंग्ज हैं वे उससे बेकार हो गई हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी कहा है कि इस बारे में सदन को बराबर जानकारी दी जाय। माल जो जयपुर में पकड़ा गया था उसके बारे में महाराज श्री ने रिट पिटीशन की थी उस रिट पिटीशन का फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि वह माल महाराज श्री को दे दिया जाय। पिछली दफा भी मैंने सदन में निवेदन किया था कि टेम्पल बोर्ड की रिपोर्ट पर पुलिस में ऑलरेडी केस रजिस्टर हो गया है जिसकी इन्वेस्टीगेशन डी० एस० पी० कर रहे हैं। माल जो सीज़ कर लिया है वह पुलिस कस्टडी में ही है। रहा सवाल इस बात का कि वह मुकदमा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

महाराज श्री के दर्मियान नहीं था जो रिट पिटीशन फाइल की थी। वह थी, जो टेम्पल बोर्ड ने क्लेम किया था उसके बारे में हाई कोर्ट में रिट दी थी और उसी पर फैसला दिया गया है। वैसे भी कानून के मुताबिक जिसके कब्जे से माल सीज़ किया जाता है उसी को दिया जाता है। हाई कोर्ट के फैसले पर गवर्नमेंट को एक्शन लेने का सवाल नहीं था। केस रजिस्टर हो चुका है, इन्वेस्टीगेशन के सिलसिले में इस माल को वापिस....

श्री मनोहर कोठारी : किसको सूचना दी थी, रजिस्ट्रेशन किसका हुआ था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इतना मैं निवेदन कर सकता हूं कि हाई कोर्ट के फैसले के बहुत पहले हो गया था। उस पर इन्वेस्टीगेशन शुरू हो गया। उसको पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लाया गया....

श्री मनोहर कोठारी : क्या यह सही है कि एस० डी० एम०....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज I will request you Mr. Kothari not to interrupt.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is another side of the case.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहस में यह भी कहा कि आज की सर्विसेज़ मिनिस्टर्स पर इतनी छा गई हैं कि वे मिनिस्टर से जिस तरह का चाहते हैं काम करवा लेते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि सर्विसेज़ को यह डर लगा रहता है कि कहीं टेलीफोनिक ऑर्डर्स न आ जायं, इस कारण वे इन्डिपेन्डेन्ट कार्य नहीं कर सकते। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि प्रोमोशन का जो तरीका है वह ऐसा है कि उसके अन्दर बहुत पक्षपात होता है। जहां तक प्रोमोशन का सवाल है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिपार्टमेंटल प्रोमोशन के रूल्स बने हुए हैं उसकी जानकारी रखते तो शायद यह बात नहीं कहते। हर केडर के अन्दर प्रोमोशन के तरीके हैं इसमें किसी भी मिनिस्टर की या किसी ऑफिसर की सिफारिश की या कहने की बात ही नहीं है। इसके लिये सीनियर ऑफिसर्स की समिति बनी हुई है जो सीनियोरिटी-कम-मेरिट के हिसाब से प्रोमोशन देती है। यदि लैंड रेकॉर्ड इन्सपेक्टर को किसी प्रकार का प्रोमोशन देना होता है तो उसके लिये लैंड रेकॉर्ड्स के सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी होती है जिसमें दो कमिश्नर्स और चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड रहते हैं। वे सब मिल करके सीनियोरिटी-कम-मेरिट के हिसाब से प्रोमोशन देते हैं। नायब तहसीलदार से किसी को तहसीलदार बनाना होता है तो उसके लिये सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी होती है जिसके अन्दर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर को एसोसियेट किया जाता है। तहसीलदार से आर. ए. एस., आई. ए. एस. आदि जगहों के लिये बोर्ड बना हुआ है जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स बैठते हैं और उनको प्रोमोशन उनके रेकॉर्ड के आधार पर दिया जाता है। इनके सिलेक्शन में किसी भी अधिकारी के या मिनिस्टर के दखल का सवाल नहीं। ऐसी कोई नज़ीर नहीं है जिनमें जो प्रोमोशन दिया है वह गैर मामूली तरीके से दिया गया हो आप इस प्रकार

Page No.88

(श्री दामोदरलाल व्यास)

की कोई नजीर नहीं दे सकते। और अब रहा सर्विसेज़ के लिये जो श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा उसका सवाल। इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है! वे कभी कोई कन्स्ट्रक्टिव बात सोचकर सदन को बताते नहीं इसलिये मैं उस विवाद और बहस में नहीं पड़ना चाहता। पर फिर भी इतना कह सकता हूं कि जहां तक सर्विसेज़ का सवाल है वे अच्छी तरह से, ईमानदारी से और इन्डिपेन्डेन्टली काम कर रही हैं और जहां मिनिस्टर को आॅर्डर देने की जरूरत होती है वहां वे अवश्य देते हैं और देना चाहिये। आॅर्डर देने में हमें कोई घबराहट नहीं है। आपको इसमें ऐतराज हो तो आप करते रहें पर जब तक मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट का काम करता है तब तक उसको जरूरत होने पर अपने सर्विसेज़ को हुक्म देने का भी अधिकार और फर्ज है। हम हुक्म देकर काम लेते हैं।

(४.१ म० प०)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : What happens when the Ministers give different orders to one officer ?

श्री दामोदरलाल व्यास : How different orders can be given to one officer ? One Minister is dealing with one officer.

श्री श्रीभानसिंह : If you want an instance, the Chief Minister had ordered enquiry when Martyrs' Memorial was removed and......

श्री दामोदरलाल व्यास : I think your information may not be very correct. That may be hearsay. I know, what you are telling.

श्री पी० के० चौधरी : What is the difference between 'correct' and 'very correct' ?

श्री उपाध्यक्ष : That is not the question to be decided.

श्री दामोदरलाल व्यास : सब-टिनेन्ट के लिये कहा गया। मैं सिद्धान्ततः उससे सहमत हूं। हमें अल्टीमेटली सब–टिनेन्सी को एबोलिश करना है, पर जिस समय इस सम्बन्धी कानून की बहस चल रही थी उस समय मैंने अर्ज किया था कि हमारे राजस्थान की स्थिति आज ऐसी है कि जिसमें हम सब–टिनेन्सी को एबोलिश करने की स्थिति में आज नहीं है। जो पहले काश्त नहीं करते थे हम चाहते हैं वे थोड़े एक्स्टम्ड हो जावें। उनको कुछ पीरियड ऐसा देना चाहते हैं कि जिससे वे तरीके सीख लें, काम सीख जावें। इसलिये इस वक्त ऐसा करना ठीक नहीं है।

टेरोमाइसीन के बारे में कहा गया। इस बारे में सम्बन्धित मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

पुलिस विभाग में दरियां खरीदी गई उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह कहा कि जो सेम्पल पास किया वह गायब कर दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : सेम्पल के अनुसार माल नहीं था मैंने यह कहा है। गायब करने की बात नहीं कही, आप प्रोसीडिंग देख लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : Just have a patience. दूसरी बात यह कही गई थी कि दूसरा माल इश्यू किया गया, सेम्पल के अनुसार नहीं था। गृह मंत्रीजी ने बताया कि ज्योंही यह बात ध्यान में आई और यह प्रश्न आया उस दिन, उस दिन नहीं बल्कि उससे पहले ही इन्क्वायरी के लिये कह दिया गया था। उस दिन इन्क्वायरी हो रही थी जिस दिन प्रश्न पूछा गया। चुनांचे उसका रिजल्ट अभी पूरा तो नहीं आया इसलिये पूरा रिजल्ट तो मैं नहीं बता सकूंगा। हो सकता है कल आ जावे और जो आया है वह मैं बता देता हूं कि उन दरियों का जो सेम्पल था उससे वेरीफाई किया गया। बिल्कुल जो सेम्पल था वही सेम्पल था। उसमें कोई चेन्ज नहीं किया गया।

अब रहा सवाल दरियां सेम्पल की आई या नहीं? तो अब इसकी इन्क्वायरी चल रही है। डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ के डिप्टी डाइरेक्टर हैं दास गुप्ता वे जांच कर रहे हैं। रिज़ल्ट सदन को बता दूंगा। पर जो इन्स्पेक्टर हैंडलूम का है, इन्क्वायरी उनकी करके भेजी हुई है वह यह है :

"I have seen the sealed samples and the entire lot of durries that were available at Police Headquarters, Udaipur. After comparing them with the sealed samples and also looking to the prescribed specification of the durries purchased by the Police Department I have come to the conclusion that the durries purchased are not at all of the lower specifications than the sealed samples. The estimate of their serviceability in no way looks to be less than the sealed samples and they conform to the sealed samples."

श्री चन्दनमल वैद : हियर, हियर।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो मैं निवेदन कर....

श्री भैरोंसिंह : मैथ्यू का लेटर पढ़कर सुना दीजिये। जब कि इन्डस्ट्री के डिप्टी डाइरेक्टर हैं उन्होंने जो लिखा है, मैथ्यू ने लिखा है कि आपने जितनी संख्या में दरियां पर्चेज़ की हैं सेम्पल के अनुसार नहीं की हैं। वह लेटर भी पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have given only a part of the enquiry. Mr. Das Gupta is himself looking into the matter. इसके अलावा मैं ...

श्री भैरोंसिंह : वह मैथ्यू का लेटर पेश करिये न, यदि ईमानदारी और साहूकारी है तो।

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, I take strong objection to this.

श्री उपाध्यक्ष : Order! order please!! I expect from the Hon'ble Member that atleast he will behave in a manner befitting the prestige of the House and I disapprove of the expressions made by him.

श्री भैरोंसिंह : सदन में पूरी जानकारी न दी जावे, यह भी सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। माननीय मन्त्री महोदय को आदेश दिया जावे कि वे पूरी जानकारी सदन को दें, कुछ छिपावें नहीं। मैथ्यू का वह पत्र वे सदन में पेश करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने बाद में यह पूछा कि....

श्री भैरोंसिंह : आप गलत बात बता रहे हैं सदन को, आप फैक्ट्स सदन से छिपाना चाह रहे हैं। आप मैथ्यू की रिपोर्ट सदन में पेश करिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह कहा है कि किस तरह की भाषा का उपयोग किया जावे।

श्री भैरोंसिंह : आपने गलत फैक्ट्स रखे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपके ध्यान में गलत हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे के ध्यान में भी वह गलत हों। मैंने व्यवस्था दी है कि भाषा पर संयम रखा जाना चाहिये। भाषा का उपयोग सदन की प्रतिष्ठा के अनुसार होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मैंने भाषा में भी क्या कहा है, 'साहूकारी' कहा है। That is not unparliamentary.

श्री दामोदरलाल व्यास : तो मैं निवेदन कर रहा था कि इसको दास गुप्ता देख रहे हैं। शायद कल तक वे रिपोर्ट दे देंगे। तब इसकी जानकारी सदन को और दे दूंगा। मैं उसको पेश कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैथ्यू के लैटर को पेश कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक माननीय सदस्य....

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि वह कागज़ मन्त्री महोदय से रखवा लिया जावे, वह मैथ्यू का लैटर इनसे ले लिया जावे, नहीं तो मुझे डर है कि उसे बदलवा दिया जावेगा। किसी से भी कुछ भी लिखवाया जा सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि वह मैथ्यू का कागज उनसे सदन में पेश करवाया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा बैटरमेंट लेवी के लिये कहा। पर बैटरमेंट लेवी एक्ट को देखेंगे तो उसमें जो प्रोसीजर दिया हुआ था वह ऐसा था कि उसमें कुछ दिक्कतें थीं। उनके रूल्स को कुछ बदल कर रखा गया है। भाखरा में असेसमेंट रूल्स पब्लिश हो चुके हैं गजट में, पर असल में जो डिफीकल्टी आ रही है वह यह है कि आप जानते हैं इस बैटरमेंट लेवी के मामले पर पंजाब में एज़ीटेशन हुआ था। उसकी बैकग्राउन्ड में हमें भी उसकी वसूली और असेसमेंट रूल्स को देखना पड़ेगा। इसलिये वह हम कर रहे हैं।

फिर जो मीडियम और माइनर प्रोजेक्ट्स के लिये कहा गया उनका वर्क आउट इसलिये नहीं हुआ कि उनके पानी का इन्तजाम नहीं था और अभी डिटेल्स तो मेरे पास पूरी नहीं हैं पर कह सकता हूं कि सिवाय चार पांच प्रोजेक्ट्स के बाकी के बैटरमेंट लेवी के रूल्स पब्लिश हुए हैं। प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद उसको फाइनल शेप दे दी जावेगी।

इसके अलावा एक साहब ने चरागाह वगैरह के लिये कहा। इस बारे में काफी पहले कह चुका हूँ इसलिये मैं उसमें ज्यादा

Page No.91

(श्री दामोदरलाल व्यास)

समय नहीं लूंगा । इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : कन्सोलिडेशन इन्स्पेक्टर और नायब तहसीलदार का क्या केस है, यह नहीं बताया आपने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं भूल गया था यह । आपने याद दिला दिया । मैं बताऊं एक साहब दुर्गाशंकर व्यास बताते हैं । उन्होंने कहा कि डिस्मिस्ड ऐम्प्लोयी थे और उसको डिस्मिस्ड होते हुए भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकर कर लिया गया और उसका नाम बताया दुर्गाशंकर व्यास ।

डिस्मिसल नहीं था, जब यह बताया गया तो कहा सस्पेन्डेड होगा, 'सस्पेन्डेड नहीं था' कहा गया तो कह दिया टर्मिनेटेड होगा । मैंने कहा कि वे पहले पूरी जानकारी करके आवें, पूरे सही वाकयात लावें । सही वाकयात ये हैं कि वे न डिसमिस्ड एम्प्लोइ थे और न कुछ और । वे पुलिस में सब इन्स्पेक्टर थे । उस समय यह शिकायत उनके खिलाफ की गई कि वे सबवर्सिव एक्टीविटीज़ में जनसंघ या कम्युनिस्ट पार्टी या इस तरह की कोई पार्टी से सम्बन्धित हैं । ऐसी शिकायत की गई थी, इस तरह का कुछ शिकायत थी, मुझे ठीक तरह से याद नहीं । उनकी हरकतें सबवर्सिव एक्टीविटीज़ में शुमार की गई थीं । उनको टेम्पोरेरी लिया गया था और इस बिना पर उनकी सर्विसेज़ खत्म कर दी गई थीं As a matter of fact he was not a permanent employee. He was only a probationer appointed for a particular time. तो डिस्मिसल और टर्मिनेशन में बहुत फर्क है । फिर उसकी ये एक्टीविटीज़, वे भी उनके विद्यार्थी काल की थीं । जब वे विद्यार्थी थे तब उन्होंने इस तरह की कोई सबवर्सिज़ एक्टीविटीज़ की थीं । इस दरमियान में कन्सोलिडेशन विभाग में इन्स्पेक्टर की पोस्ट के लिये उन्होंने एप्लाई किया और वे इन्सपेक्टर चुन लिये गये । उनका पोस्टिंग कोई मिनिस्टर नहीं करता । बाकायदा रिक्रूटमेंट होता है नीचे से उस तरह से वे उस पोस्ट पर आये । इस बीच पुलिस में उनकी अपील चल रही थी । पुलिश डिपार्टमेंट ने सारे रेफेरेन्स और फैक्ट्स देख कर कह दिया और यह अनुभव किया कि इस केस में उनके साथ एन्जस्टिस किया गया । वह अब सब इन्स्पेक्टर हैं । उनको वे सबवर्सिव एक्टीविटीज़ और टर्मिनेशन का आॅर्डर पुलिस ने विथ्ड्रा कर लिया । वे फिर पुलिस में चले गये और आज वह पुलिस में सब इन्स्पेक्टर है । इसलिये यह कहना कि डिसमिस्ड था, सस्पेन्डेड था या न जाने क्या क्या था, यह ठीक नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अगर ऐसा नहीं होता तो वे रीइन्स्टेट नहीं होते, वह एपोइन्टमेंट होता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले का जो उनका आॅर्डर था उसको उन्होंने बिलकुल सेट असाइड कर दिया । पहले भी जो आॅर्डर था वह यह था कि उसका पीरियड न बढ़ाया जाकर टर्मिनेट कर दिया जावे क्योंकि वह प्रोबेशनर था पहले । उस टाइम के बाद में उसको आगे कन्फर्म किया नहीं, मगर इसके बाद में टाइम बढ़ाकर उसको ले लिया और पिछले आॅर्डर को गलत माना गया ।

श्री चन्दनमल वैद : इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने यह मान लिया है कि जनसंघी होना कोई अपराध नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह किसने कहा कि अपराध है और फिर आप अपना कुछ भी मतलब निकालें। मैंने कहा था कि उसने किसी पार्टी को जोइन कर लिया था, जिससे उस समय उसे दोषी मान लिया था, there was a complaint relating to him when he was in High School, hardly he was 15 or 16 years old. मगर पुलिस डिपार्टमेंट ने और आई० जी० पी० ने उसकी पूरी छानबीन करने के बाद में उस शिकायत को गलत पाया। उसने दूसरे केन्डीडेट्स की तरह कन्सोलीडेशन डिपार्टमेंट में इन्स्पेक्टर की पोस्ट के लिये एप्लीकेशन दी और उसका सिलेक्शन हो गया था। मैं नहीं समझता कि आपने बहुत जोर से कहा कि वह रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का रिश्तेदार है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मेरी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, केवल उसके नाम के आगे व्यास लिखा है तो वह मेरा रिश्तेदार हो गया। यों तो नाम के आगे व्यास तो श्री जयनारायण व्यास के भी है, रामकिशोर व्यास भी हैं....

श्री भैरोंसिंह : यदि आप चाहें तो मैं रिश्तेदारी बता दूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जैसा बताया कि फेवर की कोई बात नहीं है, जो भी हुआ वह बिल्कुल जायज था। उसी की तरह के और भी बहुत से लोग सिलेक्ट हुए हैं कन्सोलीडेशन डिपार्टमेंट में, जो आज भी वहां काम कर रहे हैं [illegible] कि अब पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको अपने डिपार्टमेंट में वापिस ले लिया इसलिये वह वहां वापिस चला गया।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बार वास्तव में ज्यादा बोलने की इच्छा भी नहीं थी और कुछ थोड़ा सा रेफरेन्स आया और मैंने यह सोचा कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने बजट की बहस में भाग लिया है तो मैं भी कुछ थोड़ा सा अपना हिस्सा अदा करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा माननीय सदस्यों की बहस से महसूस किया इस बार जो बजट इस सदन में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया उससे आम तौर से एक संतोष की लहर सब लोगों में फैली (हियर, हियर) और बाहर भी इसका जो कुछ रीएक्शन मैंने सुना उससे ऐसा लगा कि इस साल का बजट जो कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष का बजट है काफी अच्छा और बड़ा बजट है और जिससे राजस्थान की भलाई और बेहतरी की बातें हमें इस योजना के आखिरी वर्ष में करने का मौका मिल रहा है और हम काफी बड़े पैमाने पर उन स्कीमों को चला रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट इस साल सदन में पेश किया गया उसके बारे में श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पिछले तीन चार सालों के बजट के आंकड़ों का विवरण देते हुए एक बात कही कि सरकार जो कुछ बजट के ऊपर खर्च करने जा रही है और जो टैक्स लोगों से लिया है या लेने का जो विचार था उससे ज्यादा टैक्सेशन की रेवेन्यूज इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना से होगी।

Page No.93

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वह सोचा था कि ९ करोड़ की रेवेन्यू करनी है और इसके लिये सरकार ने टैक्स भी लगाया और जो आंकड़े समय समय पर बजट में बताये उससे तो रेवेन्यू इस प्लान के अण्डर में होगा वह ४-५ करोड़ ज्यादा होगा और इस बजट से जनता को धोखा देकर और कम आंकड़े बताने और ज्यादा बोझ डालने, यह टैक्सेशन का सही मतलब नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा उनके विवरण में नहीं पड़ूंगा क्योंकि आगे वित्त मन्त्रीजी इन बातों को विस्तार से कहेंगे। लेकिन मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि करीब १०५ करोड़ की थी और जिसके रिसोर्सेज़ बनाने के लिए जो हमारे प्रान्त की आवश्यकतायें थीं उससे ज्यादा बजट अगर रेवेन्यू हमारे कर लगाने से हुई तो वह जनता को धोखा देने की नीयत से नहीं बल्कि हमारे फाइनेन्सेज़ को साउण्ड फुटिंग पर रखते हुए जो कुछ एस्टीमेट्स हमने लिये थे, जैसे ३० लाख की पैसेंजर्स टैक्स की बात थी और उससे आगे ५२ लाख की आमदनी हो गई, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात थी जैसे कि बजट का टैक्सेशन चालू हुआ और एक महीने बाद क्या हुआ कि आमदनी कम हुई, इसके बाद एक महीने में फिर कम आमदनी हुई इसके बाद फिर आमदनी बढ़ने लगी। अब आमदनी अगर ३० लाख के बजाय ५० लाख हो गई और जो शिड्यूल यहां रखा गया था वह सदन के माननीय सदस्यों की सलाह से रखा गया था और जो कुछ भी उसमें कमीबेशी की गई वह भी माननीय सदस्यों की सलाह से की गई और अगर हमारी आमदनी ज्यादा हो गई तो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कि खाका माननीय सदस्यों के सामने रखा है, जो कि बहुत बड़ी योजना होने जा रही है लगभग २८९ करोड़ रुपये की योजना जिसका कि खाका आपके सामने रखा है, अगर हमारे फाइनेन्सेज़ इन रिसोर्सेज़ से अच्छे बनते हैं तो हम इतनी बड़ी योजना को जिसको कि कैरी फारवर्ड करना है कुछ सहूलियत के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। माननीय सदस्यों ने जो टैक्सेशन की बात कही तो जब हमें बड़ी बड़ी योजनाओं को हाथ में लेना है तो लगाना उचित ही है। टैक्सेशन के प्रपोज़ल्स माननीय वित्त मन्त्रीजी ने इस सदन में रखे जिनका कि ब्यौरा सदन के सभी माननीय सदस्यों के सामने आ चुका है लैण्ड रेवेन्यू के ऊपर सरचार्ज का बिल जिसके ऊपर कुछ माननीय सदस्यों ने काफी कहा और यह कहा कि किसानों के ऊपर और बोझ बढ़ेगा सरचार्ज लगने से और इससे किसानों को तकलीफ होगी और यह नहीं लगना चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम इतनी बड़ी विशाल योजनाओं को हमारे सर पर लेकर चलना चाहते हैं जो कि हमारे राजस्थान की समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होंगी और राजस्थान में जिस बेकारी का जिक्र किया जाता है अगर दूसरे प्रान्तों से मुकाबिला करें तो राजस्थान की स्थिति दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में अच्छी नज़र आती है। यह मैं नहीं कहता कि यहां पर लोग बेकार नहीं हैं। हैं, राजस्थान में भी हैं और हम चाहते हैं कि वे व्यवस्थित रूप से काम में लगें। तो हमें अपनी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

योजनाओं को बड़े पैमाने पर चलाना होगा। अगर हम बड़े पैमाने पर अपनी योजनाओं को चलाना चाहते हैं तो राजस्थान की जो करीब १॥ करोड़ जनता है उन सब लोगों को एक हिम्मत और शक्ति के साथ में इस काम को करना पड़ेगा और इसके लिए सब को बोझा उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा तभी हमारी योजना चल सकेगी कामयाबी के साथ। यह शुरूआत है इस दिशा में कि हमारे यहां ५० से १५० की लैण्ड रेवेन्यू पे करने वाले लोग हैं। उनके ऊपर थोड़ा सा बोझा डाला है। जो सरचार्ज लगाया है वह २५० से नीचे वाले के ऊपर साढ़े छ: पर्सेन्ट और २५० से ऊपर की लैण्ड रेवेन्यू देने वाले के ऊपर साढ़े बारह पर्सेन्ट सरचार्ज है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इन पिछले सात-आठ सालों में किसानों के सर से बोझ घटा है और उनमें खुशहाली नजर आती है और वह आज देने की स्थिति में है, ऐसा मैं मानता हूं। उनको अब सांस लेने का मौका जरूर मिला है। उसका उनके ऊपर जो थोड़ा बहुत बोझ आता है इस सदन में इस विधेयक को रखने से वह मेरे ख्याल से वाजिब बोझ है। किसान हिम्मत के साथ उसको उठा सकेगा और खुशी से देगा। मैंने किसानों के सामने इस बारे में बातचीत की है तो निश्चित तौर से उन्होंने इकरार किया है कि जरूर हम अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, गांव में स्कूल बनाना चाहते हैं, गांव के अन्दर औषधालय खोलना चाहते हैं, गांव में पशु चिकित्सालय खोलना चाहते हैं। जब गांव के अन्दर सुभीता चाहते हैं तो कुछ न कुछ करना चाहिए। वे, निश्चित तौर से कोई भी इस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं और करों के रूप में उन पर भार पड़ता है तो खुशी से वहन करेंगे।

मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में जिसका इस दफा में मैंने ज़िक्र नहीं किया है फिर भी माननीय सदस्यों के मार्फत काफी गहराई के साथ में, विवेचन के साथ में यह बताया था कि राजस्थान में जो फूड प्रोडक्शन का टार्गेट था, जो पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम करेंगे वह १.८२ लाख टन एडीशनल फूड प्रोडक्शन करना था, उसके बजाय हम अभी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १२ लाख टन ज्यादा फूड प्रोडक्शन कर सकेंगे, और उसका मैंने डिटेल में विवरण भी दिया था कि किस प्रकार से हम उस आंकड़े को पूरा करना चाहते हैं और किस प्रकार के आंकड़ों में और कहां कहां कमी रहेगी, और किस प्रकार से ज्यादा भावों की बढ़ौत्तरी की वजह से और देश की हालत की वजह से लैण्ड ज्यादा एडीशनल कल्टीवेशन में आई है। इसका अन्दाज़ द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक नहीं आंका गया था। एडीशनल फूड प्रोडक्शन ४ लाख टन तक बढ़ा है। इन सारों को मिलाते हैं तो सारे फूड प्रोडक्शन का पोटेन्शयल टार्गेट द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १२ लाख टन एडीशनल फूड प्रोडक्शन होगा। तो राजस्थान के किसानों का इसमें बहुत अधिक हाथ है और उन लोगों ने इस दिशा के अन्दर जो हमारे प्रान्त की हालत है और फूड प्रोडक्शन की जो देश में कमी है उसको पूरा करने के लिए जो सहयोग दिया है वह वास्तव

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में सराहनीय है । इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो कि गांवों के क्षेत्रों से आये हैं उन्होंने इसमें काफी दिलचस्पी ली है और किसानों को जो नये नये तरीके आज उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध हुए हैं उनको काम में लाने के लिए प्रोत्साहन व जानकारी दी है और उस बात से वे आगे बढ़े हैं। इस वजह से अच्छे बीजों का उपयोग हुआ है, अच्छे खाद का ज्यादा उपयोग हुआ है । जो खाद हमारे यहां गांवों में पैदा होता है उसके बारे में पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों ने दिलचस्पी ली है और हमारे कम्पोस्ट के प्रोडक्शन में और दूसरे प्रकार के खादों के प्रोडक्शन में कि वैज्ञानिक तरीकों से किस प्रकार से खड्डों में स्टोर करके ज्यादा तैयार किया जाय, इनमें मदद की है । इन सारी चीजों का यह परिणाम है । नये कुए बनवा कर, पुराने कुओं की मरम्मत करवाकर पैदावार को बढ़ाया है । इन सारी चीजों का यह परिणाम है । हजारों कुए हर साल खुदते हैं । बारानी ज़मीन में रबी क्रोप के बोने से प्रोडक्शन बढ़ा है । इन सारी चीजों का यह परिणाम निकला है कि राजस्थान ही हिन्दुस्तान का ऐसा प्रान्त होगा जिसके अन्दर टार्गेट, ऐसे टार्गेट हमारे सारे हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों को भी दिये गये थे और उन टार्गेट्स के अन्दर आज तक जो कुछ प्रगति हुई है वह मैंने देखी है । तो कोई भी प्रान्त अभी तक टार्गेट्स को पूरा नहीं कर सका है, लेकिन राजस्थान उससे आगे जायगा और आगे बढ़ चुका है, और यह हमारे राजस्थान के किसानों की मेहनत सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग और हमारे विभाग के थोड़े बहुत प्रयत्न इन सारी चीजों के मिलने से यह जो काम हमारे हाथ में था उसको करने में कामयाब हुए हैं । फिर भी सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जब प्रोडक्शन पहले से १२ लाख टन ज्यादा हो गया है या कर दिया गया है इससे हम लोगों को संतोष नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत से शहरों के अन्दर, कस्बों के अन्दर जो कन्ज़्यूमर्स हैं उन लोगों को जो फूड मिलता है वह उस हिसाब से काफी मेहगा मिलता है। करीब १८ या २०) रु० मन के हिसाब से गेहूं मिलता है ....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): २२) रु० मन है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : २२) रु० मन तो मेरे खयाल से नहीं है । २०) रु० मन मिलता है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम): आपको २०) रु० में मिल जाता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे खयाल से आपमें और मुझमें कोई अन्तर नहीं है, लेकिन गेहूं मैं मोल नहीं लेता हूं, मेरे खुद का खेत है, उसमें पैदा करता हूं । मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं है । इसलिए मैं आपकी श्रेणी में तो नहीं आता हूं, लेकिन मेरे मकान में दूसरे लोग रहते हैं वे लाते हैं तो १९) रु०, २०) रु० मन का भाव है। लाल गेहूं १७॥) रु० मन में मिलता है । अच्छा गेहूं खाने वाले सफेद खाते हैं, जो बहुत बढ़िया खाने वाले हैं उनकी बात मैं नहीं करता हूं ।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि जैसा कि मैंने पहले भी निवे-

Page No.96

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दन किया था और भी निवेदन करना चाहूंगा कि फूड का मामला अपने एक प्रान्त का ही मामला नहीं है बल्कि वह सारे देश का मामला है और जैसा कि मैंने बताया कि जितना टार्गेट हमने सेकण्ड फाइव ईयर प्लान के अन्त तक का रखा था वह शायद कुछ ही स्टेट पूरा कर पायेंगी, और उसमें कुछ कमी रहेगी। इस वजह से फूड प्रोडक्शन जितना देश में होगा वह जितना विचारा था उस हद तक नहीं बढ़ पाया है। इस वजह से खाद्यान्न के भाव मंहगे हैं, और वे मंहगे हैं इस बात की चिन्ता हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को भी है, लीडर्स को भी है। फूड के मामले में सारे देश की नीति के अनुसार सोचना पड़ता है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : राजस्थान अलग जोन हो गया, कर गया तो भी राजस्थान में २०) रु० मन गेहूं मिलता है। इतना हुआ, करा फिर भी उसको नीचे क्यों नहीं ला सके ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टोटल फूड प्रोडक्शन सारे फूड ग्रेन्स का होता है। राजस्थान में।....

श्री श्रीभानसिंह : २०) रु० मन प्राइस आपने व्हीट की प्राइस बताई है टोटल फूडग्रेन्स की प्राइस नहीं बताई है, that means your separate zone has been a failure.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इसी का जवाब दे रहा था, किन्तु इस तरह से यह करना अच्छा नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : आप राजस्थान की बात करते हुए सारे भारत में पहुँच जायं....

श्री नाथूराम मिर्धा : व्हीट के बारे में राजस्थान पहले से ही बहुत सारा डेफिसिट था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं बढ़ा है। १२ लाख एडिशनल प्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूं तो व्हीट प्रोडक्शन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा है जितना कि उसको बढ़ाने की आवश्यकता थी। कई बहुत सी चीजों की वजह से, जैसे कैश क्राप्स के भाव अच्छे थे और दूसरी वजह से व्हीट प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। राजस्थान का एक अलग जोन होने के कारण प्राइस को डाउन आ जाने की जरूरत थी व्हीट के मामले में राजस्थान आज भी दावा नहीं करता है कि इतना ज्यादा सेल्फ सफिशियेन्ट हो गया है। सेल्फ सफिशियन्सी से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है।....

श्री श्रीभानसिंह : आप बता सकते हैं कि कैश क्राप का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग आंकड़े इस वक्त मेरे पास हाजिर नहीं हैं।

श्री श्रीभानसिंह : मैं आपको यह बजट स्टडी जो वितरित की गई है वह दे देता हूं, उसमें बता दें कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बजट के अन्दर प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ है।

श्री श्रीभानसिंह : बजट स्टडी जो सर्क्युलेट की गई है बजट के साथ में, उसमें

(श्री श्रीभानसिंह)

यह लिखा हुआ है: When the wheat zone is separate for Rajasthan, then why are you not able to bring down the prices of wheat in the State ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप इन्फॉरमेशन दे रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है । अगर नहीं है इन्फॉर्मेशन आपके पास तो रहने दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, और ज्यादा तरीके से काम हो तो ठीक रहेगा, इतना ही मैं निवेदन करूंगा ।

श्री श्रीभानसिंह : With your permisson, Sir, may I pass on this ('Budget Study') to the Hon'ble Minister ?

श्री उपाध्यक्ष : He does not want it, and he does not want to yield the floor.

श्री श्रीभानसिंह : But I can make him yield.

श्री नाथूराम मिर्धा : He cannot make me yield. I can obey the Chair if I am directed by it, otherwise I am not going to yield the floor.

श्री श्रीभानसिंह : Then, through the Chair, I may draw his attention...

श्री उपाध्यक्ष : Order! order!! pbase The Chair is on its legs.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर से हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं और जो परफोर्मेन्स राजस्थान का है देश में उसको भारत सरकार भी क्रेडिटेबल मानती है ।

अब डिस्ट्रिब्यूशन का प्रश्न रहा । इस साल के बारे में ऐसा थोड़े दिन पहले प्रश्न आया था, फूड के बारे में राजस्थान अलग जोन व्हीट के बारे में रहेगा इस साल और इस साल व्हीट का प्रोडक्शन रबी की फसल अच्छी नहीं होने से पहले जो बारानी प्रोडक्शन करते थे उसमें नोरमल से कमी आयगी और व्हीट का प्रोडक्शन पिछले साल से इस साल कम होगा, उसके लिये राजस्थान में प्रोक्योरमेंट करना है या नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन है । लेकिन राजस्थान का सेपरेट ज़ोन रहेगा । अब व्हीट को प्रोक्योर करना न करना, विचाराधीन मामला है । समय आने पर सदन को सूचना देने की आवश्यकता होगी तो बताऊंगा लेकिन इस समय आशा करते हैं कि व्हीट का भाव जो है उससे ज्यादा न बढ़ने पावेगा....

श्री श्रीभानसिंह : यह सूचना दे दी जाय कि व्हीट का भाव कहां तक रखना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको सूचना लेनी है तो अलग तौर से ले सकते हैं ।....

श्री श्रीभानसिंह : हाउस में स्टेटमेन्ट दिया जाय कि हम व्हीट का भाव बांध कर रखना चाहते हैं, तो सदन यह जानना चाहेगा कि व्हीट का भाव क्या रखना चाहते हैं ?

Page No.98

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ऐसी सूचना मुझसे चाहते हैं जो इस सदन के और मेरे दोनों के अख्तयार का बात नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : देश में क्या भाव रहे क्या न रहे, कितनी फसल होने का अन्दाजा है, क्या नहीं है; इसके बारे में देश की सरकार ने अब तक तय नहीं किया है....

(विराम)

Mr. Deputy Speaker, Sir...

श्री उपाध्यक्ष: Order! Order please!! I will not allow any interruptions now. If at all you want to put certain questions they can be asked when he concludes his speech.

श्री श्रीभानसिंह : प्राइसेज़ का प्रश्न है, मंत्री जी ने कहा कि सेन्टर फिक्स करेगी....

श्री उपाध्यक्ष : ये बातें वक्तव्य खत्म करने के बाद में पूछी जा सकती हैं। You will please note down all the points that you want to refer to him.

श्री चन्दनमल वैद : On a point of information, Sir...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir. Shether the Chair, the Hon'ble Minister and the Member, 3 persons can simultaneously be in possession of the floor.

श्री उपाध्यक्ष : They should not be.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But they are.

श्री उपाध्यक्ष : It is for them to observe the rule. I don't want to guide them off and on.

मुझे यह दुःख है कि मन्त्रीजी अभी जबाब देने की स्थिति में या मूड में नहीं हैं इसलिए प्रश्न अभी रिज़र्व रख लिये जाय, बाद में पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जबाब देने की स्थिति में नहीं हैं या मूड में नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया, माननीय सदस्य बहुत होशियार हैं और काबिल इन्फोर्मेशन लीक करने वाले हैं, लेकिन यह मौका नहीं है....

श्री चन्दनमल वैद : इससे बढ़ कर क्या मौका हो सकता है? पोलिसी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय मंत्रीजी भी नहीं बैठ रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी भी आसन ग्रहण करें। मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी जब भाषण दे रहे हैं तो माननीय सदस्यों को आसन ग्रहण करना चाहिये और जो पोइन्ट्स उठ रहे हों उनका जबाब, उनका वक्तव्य समाप्त होने के बाद देना चाहेंगे, ऐसी स्थिति में कठिनाई उपस्थित नहीं होगी।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष, मैं....

श्री उपाध्यक्ष: No 'मैं' Please.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में सारी हालात को देखते हुए व्हीट का भाव और दूसरी चीजों के भाव भी काफी ठीक रहेंगे। इस साल की हालत को देखते हुये परिस्थितियों पर पूरा काबू रखा जायगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये चीजें जरूरत की चीजें हैं इसलिये लोगों को ठीक रीज़नेबल रेट से मुहैया हो जाय इस बात की ओर सरकार का पूरा ध्यान है और वह इसके लिये प्रयत्नशील है।

अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये जो थोड़ी सी बातें, जो खास तौर से माननीय सदस्यों ने कही उनके बारे में निवेदन करूंगा। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात खास तौर से मुख्य मंत्रीजी के हवाले से कही। मुझे पता नहीं उनके और मुख्य मंत्रीजी के बीच क्या बातें हुई थीं, लेकिन उन्होंने नाराज़गी जाहिर की कि सदन के बाहर बात करते हैं, सदन के अन्दर बात करने को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हैं आदि। मेरे खयाल से मुख्य मंत्रीजी से क्या बातें हुई उनके बारे में वे स्वयं बतायेंगे। लेकिन एक बात मुख्य मन्त्रीजी के जरिये सदन के बाहर मेरे ध्यान में लाये थे, तीन चार दिन पहले उन्होंने कहा कि इस साल जो पर्चेजेज़ हुई हैं उनमें टेरोमाइसिन ट्यूब्स आई हैं उन पर तारीख निश्चित तौर से होनी चाहिये थी कि किस पीरीयड तक काम में आनेवाली होंगी और जो चीज आई है उन पर तारीख नहीं लिखी हुई है, खाली ट्यूब्स हैं, अमुक जगह चीज पड़ी है, इसकी जानकारी करके पता लगाया जाय कि गलत चीज क्यों खरीदी? यह बात जब मेरे नोटिस में आई, मुख्य मन्त्रीजी से बात करने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि वे थोड़े अनचेरिटेबल हुये ...

श्री उपाध्यक्ष : मुझे यह बात जरा अप्रासंगिक लगती है। आपके और उनके बीच सदन के बाहर क्या बात हुई, उसका हवाला सदन में लाने की क्या आवश्यकता है?

श्री भैरोंसिंह : बड़ी रिलेवेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow what is happening outside the House.

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने इस बात को यहां सदन में रैफर किया इसलिये यहां कहना पड़ता है। बाहर जो बातें कही गई उनका रैफरेन्स अगर यहां नहीं आता तो यहां बात नहीं आती। लेकिन बाहर बात हुई उसका रैफरेन्स यहां आया इसलिये यहां कहने की आवश्यकता है। जब उन्होंने यह बताया तो मैंने उनके रूबरू मेरे सेक्रेटरी को टेलिफोन किया और जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि इस साल जो खरीददारी की उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा सेक्रेटरी ने कहा मैंने उनको बता दिया और उनको सूचना देने पर अब वे कहते हैं कि मैंने इस साल की खरीददारी की बात नहीं कही थी, पिछले साल की कही थी। पिछले साल के बारे में मुझे इस समय जानकारी नहीं है इसलिये नहीं कह सकता लेकिन और देखने की बात है तो देख लेंगे....

श्री भैरोंसिंह : आप एक स्पष्टीकरण करेंगे क्या? इस आलमारी में टेरोमाइसिन

(श्री भैरोंसिंह)

के केपसूल्स सील्ड कवर में न होकर टाइप किये हुए कागज के साथ लपेटे हुये हैं ! वेसलीन के डिब्बे में रखे हैं टाइप किये हुए कागज के साथ और उस पर डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कितनी दवाइयें उस अलमारी में हैं, कितने केपसूल्स हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आपने कहा कि मैंने पिछले साल के बारे में नहीं कहा इस साल के बारे में कहा था, फिर मैंने आपके रूबरू टेलिफोन किया और इस तरह की बात नहीं पाई, दवाइयें इस साल आई नहीं हैं, ३१ ड्यू डेट लिखी है। इसलिए वह सूचना इस प्रकार से आई है, मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं है। अब आप पिछले साल की बात करते हैं तो और जानकारी कर लेंगे। यही इस बारे में निवेदन करना था।

इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष, थोड़ी बातें और सहकारिता के बारे में निवेदन करूंगा........

श्री भैरोंसिंह : माननीय वित्त मंत्रीजी कब जवाब देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे और बातें कहेंगे, मैं मेरे सम्बन्ध की बातें कहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष, सहकारिता के बारे में खास तौर से डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सहकारिता के बारे में वित्त मन्त्रीजी के भाषण में यह कहा गया है कि ७ लाख जनता राजस्थान में कवर होगी सहकारिता से, इस योजना में यह कमी की बात है और मीडियम टर्म लोन ज्यादा मिलने की व्यवस्था करनी चाहिये और इस ओर कदम बिचौलियों को खत्म करने के लिए ज्यादा तेजी के साथ उठाना चाहिये, एक बात यह कही गई। बाकी दूसरे माननीय सदस्यों ने इस बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया........

श्री श्रीभानसिंह : एप्रोप्रियेशन बिल के लिये छोड़ रखा है मैंने तो कम से कम।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी ?

श्री श्रीभानसिंह : एप्रोप्रियेशन बिल के लिए छोड़ रखा है मैंने तो कम से कम।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, जी हां, आप जरूर बोलिये। एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलिये, और पर बोलिये ....

श्री श्रीभानसिंह : आपकी ग्रान्ट तो है नहीं, क्या किया जाय ?

श्री चन्दनमल वैद : आपकी ग्रान्ट ऑर्डर में नहीं आई।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या ....

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये, उधर ध्यान क्यों दें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे उनकी बात सुनने में एतराज नहीं है........

श्री चन्दनमल वैद : जब तक मतलब की बात न हो, उस बात को सुनने में ध्यान नहीं देते, मतलब की बात सुन लेते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो बात मतलब की है, उसको मैं सुन लेता हूं यह बात ठीक है। उनके मतलब की क्या बात है, उस पर वे ध्यान दें, मेरे मतलब की बात क्या है, इस पर मैं दूंगा। तो मैं निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : दोनों के मतलब इस जगह पर नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं निवेदन करूंगा कि सहकारिता का कदम, राजस्थान में विकेन्द्रीकरण के बाद, मैं ऐसा महसूस करता हूं, काफी तेजी के साथ उठने लगा है और सब दिशाओं में उठने लगा है क्योंकि हमारी पंचायत समितियां ....

(व्यवधान)

इस बारे में अपनी जिम्मेदारियों को तो काफी तौर से महसूस किया है। जहां तक हमारी केबिनेट मीटिंग्स का सवाल है, राजस्थान के २६ जिलों में से करीब १८ जिलों का भ्रमण किया और उसके साथ पंचायत समितियों के प्रधानों से मिलने का और जिलों के बहुत से कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला। कई जगह ऐसा महसूस हुआ कि कई ब्लॉक्स ने करीब ६० प्रतिशत फेमिलीज़ तक को सहकारिता में मिला लिया है और कइयों ने ४० प्रतिशत फेमिलीज़ तक सहकारिता में मिला लिया है और कहीं २० प्रतिशत और कहीं २५ प्रतिशत तक। तो अलग अलग पर्सेन्टेज हैं। जहां ब्लॉक्स हैं उनमें तो काफी गति के साथ काम हुआ और जहां पर शेडो ब्लॉक्स हैं, वहां पर इस सहकारिता के मूवमेंट, जो ब्लॉक्स में गति है, उससे कम गति नजर आई, पर यह निश्चित तौर से स्वाभाविक है कि हमारे एक साथ ही सारे टार्गेट्स पूरे हो जाय। मैं निवेदन करूं कि सात लाख फेमिलीज़ कवर होने का मतलब है कि राजस्थान में अगर हम १५० लाख फेमिलीज़ हैं और एक फेमिली में पांच का एवरेज मानें और पांच का भाग इसमें दें तो सात लाख फेमिलीज़ कवर होने के बाद करीब २० प्रतिशत फेमिलीज़ राजस्थान में सहकारिता के द्वारा सम्बंधित हो जाती हैं और २० प्रतिशत राजस्थान में एवरेज के तौर पर फेमिलीज़ कवर हो जाती हैं........

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : सात लाख फेमिलीज़ या सात लाख जनता है?

श्री नाथूराम मिर्धा : सात लाख जनता नहीं है, फेमिलीज़ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : २० पर्सेन्ट फेमिलीज़ दूसरी पंचवर्षीय योजना के एन्ड तक कवर हो जाती हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के एन्ड तक टार्गेट १५ पर्सेन्ट फेमिलीज़ को कवर करने का रखा था, उससे हम निश्चित तौर से आगे बढ़ते हैं और इस मामले में, विकेन्द्रीकरण के बाद, जिसका एक साल और बाकी है, जो प्रगति करनी थी उसको पूरा कर लेते हैं तो निश्चित तौर से टार्गेट से आगे जायेंगे। अब यह कहें कि यह भी कम है और आगे बढ़ना चाहिये, तो मैं आपके जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर हमारी सीमायें हैं, धन की सीमायें हैं, बजट का प्रोविजन किया हुआ है, आंकड़े हैं, उन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सीमाओं में सहकारिता को लेते हैं तो निश्चित तौर से कर्जा देने की व्यवस्था हमको करने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहां समितियां अलग अलग प्रकार की हैं, जो मार्केटिंग की हैं, उनका दायरा बनाने की आवश्यकता है, दूसरी सहकारिता की समितियां हैं उनके लिए दूसरी चीजों की आवश्यकता पूरी करनी होती है। इसका मतलब है कि ज्यादा धन की आवश्यकता है। ज्यादा धन एक ही काम के लिये, सारे बजट के आंकड़ों को देखते हुए, एक चीज के लिए प्रोवाइड या खर्च नहीं कर सकते। इसलिए जो गति है, वह पंचवर्षीय योजना की बंधी हुई चाल है, उस चाल के अनुसार इस गति को लगाना पड़ेगा।

इसके साथ ही मीडियम टर्म लोन की व्यवस्था करने की बात कही गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि शोर्ट टर्म लोन मिलता है, उसमें खास तौर पर, एक फसली इलाके में, जब कभी कर्ज दिया जाता है तो उस एक वर्ष के अन्दर ही अगर क्रोप फेल हो जाती है तो उस कर्जे को लौटाने में किसान के सामने काफी मुश्किलात आती हैं। इस वजह से जो शोर्ट टर्म कर्जा है, उसकी वजह से जो जरूरतें किसान की होती हैं, परमानेन्ट इम्प्रूवमेंट करने के लिये, उसके लिए ज्यादा लम्बे अर्से के लिए कर्जे की आवश्यकता है। वह शार्ट टर्म कर्जे से पूरा नहीं किया जा सकता है, परन्तु उसके लिए मीडियम टर्म लोन की आवश्यकता है, जो रिज़र्व बैंक के जरिये मिलता है। इसके फन्ड्स भी लिमिटेड हैं। रिजर्व बैंक के पास जितने भी फन्ड्स हैं, उसमें शार्ट टर्म लोन के काफी फन्ड्स हैं। जहां मीडियम टर्म लोन का प्रश्न है, तो जहां ज्यादा प्रोफिट होता है, ज्यादा फायदा होता है, वहां देते हैं। मीडियम टर्म लोन, जो देश के अन्दर प्रोफिट के कामों के लिए होता है, वह जाकर कुछ करोड़ होता है। उसमें राजस्थान का भी हिस्सा है उस प्रोपोर्शन में मिलता है। इसलिए मीडियम टर्म लोन बहुत हद तक बढ़ाया जा सके, यह हिन्दुस्तान में बढ़ाना मुश्किल है तो राजस्थान में बढ़ाना तो काफी दूर की बात है। इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि लैंड मोर्टगेज बैंक बनी है, उसके द्वारा दूसरी पंच वर्षीय योजना के एन्ड तक एक करोड़ रुपये तक की व्यवस्था कर सकते हैं। ४० लाख तो इस साल के एन्ड तक पहुँच जायगा और बाकी जो ५०,६० लाख और बाकी है वह लैंड मार्टगेज बैंक, रिज़र्व बैंक की शर्तों का पालन करते हुए इसके अन्दर आगे बढ़ सकेगी। ऐसा मैं मानता हूँ इस क्षेत्र में, विकेन्द्रीकरण के बाद हमारे एनीमल हस्बेन्डरी के मामले में, जो काफी विकेन्द्रित हो चुका है, हम इसके जरिये गांवों में पहुंचना चाहते हैं। पशु-धन विस्तार करने के लिए और तरक्की के लिए पंचायत समितियों के बनने के बाद, इस मामले में काफी तेजी के साथ काम होने लगा है और बाद में भी बढ़ सकेंगे। मैं समझता हूं कि इन चीजों को वे खुद अपने उत्साह और तेजी के साथ बढ़ायेंगे। तो मैं ज्यादा समय सदन का न लेते हुए जो थोड़ी बातें सामने आई उनके बारे में मैंने निवेदन कर दिया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इन बातों का गांवों में ज्यादा विस्तार करते रहेंगे। आपने पहले भी सहयोग दिया है और आगे भी सहयोग देंगे और जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं समय के

श्री नाथूराम मिर्धा

साथ। इसके साथ ही अगर सही फैक्ट्स सदन में रखेंगे तो उन पर भी गौर किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है और इन चीजों को किस तरह ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है उस ओर सरकार ने ध्यान दिया है, आगे भी देगी वह हमारे करने की बात है। जो चीजें माननीय सदस्य रखना चाहते हैं, उनको ज्यादा सही तरीके से रखा जाय तो निश्चित् तौर से माननीय सदस्यों को भी मदद मिलती है और मामला तेजी से आगे बढ़ता है। अब मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, यहां पर अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री के बोलने हेतु खड़े होने पर)

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : On a point of information, Sir, माननीय वित्त मन्त्रीजी अपना भाषण शुरू करें, उसके पहले सदन की जानकारी के लिए आइ. जी. जेल का लेटर पढ़ना चाहता हूं, जिसको पर्चेजेज़ के बारे में लिखा है ('नहीं' 'नहीं' की आवाजें) कि स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार दरियां नहीं खरीदी गई।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : वह लैटर मेरे पास है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट अनुमान के सम्बन्ध में जो बहस इस सदन में पिछले तीन-चार दिनों से चल रही है उस पर अपना वक्तव्य देने से पहले मैं सदन के माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से इस बहस में भाग लिया और अपने सुझावों से, अपनी आलोचनाओं से और दूसरी जानकारी देकर वित्त विभाग को और सरकार को उपकृत किया, इसलिये मैं उनका आभारी हूं। मुझे अफसोस यह जरूर रहा कि समयाभाव से कुछ और माननीय सदस्य अपने विचार और सुझाव रखना चाहते थे, उसका लाभ........

श्री उपाध्यक्ष : उस प्रश्न पर आप न जायें, मेरा प्रश्न है।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहता था कि मैं और पसन्द करता और मैं उत्सुक था........

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने चेम्बर में बुला लेते।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो बहस हुई उस पर से मैं यदि यह समझूं कि पिछले सालों की अपेक्षा इस साल के बजट अनुमान और इस साल का वित्त मन्त्री का भाषण कम आलोचना का पात्र हुआ है तो मैं समझता हूं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं करूंगा। इससे मुझे भी संतोष है और माननीय सदस्यों को भी संतोष हुआ कि............

(हंसी)

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

यह सरकार रेस्पोन्सिव है, जो आलोचना होती है, जो सुझाव दिये जाते हैं, उनसे सरकार लाभ उठाती है, उन सुझावों पर ध्यान दिया जाता है और मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि सरकार किसी एक मिनिस्टर से नहीं चलती, सब की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है । जो काम सरकार से होते हैं, उनके लिये हम सबकी जिम्मेदारी है । मैं कोई व्यक्तिगत मन्त्री की ओर से नहीं कह रहा हूं । तो मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि यह कदापि ख्याल नहीं किया जाय, जैसी कि कभी कभी ध्वनि निकल आती है, इधर से भी और उधर से भी कि सरकार कोई सुनना नहीं चाहती, यह बात नहीं हो सकती । हां, कोई कठिनाई ऐसी हो सकती है कि उसके कारण सरकार कोई कार्यवाही न कर सके, पर मैं बताता हूं कि हमारी राजस्थान सरकार बिलकुल प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर चलती है और चलना चाहती है........

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : वाजिब है चलना।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अब रह गया बजट ।

श्री भैरोंसिंह : अब तक क्या कहा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह भूमिका थी............

(हंसी)

बजट एज़ सच, बजट के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हो सकती हैं, आया व्यय के आंकड़े ठीक हैं कि नहीं, जो बचत के आंकड़े दिये गये हैं वे सही हैं या नहीं, बचत है या घाटा है, तो बजट तो बड़ा व्यापक शब्द है । इसके दो भाग हैं, एक भाग यह कि बजट के आंकड़े तैयार किये जाते हैं, और दूसरा भाग यह है कि बजट के आंकड़ों के अनुसार खर्च किया जाता है । वैसे बजट के इन दोनों भागों पर सदन में चर्चा हुई है, पर दो-चार माननीय सदस्यों ने बजट एज़ सच पर चर्चा की, बाकी अधिक सदस्यों ने इसी पर बहस की कि आंकड़ों के अनुसार खर्च करने वाली एजेंसी की क्या दशा है ?

पहले मैं उन बातों को लूंगा जिनका वित्तीय दृष्टि से सम्बन्ध है । जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह कल्याणकारी बजट ही नहीं है क्योंकि इसमें समाज सेवा की बातों के लिये खर्चा नहीं किया, दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि समाज कल्याणकारी बातों पर ज्यादा खर्चा किया गया है उत्पादन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है, यह हमारा ध्येय है । आज कल्याणकारी राज्य बन गया है, यह सरकार का दावा नहीं है, पर हम इस ओर कदम उठा कर चलते चल रहे हैं, इसलिये बजट को आंकने का और सरकार की प्रवृत्तियों को आंकने का यह मापदण्ड होना चाहिये ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : हमारा ध्येय समाजवादी समाज है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : समाजवादी समाज कल्याणकारी राज्य का पार्ट है । यह

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जरूर है कि समाजवादी समाज को, कल्याण-कारी राज्य को तब तक नहीं ला सकते जब तक कि उत्पादन को नहीं बढ़ाते। मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि दोनों बातों को साथ लेकर बढ़ना होगा, समाज सेवा के ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा, इसके साथ ही साथ उत्पादन पर भी खर्चा करना पड़ेगा, इन दोनों का संतुलन रखना पड़ेगा। एक पर जोर देंगे तो हमारी व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल सकेगी। तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल्याणकारी राज्य में, जो समाज सेवा मुख्य अंग है, उस पर ६४.४ फी सदी रुपया रखा है। कुल खर्चा ४५ करोड़ का है उसमें से १७.१९ लाख रुपया समाज–सेवा के कार्यों पर खर्च करना रखा है और पर केपिटा आता है ११.४....

श्री भैरोंसिंह : कितना पर्सेंट है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ६४ फी सदी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : लास्ट ईयर के कम्पेरिज़न में कितना ज्यादा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लास्ट ईयर से कम्पेरिजन का पर्सेंटेज तो मैंने निकाला नहीं। दुबारा निवेदन कर दूं, समाज–सेवा के कार्यों पर बजट की कुल स्वीकृत ४५ करोड़ की राशि में से १७.१९ लाख रुपया खर्च हुआ। है, पर्सेंटेज है ६४ और पर केपिटा है ११.४।

श्री पी० के० चौधरी : ४५ करोड़ का १७.१९ लाख, ६४ पर्सेंट कैसे होता है,?

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर चौधरी बता दें न कि कितना पर्सेंटेज होता है ?

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, it is a wrong calculation. How can 17 Crores form 60 percent of 45 Crores !

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : डेवलपमेंट का खर्चा है उसका ६४ पर्सेंट।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जितना रुपया इस हैड में आता है उसको केल्कुलेट करके कहा है। जो एक माननीय सदस्य ने पिछले तीन चार सालों के आंकड़े खर्च के, आय के रखे और कहा कि आंकड़ों में गड़बड़ी की गई है, उन सब का विवरण देकर यह बताने की कोशिश की कि इस प्रकार आंकड़ों की जगलरी करके सदन को धोखा देने की कोशिश की जाती है। मैं अर्ज करूं कि धोखा देने की कोई बात नहीं, और जहां ऐसे ऐसे जागरूक सदस्य विद्यमान हैं, जिनकी जानकारी ऐसी है कि वैसी बहुत कम लोगों में पाई जाती है, जो बराबर चौकन्ने होकर बैठे रहते हैं, उनको धोखा देने का साहस मुझ जैसा वित्त मंत्री तो क्या करेगा, दूसरा तो शायद कर सकता है.......

(हंसी)

बाद में तो वे भी समझ गये होंगे कि जो उन्होंने धोखा देने की बात कही है वह ठीक नहीं कही है। आंकड़ों में फर्क पड़ा है, पर धोखे से नहीं पड़ा है....

श्री पी० के० चौधरी : Time is up Sir.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हो सकता है कि व्यक्ति की एफिशियेन्सी में कमी हो सकती है, दुनियां में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो यह दावा कर सके कि मैं कभी गलती नहीं करता........

श्री चन्दनमल वैद : आपके लिये दावा कर सकते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दावा इस बात के लिये कर सकते हैं कि ईमानदारी से करते हैं कि नहीं। भूल के लिये दावा नहीं किया जा सकता। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसके अनुसार जिसकी जितनी योग्यता है उस अनुसार चले हैं। आंकड़ों में इसलिये हेर-फेर हुआ कि राजस्थान में अजमेर मिला इसलिये अजमेर के घाटे की रकम राजस्थान के बजट पर आई और इसके कारण फर्क पड़ा। दूसरे साल ५ रुपया कर्मचारियों को तरक्की देनी पड़ी, उसका रुपया बढ़ गया, इस तरह ६० लाख रुपया बढ़ गया।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर के कारण कितना घाटा हुआ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक करोड़ से ऊपर।

श्री भैरोंसिंह : यह तो मंहगा पड़ा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : 'मंहगा-सस्ता' जैसी भी बहू घर में आ गई।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद : बहू कहां दादी घर में आई है।

(अनवरत हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तब तो और भी खुशी की बात है, सम्हाल कर ले चलेगी दादी, गोद में लेकर चलेगी।

(अनवरत हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : Time is up, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : वाक्य समाप्त हो जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं निवेदन करना चाहता था कि जो आंकड़ों में फर्क पड़ा वह जो अकल्पित समस्याएं थीं उनकी वजह से पड़ा है, बजट के अनुमानों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

श्री पी० के० चौधरी : टाइम हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजे सायं, दिनांक १६, मार्च, १६६०, के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, १५ मार्च, १९६०)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

काली सिन्ध व चम्बल नदियों व अन्य छोटे नालों के किनारे की जमीन का मामला ।

उप–जागीरों की मान्यता से सरकार को होने वाला नुकसान ।

जयपुर के दैनिक पत्र 'नवयुग' अथवा 'नवयुग प्रिन्टर्स' को दिए गये इन्डस्ट्रियल लोन की अदायगी ।

महारानी जया कॉलेज, भरतपुर, में संस्कृत शिक्षण के लिये प्राध्यापकों की कमी ।

बसुआ तहसील में खनिज-कार्य ।

उद्योग विभाग द्वारा दिये गये इम्पोर्ट लाइसेन्स का ब्यौरा ।

जिला भरतपुर में कामां-जुरहरा सड़क बनाने में अवाप्त भूमि का मुआवजा ।

गवर्नमेंट हाई स्कूल, बांदीकुई, में शिक्षकों की कमी ।

म्युनिसिपल बोर्ड, बान्दीकुई, की सीमाओं में भूमि का अभिग्रहण तथा कब्जा ।

बांदीकुई में रेस्ट हाउस का निर्माण ।

माइनिंग इन्जीनियर भीलवाड़ा के कार्यालय से फाइलों के गायब होने के सम्बन्ध में ।

पाली जिले में काश्तकारों से दुबारा बिघोड़ी की वसूली ।

धौलपुर की बिल्डिंग–स्टोन की खानों के ठेके में अनियमितता ।

बीकानेर–सरदारशहर सड़क ।

महाराजाज़ कॉलेज, जयपुर में कर्मचारियों द्वारा छात्र रूप में नियमित रूप से क्लासेज़ में उपस्थित होना ।

लालसोट तहसील में खुर्रा की माताजी से बिनोरी के हनुमानजी तक एवं कल्लावास व दौलतपुरा ग्राम तक सड़क निर्माण ।

बूसी–सोमेश्वर सड़क के निर्माण कार्य में देरी ।

आयव्ययक १९६०–६१

आय-व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

आयव्ययक, १९६०-६१, पर आज भी सामान्य वाद-विवाद जारी रहा जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री मोतीलाल चौधरी
२. ,, पुरुषोत्तमलाल शर्मा
३. ,, भैरोंसिंह (१४)
४. ,, बी. एन. जोशी
५. ,, रावल नरेन्द्रसिंह
६. श्री श्रीभानसिंह
७. ,, लादूराम सुलाणिया
८. ,, नरोत्तमलाल जोशी
९. ,, गोकुलचन्द जांटव

सरकार की ओर से आज श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, व श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, ने उत्तर दिया ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री उत्तर दे रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५-०० बजे बुधवार दिनांक १६ मार्च, १९६०, को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

बुधवार दिनांक १६, मार्च, १९६० की कार्य-सूची

१. पुरःस्थापित विधेयक

२. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६०

२. आय व्ययक, ६०-६१ पर सामान्य वाद-विवाद ।

३. अनुदानों की मांगों पर मतदान ।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७२ का उत्तर देखिये)

SCHEDULE

(Description of property mortgaged hereinunder by the borrower to the Government)

Cylinder Machine, Cutting Machine. German Traddle Machine, proof Machine, Types, Cellies Cases, packs, Quds, Quotations, Lead, Hindi Typee ranging from 12 points to 96 points, English Type of various varieties, and other printing material and machines of Navyug printers are hereby mortgaged to the Govt., a complete list as verified and velued by Tehsildar, Jaipur, at Rs. 67,000/— (sixtyseven thousand) has been supplied to the Distict Industries Officer, Jaipur, on December 17, 1958 and necessary affidavit to the effect that this property situated in Hathi Babu ka Bag in Station Road, Jaipur, is free from encumbrances has been filed in the court of First Class Magistrate No. 1, Jaipur.

Sd/-
Reshi Kumar Mishra.

Sd/-
S. S. Nath
District Industries Officer
Jaipur.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४५ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE PARTIES WHICH WERE GRANTED IMPORTED LICENSE DURING THE YEAR 1958-59, 59-60.

S. No.	Name of the party with address.	Raw Material for which license was granted.	C. I. F. Value for which license was granted by the Government of India. 1958-59 Ist Quarter	1958-59 IInd Qr.	1959 60. Ist Quarter	1959 60. IInd Qr.
1	2	3	4	5	6	7
			Rs.			
1.	M/s Nabi Bux Hasan Ali, Churigar Bazar, Pali.	1. Celullose Acetate Virgin Moulding Powder.	1,000	5,000	20,000	
		2. Phenol Formaldehyde Resinous Tubes.		600	12,000	
		3. Cellulose Acetate Butyrate		750	8,000	
		4. Cellulose Nitrate Sheets.			3,500	

1	2	3	4	5	6	7
2.	M/s Didar Bux Barkat Ali Churigar Bazar, Pali.	1. Cellulose Acetate Virgin Moulding Powder.	4,000	10,000	36,000	
		2. Phenol Formaldehyde Resinous tubes.	3,000	3,000	5,000	
		3. Cellulose Nitrate Sheets Rods & Tubes.		3,000	6,000	
		4. Cellulose Acetate Butyrate.		750	7,000	
3.	M/s Indra Plastic & Celluloid Products, Jaipur.					
		1. Cellulose Acetate Butyrate.			9,000	
4.	M/s Kashi Ram Magni Ram Teja Chowk, Beawar.	1. Musk Amber Synthetic Essential Oils.	1,000	-	-	
		2. Musk Amber (Synthetic) Essential Oils.	-	500	-	
5.	M/s Bhoom Raj Jagrup Dass, Barmer.	1. Cellulose Acetate Moulding Powder.	-	750	-	
6.	M/s Kotah Rubber Industries, Kotah.	1. Carbon black.	-	280	900	
		2. Titanium Bi-Oxide Lithaphone.	-	−1,450	2,600	

1	2	3	4	5	6	7
		3. Synthetic Rubber.	-	2,250	2,250	
		4. Anti Oxident Accelators Rubber Auxiliries softrers.	-	1.700	8,500	
		5. Sodium Nitrate.	-	-	500	
		6. Cumarame Indene Resin b-butakon.	-	240	-	
		7. Vulcafor colours Rubber.	-	1,680	8,000	
		8. Rubber Colours.	-	-	-	
7.	M/s Jem Chemical & Pharm. Works, Moti Dungari Road, Jaipur.	1. Chemicals.	2,500	-	-	
		2. Drugs & Medicines.	5,000	-	-	
		3. Natural Essential Oils.	3,000	5,000	10,000	
8.	Rajasthan Celluloid Industries Residency Road, Plot No. 632, Jodhpur.	1. Chemicals.	1,825	-	11,500	
		2. Cellulose Nitrate Sheets.	2,500	7,500	30,000	
		3. Aluminium Foils.	1,750	500	5,000	
		4. Tetrachlor oethan.	-	1,825	-	
		5. Cellulose Acetate Virgin Moulding Powder.	-	-	3,500	

1	2	3	4	5	6	7
		6. Cellulose Acetate Film scrap.	-	-	13,000	
9.	M/s Samandass Deepchand Churigar Bazar, Jodhpur.	1. Phenol Formaldehyde Resing tubes.		600	10,000	
		2. Cellulose Acetate Sheets & Moulding Powder.		2,500	12,500	
		3. Cellulose Nitrate Sheets.		15,000	30,000	
		4. Tetrachloroethane.		500	2,500	
		5. Cellulose Acetate Butyrate.	-	-	7,500	
10.	M/s K. S. Mehta, C/o Rajasthan Mirror Mfg. Co., Bhilwara.	1. Polyvinyl Butyral.	25,000	-	-	
11.	M/s Ayurved Sewashram Ltd., Station Road, Udaipur.	1. Aromatic Chemicals.	-	17,880	43,743	
		2. Essential Oils.	-	4,450	8,954	
		3. Thymol crystal & Menthol Crystal	-	-	10,027	
12.	M/s Mukhtiar Ali Nisar Ahmed, Jodhpur.	1. Cellulose Acetate Virgin Moulding Powder.	3,500	3,500	18,000	
		2. Cellulose Nitrate Sheets. Rods & Tubes.	-	463	1,850	

1	2	3	4	5	6	7
		3. Phenol Formaldehyde Resinous tubes.	-	300	2,666	
13.	M/s Syed Manwar Ali Asgar Ali, Churigar Bazar, Jodhpur.	1. Cellulose Acetate Virgin Moulding Powder.	3,000	3,000	18,000	
		2. Phenol Formaldehyde Resinous tubes.	-	500	8,000	
		3. Cellulose Nitrate Sheets Rods & Tubes.	-	500	2,500	
14.	H. S./Barkat Ali Imdad Ali, Churi Bazar, Pali.	1. Cellulose Nitrate Sheets.	500	500	3,200	
		2. Cellulose Moulding Powder.	2,000	1,250	30,000	
		3. Phenol Formaldehyde Resinous Tubes.	-	200	3.500	
		4. Cellulose Acetate Butyrate.	-	-	-	
15.	Kadar Bux Shamsuddin, Pali.	1. Phenol Formaldehyde Resinous Tubes.	5,000	2,500	12,000	
		2. Cellulose Acetate Virgin Moulding Powder.	-	1,000	15,000	

1	2	3	4	5	6	7
		3. Cellulose Nitrate Sheets. Roads and Tubes.	-	500	2,500	
		4. Cellulose Acetate Butyrate.	-	-	-	
16.	M/s Abbas Ali Massum Ali Churi Bazar, Pali.	1. Phenol Formaldehyde Resinous Tubes Rods.	7,860	1,750	8,000	
		2. Cellulose Acetate Virgin Moulding Powder.	-	800	12,000	
		3. Cellulose Nitrate Sheets.	-	-	1,200	
17.	Rajasthan Pharmaceutical Laboratories, Jaipur.	Crude Drug.	-	-	-	
18.	Dy. Director (Chemicals.)	Colorimeter Cup 65 mm Precision Polarimeter complete, with accessories.	-	75	-	
19.	M/s Mewar Sugar Mills Bhupalsagar (Udaipur.)	Boilers for Mershallas Engine No. 83294.	3,753	-	-	
20.	M/s Krishana Kapoor & Co. Amer Road, Jaipur.	1. Dyestuffs.	-	2,000	-	
		2. Hydresulpheite of Soda & Acetic Acid.	-	575	-	

1	2	3	4	5	6	7
21.	M/s Earasmal Praschandra Bhopalgunj, Bhilwara.	Polvrnyl Butyral Resir	-	12,500	-	
22,	M/s S. Mehboob Ali & Sons Balotra.	Phenol Formaldehyde Resinous sheets.	-	1,600	12,000	
		2. Cellulose Acetate Virgin Moulding Powder.	-	2,000	15,000	
		3. Cellulose Acetrate Butyrate	-	-	7,000	
		4. Cellulose Nitrate Sheets Rods & Tubes.	-	-	500	
23.	M/s C. A. Moula Bux, Churigar Bazar, Jodhpur.	1. Cellulose Acetate Sheets and Mouldtng Powder.	-	1,250	8,000	
		2. Cellulose Nitrate Sheets.	-	3,750	10,000	
		3. Phenol Formaldehyde Resinous tubes.	-	-	-	
24.	M/s Mohad Saffic Quamar Ali, Pali.	1. Cellulose Acetate Virgin Moulding Powder.	-	500	10,000	
		2. Phenol Formaldehyde Resinous tubes.	-	1,000	3,534	

1	2	3	4	5	6	7
		3. Cellulose Acetate Butyrate Powder.	-	-	4,000	
		4. Cellulose Nitrate Sheets.	-	-	1,500	
25.	M/s Abbas Ali Asgar Ali, Pali.	1. Phenol Formaldehyde Resinous Tubes.	-	400	13,334	
		2. Cellulose Acotate Virgin Moulding Powder.	-	1,000	9,000	
		3. Cellulose Acetate Butyrate.	-	1,000	4,500	
29.	M/s Akbar Ali Amanat Ali, Pali.	Phenol Formaldehyde Resinous Rubes & Rods.		400/—	4,000/—	
		2. Cellulose Acetate Virgln Moulding Powder.			9,000/—	
		3. Cellulose Acetate Butyrate,			3,000/—	
27.	M/s Himmathmal Umed Mal Pali.	Phenol Formaldehyde Resinous Tubes and rods.		1,000/—	3,333/—	
		2. Cellulose Acetate Virgin Moulding Powder.			6,000/—	

1	2	3	4	5	6	7
28.	M/s Laxmi Celluloid Bangles Industires, Nimaj House,	1. Cellulose Nitrate Sheets.		7,500/—	20,000/—	
		2. Aluminium foiles		1,000/—		
		3. Cellulose Eilm Scrap.		750/—	9,000/—	
		4. Tetrachloroethane.		1,5000/—	12,300/—	
		5. Cellulose Acetate Sheets.			2,000/—	
29.	M/s Rajasthan Pharmaceutical Works, Jaipur.	1. Chemicals.	-	-	-	
30.	M/s Manmal Ghishulal Pali.	I. Phenol Formaldehyde Resinous Tubes.		400/—		
		2. Cellulose Acetate Virgin Moulding Powder.			6,000/—	
31.	M/s Asad Ali Mohd. Ali, Pali.	1. Phenol Formaldehyde Resinous tubes sheets rods,		400/—	5,332/—	
		2. Cellulose Acetate Sheets & Moulding Powder.		500/—	11,000/—	
		3. Cellulose Nitrate Sheets.			1,500/—	
32.	M/s Bassumal Karam Chand, Karka Chowk, Ajmer.	Phenol Formaldehyde Resinous Sheets rods and other material.	-	400/—		

1	2	3	4	5	6	7
33.	M/s Jain Industrial Corps. Kharadion Ka Bas, Jodhpur.	Cellulose Nitrate Tube.		500/—		
34.	M/s Ratan Opticals, 291, Adarashnagar, Jaipur.	1. Cellulose Nitrate Sheets Roads & Tubes.		7,500/—	30,000/—	
		2. Crease Proof packing & Wrapping paper.		1,500/—		
		3. Rough Blanks.		10,000/—		
		4. Bifocals.		2,000/—	10,000/—	
		5. Bifocals.			10,000/—	
		6. Lensometer.			2,000/—	
		7. Rough Blanks & Other then bifocal blanks.			30.000/—	
		8. Twist Drills.			2,500/—	
		9. Taps & Dies.			6,000/—	
		10. Emery powder. kk.			2,000/—	
35.	M/s Mustak Ahamed Khalil Ahamed, Churigar Bazar, Jodhpur	1. Aluminium foils.			1,200/—	
		2. Tetrachloreethane.			4,500/—	

1	2	3	4	5	6	7
		3. Cellulose Acetate Pilm sorapl.			11,250/–	
		4. Cellulose Nitrate sheets.			3,000/—	
		5. Cellulose Acetate Moulding. Powder			2,250/—	
		6. Phenol Pormaldehyde Resionous tubes sheets and Rods.			3,500/—	
36.	M/s Rajasthan Cycle parts & Industry, Jaipur.	1. Plastic Acetate Powder.		625/—		
37.	M/s Thompson & Thompson 'C'Scheme, Jaipur.	1. Cellulose Acetate Butyrate.		1,250/—	4,200/—	
38.	M/s S. Abdul Rehman Noor Mohd., Jodhpur.	1. Phenol Formaldehyde Resenous sheets Tubes & Rods etc.		300/—	1,334/—	
39.	M/s Rajasthan Industry & Metal Works, 5. A Industrial Estate, Jaipur.	1. Optical Rough Blanks.		5,000/—	20,000/—	
		2. Bifocal Rough Blanks.	—	5,000/—	26,400/—	
		3. Lenso Metre etc.		2,400/—	4,700/—	
		4. Rmery Powder Grade 302 303.		648/—	2,300/—	

1	2	3	4	5	6	7
40.	M/s Tandon Bros, Jaipur.	1. P. V. C. Composition.		9,000/—	54,000/—	
		2. Rubber Chemicals Colours			4,000/—	
		3. Titanium (2. Lithaphone.			3,500/—	
41.	M/s Rajasthan Electric Ind. Bani Park, Jaipur.	1. P. V. C. Composition.		46,500/—	22,600/—	
42.	M/s Mehta Opticians, Jodhpur	1. Rough Blanks other than Bifocal blanks.			6,000/—	6,000/—
		2. Emery powder Abraaive & carborandum grain & Powder.			2,000/—	
43.	M/s Ambalal Kapoor Chand, Kachari Road, Jodhpur.	1. Cellulose Nitrate Sheets.			4,000/—	
44.	M/s Chandra Industries M. I. Road, Jaipur.	Nickle anodes & Antimonial leads anodes Nive nickle salt superglemax Bright nickle salt Superglemax Sodium cynide.			16,878/—	
45.	M/s Haji Akbar Ali Hasanali, Pali.	Phenolformaldehyde Resinous Tubes and sheets.			2,334/—	

1	2	3	4	5	6	7
46.	M/s Impes Art Product Bapna House, New Colony, Jaipur.	Cellulose Acetate Bytrate Powder.			4,000/—	
		Cellulose Nitrate Sheets.			4,000/—	
		Brass Tubes.			2,500/—	
47.	M/s Ajanta Industries, Bikaner.	1. Ceetic Acid (Chemicals.)			1,000/—	
		2. Tymol.				500/—
		3. Essential Oils.			500/—	
48.	M/s F. R. Metal Industries Ratanda Shive Road, Jodhpur.	Graphite crucibles.			1,250/—	
49.	M/s Shanker Biscuit Factory, Jaipur.	1. Packing & Wrapping paper.		2,000/—	4,000/—	
		2. Natural Essential Oils.			1,500/—	
50.	M/s Paras Celluloid Industries Karnot House, Jaipur.	1. Alluminium foils.			4,000/—	
		2. Tetrachloroethane.			3,000/—	
		3. Cellulose Nitrate Sheets.			5,600/—	
		4. Cellulose Film Scrap.			6,000/—	
51.	M/s Framoraz N. Contractor, Beawar Road, Ajmer.	1. Claret Lamon essence.			500/—	

१	२	३	४	५	६
52.	M/s Mohan Bros., Chaura Rasta, Jaipur.	1. Cellulose Acetate Butyrate.			3,500/—
53.	M/s Somani Metal & General Ind. Somani Bhawan Bazar Sitaram, Delhi - 6.	1. Nickel comparator paper.			1,950/—
54.	M/s Modern Celluloid Bangles Industries, Jodhpur.	1. Cellulose Film Scrap.			3,450/—
		2. Tetrachloroethane.			2,156/—
55.	M/s	3. Cellulose Nitrate Sheets Rods & Tubes.			3,500/—
56.	M/s Satya Raj & Co., Industrial Area, Raji Bazar, Bikaner.	Pottassium Tartrate.			1,000/—
57.	M/s Central Steel & General Industries Chaura Rasta, Jaipur.	1. Cellulose Acetate.			15,000/—
58.	M/s Rajasthan Cycle Ind. Tripolia Bazar, Jaipur.	1. Packing & Wrapping Paper.			500/—
59.	M/s Nath Brothers, Chaura Rasta, Jaipur.	1. Bifocal Blanks.			15,000/—

1	2	3	4	5	6	7
60.	M/s Ghanshyamdass Ganesh dass Jain, Katla Purohitji, Tripolia Bazar, Jaipur.	1. Cellulose Nitrate Sheets.			3,500/—	
61.	M/s Vishnu Colour Mfg. Co., Pali.	1. Coaltar dyes.		5,000/—	32,000/—	
62.	M/s H. S. Elahi Bux & Sons, Jodhpur.	1. Cellulose Acetate Moulding Powder.	18,000/—	18,000/—		
		2. Cellulose Nitrate Tube Rubes & Roads.	5,000/—	10,000/—	1,00,000/—	
		3. Cellulose Acetate Moulding Powder.	-	5,000/—	1,00,000/—	
		4. Phenol Formaldehyde Resigous Tubes Sheets.	-	12,500/—	33,335/—	
		5. Tetreachloroethane.	-	2,500/—	10,000/—	
		6. Aluminium Poils.	-	-	3,000/—	
		7. Cellulose Film Scrap.	-	-	15,000/—	
63.	M/s Small Scale Engineering Corporation, Sri Ganganagar.	Machinery.			12,770/—	

Page No.125

1	2	3	4	5	6	7
64.	M/s Bundi Electric Supply Co. Ltd., Bundi.	Motor Parts.				10,500/—
65.	M/s Jaipur Cycle & Parts Ind., Jaipur.	Tool Alloy Steel.			2 tons.	
66.	M/s Jaipur Metal Rolling Mills, Jaipur.	Cruicibles.	Nos. 250	No. 250		
		Borax.		11,040	-	
		Brass Scrap.	31,648/—			
67.	M/s Rajasthan Agricultural Implements Works, Bharatpur.	Industrial Scrap.		13.5 tons.	-	
68.	M/s Wire net producs, Jaipur.	G. I. wire		3.6 tons.	-	
		Industrial Scrap.	12 tons	-	-	
69.	M/s National Industries, Jaipur.	Bifercated rivates.			15,000/—	
70.	M/s Khandelwal Udyog, Jaipur.	Wire Shorts.			19 tons.	
71.	M/s Gopal Gujar, Jaipur.	Machinery.		4,000/—	-	
72.	M/s Ashoka Wire netting Ind. Jaipur.	Machinery.			8,000/—	
		Industrial Scrap.		31.5 tons.		
		G. I. Wire.	18.5 tons.			

1	2	3	4	5	6	7
73.	M/s Rajasthan Cycle Ind. Jaipur.	1. B. B. Sheel.			15,000/—	
		2. Bifercated Rivates			1,000/—	
		3. Steel.			4,543/—	
		4. Industrial Scraps.		1000/—		
74.	M/s Rajputana Metal Works, Jodhpur.	1. Tool alloy Steel.			1,500/—	
75.	M/s R. S. Brothers, Jaipur.	Bifercated Rivates.		300/—		
76.	M/s Anand & Co., Jaipur.	Sewing Machines.			1,500/—	
77.	M/s Hanuman Iron & Steel Works, Jaipur.	Industrial Scraps.			250 tons.	
78.	M/s Man Industrial Corporation, Jaipur.	1. Tool Alloy Stell.			2,365/—	
		2. Steel.			1,916/—	
		3. Machines.			32,915/—	
79.	M/s Rajasthan Wire netting Ind: Neem Ka Thana.	Industrial Scraps.			18 tons.	
80.	M/s Johar & Co., Jodhpur-	Radio Parts.			10,000/—	
81.	M/s Vishnu Ind., Jodhpur.	Special Steel.		150/—		

1	2	3	4	5	6	7
82.	M/s Rajasthan Electric Products, Jaipur.	By Metal Sheets.			15,000/—	
		By Metal Streeps.		500/—	-	
83.	M/s A. Mukarjee & Co., Jaipur.	1. Graphite Crusibles.	3,070/—	3,070/—	5,700/—	
		2. Borax.	1,318/—	-	1,710/—	
		3. Brass Scrap.	51,537/—	-	-	
84.	M/s B. L. Vaish & Sons, Makrana.	Saw Blades.			8,000/—	
85.	M/s Indoflex P. Ltd., Jaipur.	Machines.		3,80,500/—	-	
86.	M/s Inder Bhawan & Co., Bikaner.	Balbearings.		750/—	1,000/—	
		2. Machines.		2,500/—	-	
87.	M/s Hira Crushing P. Ltd. Jodhpur.	Shevers.		765/—	-	
88.	M/s Dholpur Chair Mfg., Co., Dholpur.	G. I. Wire.	5 tons,	5. 67 tons.	-	
89.	M/s Gandhi Metal Works, Pali.	G. Crucibles.		260/—	-	

1	2	3	4	5	6	7
90.	M/s Rajasthan Iron Works, Bharatpur.	Iron & Steel.		11. 25 tons.	-	
91.	M/s Rajasthan Metal Works. Bhilwara.	1. Crucibles			2,280/—	
		2. Borax.			427/—	
92.	M/s Oswal Bros., Jodhpur.	Machinery.		40,000/—	-	
93.	M/s Rajasthan Steel Corporation, Jaipur.	1. Industrial Scraps.			30 tons.	
		2. Wire.		27 tons.	-	
		3. Machines.			12,000/—	
94.	M/s Somani Metal & General Ind., Jaipur.	1. H. B. Wire.		20 tons.	-	
		2. Burners.		20,000/—	-	
95.	Director of Industries, Rajasthan, Jaipur. (Ivory manufacturers Association, Pali, authorised to Import and distribution arranged through a committee of official & non-Official members.).	Un-manufactured Ivory.	-	2,00,000/—	-	2,00,000/—

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३९७ का उत्तर देखिये)

S. No.	Name.	Class.	Year	Whether regular or not	With permission or without permission	College hours	Class hours.
1.	Shri Chajusingh L. D. C. Typist.	M. A. Final.	1958	Regular student.	Without permission.	10 A. M. to 4 P.M.	8 A. M. to 10 A. M.
2.	Shri Laxman Deo Sharma L. D. C.	LL. B. Previous. LL. B. Final	1958 1959	Ex-student.	Without permission.	,, ,,	Not as a regular tudent but as an Ex-student.
3.	Shri Gopalchandra Sharma, Accountant.	B. A. Arevious.	1959	Regular	With permission of the Principal under technical hand.	,, ,,	8 A.M. to 10 40A.M.
4.	Shri Vimal Chand Gangwal, L. D. C.	B. A. Final.	1959	Ex-student.	Without permission	,, ,,	As an ex-student.

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Shri Khemchand Jain L. D. C. Cashier.	B. A. Final		Not appeared	No permission.	—	—
6.	Shri Radhey Shyam Sharma L. D. C.	B. A. Final		Not appeared.	No permission.	—	—
7.	Shri Shamshuddin L. D. C.	Intermediate Arts.	1959	Private candidate from Ajmer Board,	Without permission.		Not as regular student but as private candidate.
8.	Shri Vinod Kumar, Lab. Asstt.	Intermediate Science	1959	Ex-student.	Without permission.	" "	Not as a regular student but as an Ex-student.
9.	Shr Tarachand Jain L. D. C.	Intermediate. Arts.	1958	Private Ex-student.	Without permission.	" "	As a private ex-student.
10.	Shri Satyanarain Lab. Bearer (Class IV th)	High School.	1959	-do-	Without permission.	" "	-do-

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Shri Bhoora Mal. Class IVth Lab. Bearer.	High School.	1959	Private candidate.	Without permission.	,, ,,	As a privatecandidate
12.	Shri Ehagwan Sahai Lab. Bearer.	High School.	1959	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,
13.	Shri Avadh Behari	High School.	1959	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,
14.	Shri Narendramohan. Class IV th.	High School.	1959	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ का उत्तर देखिये)

सूची जागीरदार जिन्होंने अपने पाटवी कंवरों को उप जागीरें दीं और उनकी मान्यता इस कार्यालय द्वारा दी गई

क्रमांक	नाम पाटवी कंवर	नाम जागीर जो दी गई	नाम मुख्य जागीरदार	नाम मुख्य जागीर
		जिला पाली		
१.	श्री करणसिंह	जीतिया	श्री उदयसिंह	सुरायता
२.	श्री भवानीसिंह	बगड़ी	श्री सज्जनसिंह	बगड़ी
३.	श्री रूपेन्द्रसिंह	निमेडा कला	श्री उम्मेदसिंह	निमेडा कला
		जिला उदयपुर		
१.	श्री जगदीशचन्द्र	जुजतुरकिया खेड़ा	श्री स्वरूपमल	तुरकिया खेड़ा
		जिला जालौर		
१.	श्री गोपालसिंह	घणा	श्री देवसिंह	भादराजुन
		जिला टौंक		
१.	श्री राजेन्द्रसिंह	रूपपुरा		उनियारा
		जिला भीलवाड़ा		
१.	श्री दौलतसिंह	बडलियास	श्री मेघसिंह	बडलियास
२.	श्री भीमसिंह	बीजणत्रास	श्री शिवदानसिंह	शिवरति

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, १५ मार्च, १९६०)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२६५०	अन्तिम से ४	'नवयुग प्रिन्टस	'नवयुग प्रिन्टर्स'
२६६६-६७	शीर्ष	-१५ मार्च	-१५ मार्च
२६६६	अन्तिम से ४-३	What is the the member	What is the number of the members.
२६७१	१८	or a tleast	for at least
२६७५	अन्तिम से ३	फावर्ड कराये	फॉर्वर्ड कराये
२६७७	४	विषय में	विषय में
२६७९	२	श्री लछूराम	श्री लच्छूराम
२७००	शीर्ष	(श्री मोती लाल)	(श्री मोतीलाल)
२७०१	अन्तिम	रीआर्गेनाइजेश्न	रीऑर्गेनाइज़ेशन
२७१७	१५	? में	? मैं
२७३५	२८	of inporma tion	of information.
२७४७	शीर्ष	वावविवाद	वाद-विवाद
२७५६	अन्तिम से ७	of Raias than	of Rajasthan.
२७५७	२४	I th!nk	I think
,,	२९	to buld	To build.
२७५८	५	regardin the	regarding the
२७६३	१३	administtration that	administration that
२७६८	२५	जो प्रोवधान हैं	जो प्रावधान है
२७७२	१०	माननीय । सद्स्यों	माननीय सदस्यों
,,	१२	नहीं है मैं	नहीं है । मैं
,,	२१	Members ays	member says
२७८६	शीर्ष	सुलाड़ियां)	सुलाड़िया)
२७८७	६	पा रहें है ।	पा रहे हैं ।
२७८९	अन्तिम से ,६	प्राप्त होगे ।	प्राप्त होंगे ।
२७९२	७	श्री लादुराम	श्री लादूराम
२७९४	१८	प्रशासन कि	प्रशासन की
२८०१	शीर्ष	सासान्य	सामान्य
२८०५	८	रेडियो स्रटों	रेडियो सेटों
,,	१०	ओर बेट्रोज	और बैट्रीज़
२८०७	७	श्रंखलाए	श्रंखलाएं
,,	९	दिया हों	दिया हो
२८११	६	कही कम	कहीं कम

(२)

१	२	३	४
२८२५	१२	Orderi Ord er	Order ! Order
२८२६	११	पुलिश डिपा–	पुलिस डिपा–
२८३७	६	मेहगा मिलता	मेंहगा मिलता
२८४०	६	इन्फॉरमेशन	इन्फोर्मेशन
,,	अन्तिम से३	Order !! pbase	Order !! Please
२८४२	३	क बात	की बात
,,	अन्तिम से ८	Shether the	Whether the
२८४४	प्रथम	'मैं' pleose	'मैं' please.
,,	१६	मत्रीजी के	मंत्रीजी के
२८४८	५	करूगा —	करूंगा —
२८५०	अन्तिम से ६	शार्ट टर्म	शोर्ट टर्म
२८५१	७	प्रोपोरन में	प्रोपोर्शन में
२८६२	अन्तिमसे ३	श्री गोकुलचन्द जाटव	श्री गोकुलचंद जाटव
२८६४	२	ख्या ३७२ का उत्त	संख्या ३७२ का उत्तर
,,	८	Typee ranging	Types ranging
,,	१२	the Distict	the District